खण्ड-252, अंक-7
बुधवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1886
(9 सितम्बर, 1964 ई0)

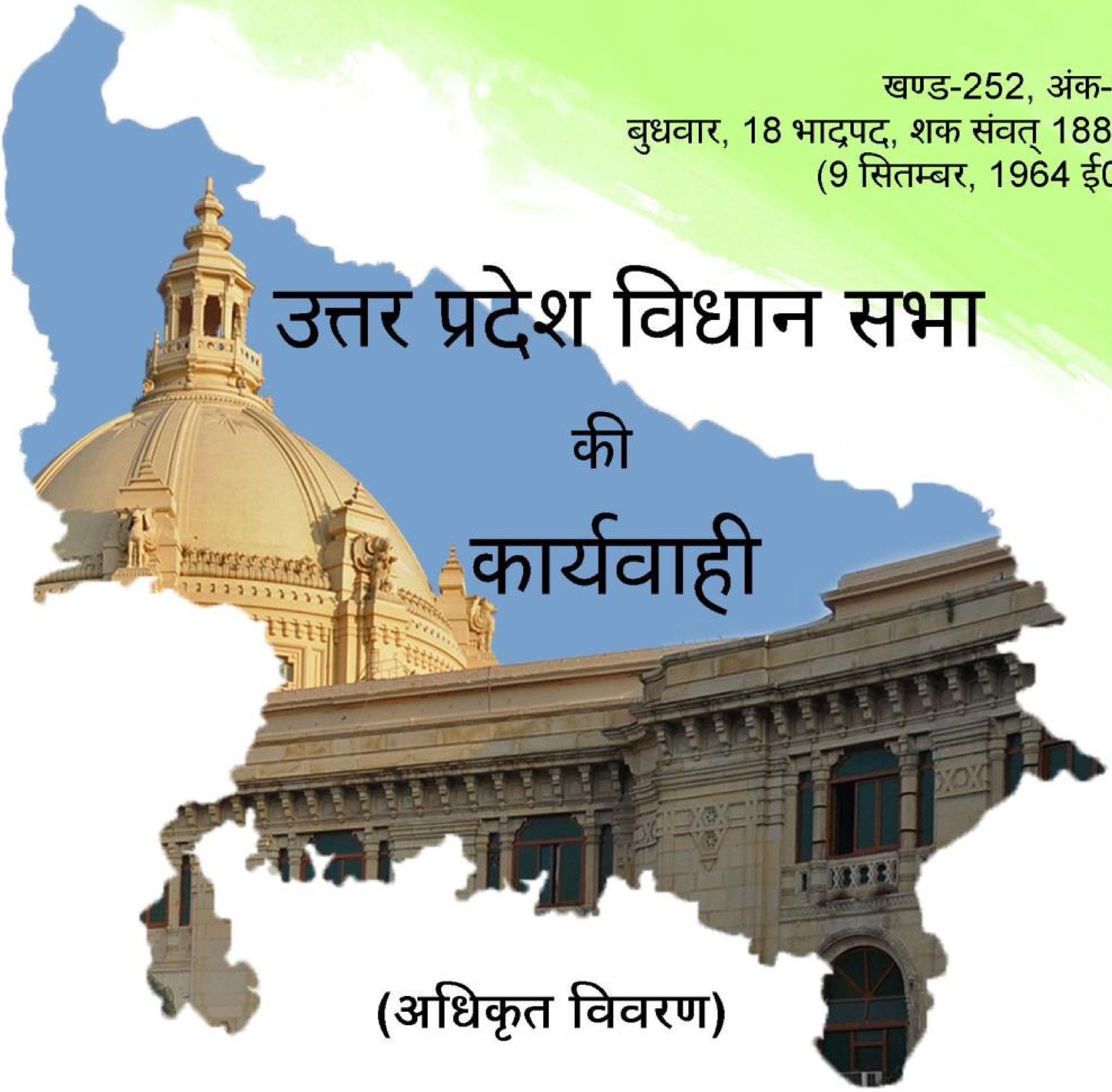

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 252 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ६६५–६६९ |
| व्यवस्था का प्रश्न .. .. .. .. | ६६९–६७० |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ६७०–६७२ |
| व्यवस्था का प्रश्न (जारी) .. .. .. .. | ६७२–६७३ |
| प्रश्नोत्तर (जारी) .. .. .. .. | ६७३–७०३ |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. .. | ७०३ |
| प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति .. .. .. | ७०३–७०४ |
| आश्वासन समिति का तेइसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. | ७०४ |
| कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी (जारी) .. .. | ७०४–७०६ |
| रजा डिग्री कालेज, रामपुर में पोस्ट डिग्री क्लासेज खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट) .. .. | ७०६ |
| हिन्दी भाषा को राजकीय प्रयोजनों के लिये राजभाषा बनाने के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट) .. .. | ७०६–७०९ |
| श्री अध्यक्ष द्वारा श्री टम्बेश्वरप्रसाद को सदन छोड़ देने के आदेश के संबंध में परिप्रश्न .. .. .. .. | ७०९–७११ |
| विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं .. .. | ७११–७१४ |
| श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा व्यवस्था का प्रश्न .. .. .. | ७१४–७१७ |
| राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को सौंपे गये प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा मांगी गयी पुस्तकों को न्याय विभाग द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. | ७१७–७२७ |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .. | ७२७–७२८ |
| नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. | ७२९ |
| सदन की बैठक के सम्बन्ध में परिप्रश्न .. .. .. | ७२९ |
| एडवोकेट जनरल को हटाने के सम्बन्ध में नियम ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | ७२९–७३१ |
| प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर वक्तव्य .. .. .. | ७३१–७३३ |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| रुद्रपुर मार्गस्थ शिविर के विषय में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य | ७३३–७३६ |
| कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी .. .. .. | ७३६ |
| उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित) .. .. .. .. | ७३७–८०० |
| सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी .. .. | ८००–८०१ |
| यातायात तथा आबकारी स्थायी समितियों एवं कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा .. .. | ८०२ |
| उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित) .. .. .. .. | ८०२–८०९ |
| नस्तियां .. .. .. .. .. | ८१०–८१६ |


विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

विधान सभा
सचिवालय, पटना

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## बुधवार, ९ सितम्बर, १९६४

---

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

## उपस्थित सदस्य—३९२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
न्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छ न्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
गलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मुलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री

शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

---

## व्यवस्था का प्रश्न

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में दो व्यवस्थायें विद्यमान हैं, एक आपकी और एक माननीय उपाध्यक्ष की। आपने यह व्यवस्था दी थी कि सदन में कोई आदमी बहस नहीं कर सकता जब तक वह वकील न हो।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों के समय में नहीं उठता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

जब आप कुर्सी पर विराजमान हो गये, तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है, क्योंकि तभी कार्यवाही सदन की शुरू समझी जाती है। जब ऐसी व्यवस्था हो चुकी है तो फिर बिना उस पर निर्णय हुए सदन की कार्यवाही कैसे चल सकती है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्नों के बाद इस प्रश्न को उठाइये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

माननीय उपाध्यक्ष ने इसी सदन में यह निर्णय दिया है कि मेरी व्यवस्था को स्पीकर साहब नहीं काट सकते हैं और न मैं उनकी व्यवस्था को काट सकता हूं। ऐसी अवस्था में सदन के उन माननीय सदस्यों में जो वकील नहीं हैं, बड़ा क्षोभ पैदा हो गया है और वे चाहते हैं कि यह बताया जाय कि वे इस सदन में बहस कर सकते हैं या नहीं? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। आप स्वयं वकील हैं और विद्वान हैं, जब आप की तरफ से ऐसी व्यवस्था हुई है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी भी स्वयं वकील नहीं हैं, ऐसी अवस्था में आपके अनुसार वे भी सदन की किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकतीं। इसलिये मैं आपकी स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन में केवल वही सदस्य बहस में हिस्सा ले सकते हैं जो वकील हैं अथवा अन्य सदस्य भी ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के पहले कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके लिये अध्यक्ष पद से दिए गये निर्णयों के संकलन ५२-६२ तक के पृष्ठ १९७ को आप देखें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

आपने जो व्यवस्था वकीलों के बारे में दे रखी है, उस पर बाद में व्यवस्था दें और मुझे मौका दें।

श्री अध्यक्ष--

जब तक प्रश्न हो रहे हैं आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

जैसी कि आपने अभी व्यवस्था दी कि प्रश्नों के पहले कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, लेकिन आपकी अध्यक्षता में लगातार श्री नेकराम शर्मा तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाये जाते रहे हैं और आपने उनको कबूल किया है।

## प्रश्नोत्तर

---

## बुधवार, ९ सितम्बर, १९६४

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### आगरे में पुलिस सब-इन्स्पेक्टर गौतम के विरुद्ध प्रदर्शन

**१--श्री खेमचन्द (जिला आगरा) तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा में १ से ९ जुलाई, १९६४ के मध्य छीपी टोला, आगरा की जनता ने रकाबगंज, थाना आगरा के सब-इन्स्पेक्टर, श्री गौतम की ज्यादतियों के विरुद्ध प्रदर्शन व हड़ताल की थी, जिसके फलस्वरूप श्री गौतम को लाइन हाजिर कर दिया गया था?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

दिनांक १-७-६४ व ९-७-६४ के मध्य श्री गौतम के विरुद्ध कोई हड़ताल व प्रदर्शन नहीं किया गया। दिनांक २८ जून, १९६४ को मोहल्ला छीपीटोला क कुछ निवासियों ने उक्त एस० आई० के विरुद्ध उनके कथित दुर्व्यवहार के कारण एक जुलूस निकाला और इस सम्बन्ध में वे अतिरिक्त जिलाधीश से मिले थे और उनके तबादले की मांग की थी। आरोपों की जांच डी० वाई० एस० पी० सिटी ने की और जांच से आरोप सही नहीं पाये गये। जांच के बीच एस० आई० को पुलिस लाइन हटा दिया गया था।

**२--श्री खेमचन्द तथा श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या यह सच है कि ११ जुलाई, १९६४ को जब छीपी टोला में गिरफ्तारियां हो रही थीं तो श्री गौतम लाइन से आ गये और उन्होंने स्वयं गिरफ्तारियां कराने में भाग लिया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी नहीं।

श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गिरफ्तारी के समय जब लाइन से फोर्स बुलाया गया था तो एस० आई० गौतम भी वहां था और उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया था ? क्या इस सूचना को सही मान कर मंत्री जी सी० आई० डी० से जांच करायेंगे?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

इस तथ्य की जांच करा ली गयी है और यह गलत है।

श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बाद की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

शायद गलतफहमी इस कारण हो रही है कि श्री गौतम छीपीटोला में ही एक किराये के मकान में रहते हैं इसलिये जरूर वहां दिखलायी पड़े होंगे और इस वजह से यह गलतफहमी हो सकती है।

श्री खेमचन्द--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

डी० वाई० एस० पी० के द्वारा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, आपका ध्यान मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम २८९ (२) की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एस० आई० के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं और जिसकी जांच के दौरान उनको लाइन हाजिर किया गया था, तो जिन लोगों ने उनके खिलाफ आरोप लगाये थे तथा उनके खिलाफ प्रदर्शन किये थे तथा जिले के अधिकारियों से मिले थे, उस जांच के सिलसिले में उन लोगों की भी गवाही ली गयी थी या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।

## व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा था कि वकील ही इस सदन में बहस कर सकते हैं...

श्री अध्यक्ष--

यह किसने कहा था?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

आपने कहा था।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले कार्यवाही निकाल कर पढ़ लें। इस तरह से बीच में क्यों बोलते हैं?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैंने सुना था, आपने कहा था कि वकील ही कानून जानते हैं...

श्री अध्यक्ष--

अब मैं कार्यवाही पढ़ता हूं ताकि आपके मन में जो विचार है वह साफ हो जाय। माननीय टम्ब्रेश्वरप्रसाद ने पूछा था...

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, आपने कहा था कि प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता और आप स्वयं इस बात को अब ओपेन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो क्या आप चाहते हैं कि सदन उठ जाय या १-२ मिनट में मैं इस परिस्थिति को साफ कर दूं, जरा देर भी आप सब्र से नहीं बैठ सकते..

श्री राजनारायण मिश्र--

मेरी मन्शा यह नहीं है कि सदन उठ जाय।

श्री अध्यक्ष--

एक सवाल को बार-बार उठाया जा रहा है और वह मेरे ही सम्बन्ध में है। उससे सदन में एक अव्यवस्था हो रही है। मैं इस अव्यवस्था को १-२ मिनट में समाप्त कर दूं।

मैंने जो श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद जी से कहा था वह कार्यवाही मैंने मंगाई है। माननीय टम्ब्रेश्वर जी ने प्रश्न उठाया था कि "यह आप एडवोकेट जनरल की राय पर चलियेगा? डांडेकर आज एक मेम्बर की हैसियत से लोकसभा में बैठते हैं तो वह किस कानून के आधार पर बैठते हैं? क्या जजमेंट उनके लिये रुक गया?" इस पर मैंने उनसे कहा था कि "अगर आप बैठ जायं तो मैं बता दूं। माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद चूंकि वकालत नहीं पढ़े हैं और कानून नहीं पढ़े हैं इस वजह से यह मिसअन्डरस्टेंडिंग है।" यह मैंने कहा था और इसी से कुछ गलतफहमी उनके मन में हो गई थी....

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, बहुत से ऐसे लोग हैं कि कानून पढ़े हैं, लेकिन समझते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

नहीं समझते, तो वह आप ही जैसे हैं।

श्री उग्रसेन--

तो हमारा आपका इम्तहान हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

मेरी मन्शा बिलकुल वह नहीं थी जैसी कि समझी गई और मैं यह मानता भी नहीं कि सिर्फ वकील ही पालिटिक्स में आ सकते हैं, उसमें वह सभी जो जनसेवा करते हैं, आ सकते हैं। उस समय प्रश्न यह था कि चूंकि वह एक विषय अब विचाराधीन हो गया है इसलिये उस पर बहस हो या न हो। मैं यह समझा रहा था कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार अगर एक फैसला हो जाता है और उसकी अपील हो जाती है और जब उसका नोटिस निकल जाता है तब वह मामला विचाराधीन माना जाता है। यह चीज मैं स्पष्ट करना चाहता था और कानून को स्पष्ट कर रहा था कि यह आर्डिनरी ला है कि अगर अपील दायर हो जाय तो अदालत इब्तदाई का फैसला एग्जीक्यूट हो सकता है, उस पर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि विवादग्रस्त विषय विचाराधीन नहीं हुआ। अपील में जाकर मुकदमा उसी तरह से हो जाता ह जिस तरह स कि वह अदालत इब्तदाई में था।

## प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री खेमचन्द--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गौतम जी इस जांच के बाद अपने पूर्व थाने रकाबगंज में ही पोस्टेड हैं या उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

उनकी पोस्टिंग हो गई है।

श्री खेमचन्द--

श्रीमन्, मैं पुनः प्रश्न दोहरा रहा हूं कि गौतम जी जांच के बाद रकाबगंज में ही पोस्टेड हैं या किसी और थाने पर उनकी पोस्टिंग हो गई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

वह अब फतेहपुर सीकरी में अफसर दोयम हैं।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--

श्रीमन्, प्रश्न दो में लिखा गया है कि ११ जुलाई, १९६४ को छीपी टोला में गिरफ्तारियां हो रही थीं। इसके अन्तर्गत मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि गिरफ्तारियां हो रही थीं तो क्या उस समय पर श्री गौतम वहीं पर मौजूद थे ? यदि हां, तो कितनी गिरफ्तारियां हुईं तथा गिरफ्तारी के लिए वारन्ट ले लिए गए थे या बगैर वारन्ट के गिरफ्तारी हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

गिरफ्तारियां हो रही थीं और श्री गौतम जैसा मन्त्री जी ने बताया वह वहीं रहते हैं इसलिए आये। लेकिन गिरफ्तारी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और न मौजूद थे।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मन्त्री जी बतायेंगे कि मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे और उनमें से कौन से सिद्ध हुए ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

एक दूकान से गेहूं के बोरे और बहुत सा खाद्यान्न लूट लिया गया था। यह मुख्य कारण था।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

मन्त्री जी ने कहा कि उनका मकान उसी मोहल्ले में है इसलिए वहां उपस्थित थे इससे स्पष्ट है कि लाइन्स में हाजिर नहीं थे। फिर ऐसी कौन सी ऐवीडेंस उनके पास है जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि वह गिरफ्तारी के समय उस स्थान पर मौजूद नहीं थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

चूंकि डी० एस० पी० ने लिखा है कि श्री गौतम उस समय में नहीं थे।

श्री बनवारीलाल विप्र--

मेरी निश्चित जानकारी है कि श्री राम स्वरूप गौतम, सब-इन्स्पेक्टर छीपी टोले में रहते थे और वह इतने भ्रष्ट अफसर हैं कि जनता उनके खिलाफ थी तथा उनको नहीं चाहती थी इसलिए उनके व्यवहार के खिलाफ जनता ने डेमान्स्ट्रेशन किया, जिलाधीश की कोठी पर गए और डी० आई० जी० के यहां भी गए और उसके उपरान्त डी० आई० जी० ने महसूस किया कि उनका व्यवहार गलत है और होता रहा है। जब वहां की जनता गल्ले के सम्बन्ध में एक शिकायत लेकर गयी वहां जाकर स्वयं राम स्वरूप गौतम ने बताया कि अगर कोई गल्ला नहीं देता तो दूकान को लूट लो, इस तरह का उन्होंने आदेश दिया ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछें, सूचना न दें।

श्री बनवारीलाल विप्र--

असली बात यही है कि इस चीज की गम्भीरता को नहीं उठाया गया। मैं वही बताना चाहता हूं कि चूंकि राम स्वरूप गौतम उस जगह पर रहते थे और जब गिरफ्तारी ए० डी० एम० या डी० एम० के आदेश के अन्तर्गत हो रही थी तो केवल उन्हीं आदमियों को गिरफ्तार करवाया जिन लोगों ने उनके खिलाफ डेमान्स्ट्रेशन थाने में किया था और वहां वह मौजूद थे गिरफ्तारी के समय ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसमें वह लोग ही गिरफ्तार किए गए जिनके घरों में लूट का माल निकला।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, नियम २८९ में स्पष्ट है कि "मेम्बर आन्सरिंग ए क्वेश्चन शैल नाट गिव एनी इवेसिव रिप्लाई टु एनी क्वेश्चन"।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, इसकी इनसे हिन्दी करवाइए।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बार नहीं कितनी ही दफा कह चुका हूं कि अगर उत्तर से कोई संतुष्ट नहीं है तो मैं फिर आपको मौका दूंगा। तो नयम मैं जानता हूं। आप तो यही क्लेम कर सकते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो मैं फिर मौका दिला दूं। तो मैं मौका दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--

जितनी गिरफ्तारियां हुईं, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन सब के वारन्ट पहले से ले लिये गये थे या नहीं ? और सब-इन्स्पेक्टर को सजा के बतौर वहां से ट्रांसफर किया गया या आर्डिनरी कोर्स में ट्रांसफर किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यदि यह सवाल इस तरह से पूछा गया होता तो उसका जवाब मंगा लेते। इस समय हमारे पास इन सब की सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दूकान पर कितने वजन में कौन-कौन सामान लूटा गया था और थाने में कितने व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

२१ बोरा गेहूं, ५ बोरा चीनी और ६०० खाली बोरे उस दूकान से लूटे गये, ताला तोड़कर। जो उनके पास में सूरज भान की दुकान थी उनके यहां से १ बोरा गहूं, एक बोरा चीनी और एक घड़ी लूटी गयी है। दूसरा प्रश्न जो आपने किया है इसक उत्तर में निवेदन है कि केवल वे ही आदमी गिरफ्तार किये गये जिनके एफ० आई० आर० में नाम थे या जिनक पास चोरी का माल बरामद हुआ है।

श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ११-१२ को जब ११० गिरफ्तारियां हो गयीं, उसके बाद ४४ आदमी छोड़ दिये गये ? जिनको छोड़ दिया गया उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था ? क्या उनको निर्दोष समझ कर छोड़ दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैं उसके बाद आगरा गया था और वहां के लोगों का जिसमें छीपी टोला के लोग भी शामिल थे मुझसे एक डैप्युटेशन मिला। उस डेप्युटेशन में कुछ पोलिटिकल पार्टीज के लोग भी थे जो मेरे पास आये। मैंने वहां यह इन्सट्रक्शन जरूर दी थी कि इसमें देख लें कि जिनके खिलाफ शहादत ठीक है उनको रखें और जो शेष हों उनको छोड़ दें। इसलिए ४४ व्यक्तियों को छोड़ दिया गया।

## सहकारी बीज भण्डारों से बीज देने के सम्बन्ध में सुझाव

**३--श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी बीज भंडारों से ऐसे कृषकों को भी बीज दिलाने की व्यवस्था की जाएगी जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं ?

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)--

Co-operative Societies Rules के अनुसार सहकारी बीज भण्डारों से उन लोगों को बीज नहीं दिया जा सकता जो समिति के सदस्य नहीं हैं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीरसिंह--

इस साल खाद्यान्न की कमी के कारण लाखों किसान ऐसे हैं जिनके पास बीज बोने के लिए गेहूं नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि ऐसे किसानों को, जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं, बीज देने की व्यवस्था नहीं की गयी तो मेरा अपना अनुमान है कि उससे रबी की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार उस गेहूं में से, जो पंजाब से आ रहा है, बीज के लिए ऐसे किसानों को देने की व्यवस्था करेगी जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं ?

श्री बनारसीदास--

सहकारी अधिनियमों के अनुसार जो व्यक्ति सहकारी समिति के सदस्य नही हैं उनको बीज देने के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बीज लेना चाहता है वह आसानी से समिति का सदस्य बन सकता है। नक्द अगर लेना चाहता है तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है।

श्री रघुवीरसिंह--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है। मैं यह समझता हूं।

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं निवेदन कर दूं। जब प्रश्न इतना लम्बा किया जाता है तो उसका आशय साफ नहीं होता और उलझ जाता है। प्रश्न सीधा होना चाहिए। आप सीधा-सीधा प्रश्न कीजिए।

श्री रघुवीरसिंह--

मैं यह समझता हूं कि सहकारी समितियों के नियमानुसार बीज भण्डारों से उन्हें बीज नहीं दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि इस बात को जानते हुए कि ९५ फीसदी किसानों के पास बीज नहीं है उन्हें बीज दिलाने की क्या व्यवस्था करेंगे? जो ह्वीट पंजाब सरकार से हमें मिल रहा है उसे किसानों को बीज के लिए दिलाने की व्यवस्था करेंगे विशेषकर उन लोगों को जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं और जिन के पास बीज के लिए गेहूं नहीं है?

श्री बनारसीदास--

मैंने निवेदन किया था कि सहकारी समितियों के जो सदस्य नहीं हैं उनको उधार नहीं दिया जा सकता है लेकिन अगर कोई नकद लेना चाहे तो वह नकद ले सकता है लेकिन समिति का बिना सदस्य बने उसको बीज नहीं देगी।

श्री रघुवीरसिंह--

हमारी सरकार को जो बीज पंजाब सरकार से मिलेगा उसे देगी या नहीं देगी?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

पंजाब सरकार से अभी बहुत कम मिला है। अगर काफी मिला तो हम लोग खुद सोच रहे हैं कि उस गेहूं को बीज में लगा दें और यहां का खाने के काम में लायें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

१० करोड़ रुपया रबी के बीज के लिए सप्लीमेंटरी बजट में रखा गया है और उससे बीज खरीदने की योजना बनाई गयी है तो सहकारी बीज भण्डारों के द्वारा वह दिया जायगा या उसको अलग से भी दिया जायगा?

श्री बनारसीदास--

शुरू में ही मैंने बतला दिया कि जहां तक बीज के प्रबन्ध का सवाल है वह सहकारी समितियों के द्वारा भी दिया जाता है और विशेष परिस्थितियों के अन्दर जिलाधीश भी तकावी का प्रबन्ध बीज के लिए करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने पूछा है कि कोई रकम है, उसका जो बीज आयेगा वह सहकारी समिति द्वारा वितरित किया जायगा या और किसी तरह से भी?

श्री बनारसीदास--

वह रकम १० करोड़ रुपया नहीं है, २ करोड़ रुपया है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

बीज का काम कृषि विभाग करता रहा है जो कि अब सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है और उसकी अशुद्धता के सम्बन्ध म कई बार सदन म जिक्र आया है तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी पुनः व्यवस्था करेंगे कि बीज का काम कृषि विभाग को ही दे दें ?

श्री बनारसीदास--

कई दफा इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है। कृषि विभाग ने इन बीज गोदामों को सहकारी विभाग को कई वर्ष हुए दे दिया। काफी वसूलयाबी पुरानी पड़ी हुई है जो वसूल हो रही है और सहकारी विभाग द्वारा बीज का वितरण भी संतोषजनक रूप से हो रहा है। जो सदस्य हैं उन्हीं को बीज दिया जाता है और दूसरे लोगों पर कोई प्रतिबिन्ध नहीं है, वे तकावी के द्वारा दूसरी व्यवस्था में उसे ले सकते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार के पास ऐसी सूचना है कि सहकारी समितियों ने इस तरह की डिमांड की है कि उनको इतने बीज की आवश्यकता इस वर्ष होगी और अगर ऐसा है तो उसका कितने प्रतिशत बीज सरकार अब तक मुहइय्या कर चुकी है ?

श्री बनारसीदास--

इतनी विस्तृत सूचना के लिए नोटिस की आवश्यकता है। वैसे जगह-जगह से जिलों से मांग आ गयी है और उसके मुताबिक इन्तजाम किया गया है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

सप्लीमेंटरी बजट में दो करोड़ रुपया बीज के लिए रखा गया है तो यह बीज सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जायगा या कृषि विभाग के माध्यम से ?

श्री बनारसीदास-

दोनों तरह से ही किया जायगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

इस वक्त देहातों में बीज की बड़ी कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए सरकार बीज का प्रबन्ध करने जा रही है लेकिन फैजाबाद जिले में करीब २० बीज भण्डार बन्द कर दिये गये हैं जिससे वहां की जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि इन बीज भण्डारों को खोल दिया जाय जिससे वहां किसानों को बीज प्राप्त हो सके ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन --

प्रदेश के गई जिलों में बहुत भीषण बाढ़ आई हुई है तो यह लाखों किसान जो बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित हैं और सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं उनको बीज देने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, काफी जिले ऐसे हैं वहां पर कृषि विभाग के गोदाम हैं और काफी जगह नहीं है। लेकिन जितने बीज की आवश्यकता है उसकी प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट से सूचना मंगायी गयी है। जो सहकारी बीज गोदाम के सदस्य नही हैं उनके लिए भी उस सूचना के आधार पर बीज सप्लाई करने की कोशिश तकावी द्वारा की जायगी। गत वर्ष काफी बीज की मांग की गई थी जिसमें से काफी बीज पड़ा रह गया था। इसलिए जो अन्दाजा लगाया गया है उसके आधार पर पूरा करने की कोशिश की गई है। काफी किसान ऐसे हैं जो अपने यहां बीज रखते हैं।

श्री दयाराम शाक्य--

क्या मन्त्री जी खाद्यान्न के संकट को देखते हुए बतायेंगे कि पिछले वर्ष के मुकाबले में कितने अधिक बीज की व्यवस्था की गई है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं बुलाया गया।)

## लखनऊ व इलाहाबाद की बिजली कम्पनियों को राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत लेना

**४--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ और इलाहाबाद की बिजली कम्पनियों का एग्रीमेंट माह सितम्बर, सन् १९६४ में पूरा हो रहा है ? और उक्त कम्पनियों को सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिए जाने से सम्बन्धित नोटिस इत्यादि भी कानूनी तरीके पर दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त कम्पनियों को अब सरकार लेने के पक्ष में नहीं है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

जी हां, लखनऊ और इलाहाबाद की बिजली कम्पनियों के लाइसेन्स की अवधि दिनांक १६ सितम्बर, १९६४ को समाप्त होती है। उक्त कम्पनियों को लेने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है। परिषद् द्वारा कम्पनियों को लेने के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या यह सही है कि लखनऊ और इलाहाबाद बिजली कम्पनियों के मालिक एक ही व्यक्ति हैं और कितने रुपए की मांग की गई है और सरकार ने क्या जांच कराई है कि कितने रुपए की मालियत हो सकती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मालिक तो एक ही व्यक्ति है लेकिन जांच हो रही है और अभी बताना ठीक नहीं होगा कि कितने की मालियत होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव--

मन्त्री जी ने जैसा कहा है कि इन बिजली कम्पनियों के लेने के निर्णय में परिषद् का अभी परिवर्तन नहीं हुआ है तो क्या इसकी अवधि के अन्दर सरकार या परिषद् इनको लेने में समर्थ होंगे ? यदि नहीं, तो कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यही तो मैंने कहा कि १६ सितम्बर को अवधि समाप्त होते ही परिषद् का विचार इनको लेने का है।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिस तरह से झांसी की कम्पनी ली गयी तो उसके मालिक ने बहुत सा सामान हटा लिया था उसी तरह से बहुत सा जरूरी सामान यहां से भी हटा लिया गया है? क्या वे इसकी जांच करायेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

### इटावा में कोर्ट स्टाम्प की कमी

*१--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा) तथा श्री सुखलाल (जिला इटावा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि इटावा जिले की कलेक्टरी और दीवानी कचेहरियों में चार आने, आठ आने, बारह आने और बीस आने के कोर्ट फीस स्टाम्प नहीं हैं और उनके कारण जनता को २ रु० के टिकट लगाने पड़ रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र वहां टिकट भिजवाने का प्रबन्ध करेगी?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

इटावा की कचहरियों में २५, ५० पैसे तथा १.२५ पैसे के टिकटों की अब कोई कमी नहीं है। किन्तु ७५ पैसे के टिकट नहीं हैं, इनकी जगह पर २५ और ५० पैसे के टिकट लगा कर काम हो रहा है। ७५ पैसे के टिकटों को शीघ्र भेजने के लिए कन्ट्रोलर आफ स्टैम्प्स को लिखा जा चुका है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किस तारीख से किस तारीख तक टिकटों की कमी रही और इस बीच में कितनी दरख्वास्तें आई और टिकट क्यों नहीं भेजे गए?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

२५ नए पैसे के टिकटों की कमी २५-४-६४ से १८-८-६४ तक थी, ५० नए पैसे की २९-७ से १८-८ तक और ७५ नए पैसे की ४-७-६४ से अब तक है। कितनी दरख्वास्तें आयीं, इसके फिगर्स मेरे पासनहीं हैं। लेकिन कलेक्टर इटावा ने नवम्बर में इंडेंट भेजा था कि टिकट जल्द भेजे जायं। कन्ट्रोलर आफ स्टैम्प्स ने कहा कि एनुअल स्टाक चेकिंग की वजह से नहीं दे पायेंगे। अप्रैल में भी नहीं भेज पाये। १८ मई को ५०, ७५ और डेढ़ रुपए के भेजे हैं, फिर ३० मई को भेजे हैं और अब भी कमी है। जुलाई और अगस्त में फिर तकाजा किया और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द आ जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह टिकटों की कमी इटावा में ही नहीं बल्कि बनारस, मुजफ्फरनगर तथा सूबे के और जिलों में भी है तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी ऐसी कोई व्यापक व्यवस्था करेंगे जिससे साल भर के अन्दर कोई कमी न पड़ने पाये और जनता को कोई कठिनाई न हो?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इसकी व्यवस्था हमारे हाथ के बाहर है, केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों को तकलीफ न हो। इन्डेन्ट पिछले नवम्बर में उनको भेजा गया लेकिन कन्ट्रोलर आफ स्टाम्प्स की तरफ से नहीं आए। हम पूरा प्रयास करते हैं कि जनता को कोई तकलीफ न हो।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

माननीय मुख्य मन्त्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि इन टिकटों की बहुत दिनों तक कमी रही, तो इस प्रकार से टिकटों का प्रबन्ध करने में जिस अधिकारी ने लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि हमारे अधिकार की यह बात नहीं है। मांग की गई लेकिन उनको नहीं मिला। सेन्टर के कन्ट्रोल में यह चीज है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में यह देखा जाता है कि टिकट बराबर कई हफ्ते तक नहीं मिलते हैं और हमारे गाजीपुर जिले के बारे में भी यही दशा है ? मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि हर साल जो व्यवस्थित रूप में जनता को टिकट नहीं मिलते हैं और ४ आने के स्थान पर १।। रुपया और २ रुपए के टिकट लगाने पड़ते हैं इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

केवल ४ महीने कमी रही थी जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बतलाया। गाजीपुर में, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया, जब वहां पर कमी हुई तो अगल-बगल के जिले से स्टाम्प मंगाकर जनता की मांग को पूरा किया गया।

श्री ऊदल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है तो माननीय मुख्य मन्त्री ने कैसे कह दिया कि वह हमारे अधिकार के बाहर है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा कि स्टाम्प सेन्टर से आते हैं। हम उनको इंडेंट कर देते हैं।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टाम्प और टिकट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेशीय सरकार की है और सेन्टर की नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हम कंट्रोलर आफ स्टाम्प्स, नासिक रोड को इंडेन्ट भेजते हैं जो केन्द्रीय सरकार के मातहत है। वैसे तो सभी चीजों के लिये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुये कि हर मार्च के प्रारम्भ में यह टिकटों की कठिनाई पैदा हो जाती है, मार्च के महीने से एक हफ्ताह पहले टिकटों को मंगाने की व्यवस्था करेंगे जिस से जनता को कोई परेशानी न उठानी पड़े ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सरकार की तरफ से जूनियर सेक्रेटरी बोर्ड आफ रेवेन्यू ने रिमाइंडर इन्डेन्ट का सेक्योरिटी प्रेस, नासिक को भेजा था, किन्तु अभी उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

जब से यह टिकटों की कमी पड़ी तब से सरकार की तरफ से टिकटों को लाने के लिये कोई पत्र भेजा गया और यदि भेजा गया तो कब ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सरकार की तरफ से जरूर लिखा गया और ४ सितम्बर, १९६४ को एक पत्र डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां से जूनियर सेक्रेटरी बोर्ड आफ रेवेन्यू को गया और जूनियर सेक्रेटरी के यहां से ५ सितम्बर, १९६४ को कंट्रोलर को लिखा गया ।

## कौड़िहार ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद जिले के कौड़िहार ब्लाक के ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध जिलाधीश को अविश्वास का प्रस्ताव दिनांक २२ जुलाई, १९६४ को मिला है ? यदि हां, तो उसम क्या कार्यवाही हुई ?

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

दिनांक २१ जुलाई, १९६४ को क्षेत्र समिति कौड़िहार के प्रमुख के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव जिलाधीश इलाहाबाद को दिया गया था । इस प्रस्ताव पर ६२ सदस्यों के हस्ताक्षर थे जिनम से १३ सदस्यों ने एक हलफनामा दिया कि उक्त प्रस्ताव पर उनसे धोखे से हस्ताक्षर कराये गये थे । चूंकि शेष हस्ताक्षर करने वालों की संख्या क्षेत्र समिति के सदस्यों की आधी संख्या से कम रह गई, अतः प्रस्ताव पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बतलायेंगे कि इन १३ सदस्यों ने हलफनामा किस तारीख में और किस अदालत में दिया और क्या क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम में हलफनामा देने का कोई प्राविधान है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

हलफनामा २५ जुलाई और १ अगस्त को दिया । २७ आदमियों के हलफनामें जब मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचे तो उसको उन्होंने इंक्वायरी के लिये एस० डी० एम० के पास भेज दिया । अधिनियम में हलफनामें का कोई प्राविजन नहीं है । उसमें तो केवल यह लिखा है कि जब कोई नो-कांफीडेन्स प्रस्ताव दिया जाय तो वह १ महीने के अन्दर मीटिंग बुलाने की कार्यवाही करेगा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार बतायेगी कि इस अविश्वास के प्रस्ताव में कौन-कौन से आरोप लगाये गये थे ?

श्री राममूर्ति—

उसकी प्रति मेरे पास नहीं है ।

श्री मेवालाल जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो १३ व्यक्तियों ने हलफनामा दिया है, वह जिलाधीश और दूसरे आदमियों द्वारा उन पर दबाव डालकर दिलाया गया है और क्या इसकी जांच मंत्री जी सी० आई० डी० द्वारा करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

ऐसी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन १३ व्यक्तियों ने हलफनामें में क्या-क्या बातें कहीं हैं और क्या जो वह बतलाते हैं कि हमने धोखे में दस्तखत कर दिये क्या वही आरोप अविश्वास के प्रस्ताव में भी लगे हुये थे ?

श्री राममूर्ति—

जो एफीडेविट पेश किया गया है उसमें लिखा है कि हमसे दस्तखत गल्ले की दुकानें खुलवाने के लिये कह कर करवा लिये गये थे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जब अधिनियम के अन्दर इस सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है और साफ है कि एक महीने के अन्दर मीटिंग बुलवाना उसके लिये जरूरी है तो मीटिंग बुलाने की कार्यवाही न करके, हलफनामे पर कार्यवाही कलेक्टर ने क्यों की और क्या इस बात के लिये सरकार उस पर कार्यवाही करने का विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—

ऐसी शिकायतें इस प्रदेश में कई जगह से आयीं । चूंकि यह कानून का मामला है इसलिये हमने इसे न्याय विभाग को रेफर कर दिया है । सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी पंचायतराज की जितनी कार्यवाही है थोड़े दिनों से चल रही है और बहुत-सी नयी बातें इस में पैदा हो रही हैं । अगले बिल में इन चीजों को दूर करने की कोशिश की जायगी, लेकिन यह सही है कि बहुत से लोग गलत दस्तखत करके ऐसा कराते हैं । तो इन झगड़ों को दूर करने के लिये अगर किसी ने एफीडेविट दिया है और उस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह कदम उठाया है तो वह सही तरीके से काम कर रहा है यह समझ में आता है और उसने कोई गलत काम नहीं किया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब विधेयक में हलफनामे का कोई प्राविधान नहीं है और यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव जिस दिन आए उसी दिन मीटिंग की तारीख तय हो जानी चाहिये तो जिलाधीश ने ७ दिन का इंतजार क्यों किया ? क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को इशारे से बुलाया जा रहा था कि वे इस प्रकार अपना हलफनामा दाखिल करें और वह प्रस्ताव टाला जाय ?

श्री राममूर्ति—

मैंने उसका जवाब दिया २१ तारीख को । जब यह पेश किया गया तो २५ तारीख को दूसरी कार्यवाही शुरू हुई, ४ दिन का वक्फा रहा, लेकिन मैं मानता हूं चूंकि प्राविधान साफ नहीं है इसलिये ला डिपार्टमेंट .....(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

प्राविधान ऐक्ट में कहीं नहीं है आप साफ बात कीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिये और तरीके हैं, बहस की गुंजायश नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह---

माननीय मंत्री जी मानते हैं कि अधिनियम में प्राविधान नहीं है हलफनामे का। तो जब अविश्वास का प्रस्ताव आया तो उनके दस्तखत तो गलतफहमी में हुए थे, अगर नोटिस ईश्यू होता तो उसमें आगे कार्यवाही होती, उसमें परेशानी क्या थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वोट क्यों नहीं करा लिया ?

श्री राममूर्ति---

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उसमें क्या परेशानी होती। नो-कान्फिडेंस के रेजोल्यूशन में जो होती है वही इसमें भी होती।

---

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८, के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

## विकास क्षेत्र, रुद्रपुर में सिलाई मशीनों का वितरण

*१---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुद्रपुर, जिला देवरिया विकास क्षेत्र में जब से विकास कायम हुआ तब से ३१ मई, १९६४ तक कितनी औरतों को सिलाई की मशीनें दी गईं और उनमें कौन-कौन विधवायें हैं ? सिलाई की मशीन किस आधार पर औरतों को दी जाती है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

विकास क्षेत्र रुद्रपुर में जब से विकास क्षेत्र कायम हुआ है तब से ३१ मई, १९६४ तक कुल १३ विधवाओं को सन् १९६२-६३ में तथा ८ विधवाओं को वर्ष १९६३-६४ में ब्लाक उद्योग (नान-रेकरिंग ग्रांट) से अनुदान दिया गया है। सभी अनुदान विधवाओं को ही दिया गया है। अनुदान देने का विधान यह है कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग का गृह उद्योग का अनुदान क्षेत्र समिति के माध्यम से स्वीकृत कराये जाते हैं बाकी उद्योग का अनुदान क्षेत्र विकास अधिकारी के द्वारा ५० फीसदी के अनुपात पर विधवाओं को दिया जाता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन १३ विधवाओं के स्वर्गीय पतियों के क्या नाम हैं और उनका घर कहां है ?

श्री राममूर्ति---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

मंत्री जी को कैसे मालूम हो गया कि वह १३ सभी विधवाएं हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यही वहां से रिपोर्ट आयी है, आप और कुछ प्रश्न पूछिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

ये १३ विधवायें नहीं हैं, सब सधवायें हैं और लड़कियां हैं, उनको विधवा के नाम पर यह दी गयी है।

श्री राममूर्ति—

माननीय चन्द्रबलीसिंह लिख कर दे दें। अगर सबके पति जीवित हैं तो हम सबसे मशीनें वापस करा लेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

कृपा करके नामावली दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

जब आपको नाम नहीं मालूम है तो कैसे कहते हैं कि विधवा नहीं सधवा हैं?

(हंसी)

श्री राममूर्ति—

हम दे देंगे।

## पूर्वी जिलों में सीमेंट की कमी से कूप निर्माण में कठिनाई

*२—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर में पटेल आयोग के सुझाव पर लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो कुयें बन रहे हैं वे सीमेंट के अभाव में नहीं बन पा रहे हैं, जब कि सिर्फ गाजीपुर में १६ सौ कुयें बन रहे हैं और २० बोरी फी कुयें के हिसाब से सीमेंट की जरूरत है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की है?

श्री बंशीधर पांडेय—

फैक्टरियों में उत्पादन कम होने से अप्रैल-जून त्रैमास में सीमेंट का अभाव रहा लेकिन इन जिलों को लघु सिंचाई कार्यों के लिये पर्याप्त कोटा दिया जा रहा है। शासन ने आदेश दिये हैं कि सीमेंट सर्व प्रथम लघु सिंचाई कार्यों पर ही इस्तेमाल की जाय और उन कार्यों की आवश्यकता पूर्ति होने पर ही सीमेंट दूसरे विकास कार्यों में प्रयोग किया जाय।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कुओं की खुदाई जून तक होती है, जुलाई में पानी बरस जाता है तो तीन महीने में जो कमी थी उसकी पूर्ति कैसे की गयी और चार जिलों की जितनी सीमेंट की मांग थी उसमें से कितनी पूरी की गयी?

श्री बंशीधर पांडेय—

आजमगढ़ जिले में २,५५७ कुओं का लक्ष्य था और उसके लिये ३,६३५ टन सीमेंट की मांग की गयी थी। आजमगढ़ जिले के लिये जून तथा सितम्बर त्रिमास में क्रमशः १,८१७ तथा ३,३३५ टन सीमेंट एलाट की गयी थी। देवरिया जिले में ३,६७० सिंचाई कूप निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था और ७,२०० टन सीमेंट की मांग वहां से उसके लिये आई है जिसमें जून तथा सितम्बर त्रैमास में क्रमशः १,८४० तथा १,९०९ टन सीमेंट एलाट की जा चुकी है।

सीमेंट के अभाव की पूर्ति के लिये १० हजार टन सीमेंट अभी प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा दिसम्बर त्रिमास के लिये ५० हजार टन सीमेंट की मांग शासन के विचाराधीन है। इसमें से आजमगढ़, देवरिया तथा जौनपुर को दिया जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या यह सही है कि मार्च से लेकर जुलाई तक गाजीपुर जिले में सिंचाई विभाग, पी० डब्ल्यू० डी० विभाग तथा बाढ़ विभाग के जितने भी कंन्ट्रक्शन्स वर्क चल रहे हैं उनमें एक भी बोरा सीमेंट नहीं दिया गया और जो २-४ बोरा किसानों को मकानों की मरम्मत के लिये दिया जाता था वह भी नहीं दिया गया ? सीमेंट न दिये जाने के कारण जो कुयें ढह गये क्या उनकी जांच कराकर सरकार उनको हरजाना देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति--

सरकार की बराबर यह कोशिश रहती है कि जितनी भी जनता की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाय। अब सीमेंट चूंकि केन्द्रीय सरकार के जरिये से मिलता है इसलिये उसमें हमारी मजबूरी है। जितना भी कोटा हमको मिलता है उसको हम बांट देते हैं। अब यह हमारी बदकिस्मती है कि पूरा कोटा न मिलने के कारण हम पूरा सीमेंट नहीं दे पाते।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले से कितनी सीमेंट की मांग थी और कितना आप दे सके हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

त्रैमास में ३,६३५ टन की मांग थी और १,८१७ टन दिया गया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

जौनपुर के लिये कितना लक्ष्य था और कितना दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जौनपुर का तो इसमें पूछा नहीं गया था.... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

पूछा गया है, प्रश्न में वह भी है।

श्री बंशीधर पांडेय--

जौनपुर के लिये २,५९९ टन की मांग है।

श्री कमलासिंह यादव--

गाजीपुर के लिये कितने की मांग थी ?

श्री अध्यक्ष--

(मंत्री से) आप सभी के बारे में बता दीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय--

आजमगढ़ जिले में २,५५७ सिंचाई कूप निर्माण का लक्ष्य रखा गया है तथा ३,६३५ टन सीमेंट नियोजन कार्यों के लिये और मांग प्रस्तुत की है। आजमगढ़ जिले के लिये जून तथा सितम्बर त्रिमास में क्रमशः १,८१७ तथा ३,३३५ टन सीमेंट एलाट की गई थी। जून के त्रिमास में सीमेंट के अभाव के कारण अल्प सिंचाई के कार्यों के बनने में कुछ बाधा हो गई थी।

देवरिया जिले में ३,६७० सिंचाई कूप निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है तथा अल्प सिंचाई के कार्यों के लिये ७,२०० टन सीमेंट की मांग अभी हाल में आई है। जिसमें से जून तथा सितम्बर त्रैमास में क्रमशः १,८४० तथा १,९०९ टन सीमेंट एलाट की जा चुकी है। जिला नियोजन अधिकारी देवरिया ने बताया है कि सीमेंट के अभाव के कारण ६०७ सिंचाई के कुएं

[श्री बंशीधर पांडेय]

तथा २०० नलकूपों का निर्माण कार्य रुका हुआ है। जिसके लिये १०,००० टन अतिरिक्त सीमेंट के प्राप्त कोटे में से इस जिले को ३०० टन सीमेंट एलाट करने के लिये प्रान्तीय नियंत्रक लोहा एवं इस्पात कानपुर को लिखा जा चुका है। जौनपुर जिले में ४,००० सिंचाई के कूप निर्माण का इस वर्ष में लक्ष्य रखा गया है तथा इस जिले की सीमेंट की कुल मांग १०,९६८ टन अभी हाल में आई, जिसमें से जून तथा सितम्बर त्रिमास में क्रमशः १,७९४ तथा २,१८५ टन सीमेन्ट एलाट की जा चुकी है। जिला नियोजन अधिकारी ने बताया है कि जिले में सीमेंट का अभाव है। सीमेंट के अभाव की पूर्ति हेतु अभी शीघ्र ही १०,००० टन सीमेंट प्राप्त हुई है जिसमें से ३०० टन सीमेंट इस जिले को एलाट करने के लिये प्रान्तीय नियंत्रक लोहा एवं इस्पात कानपुर को लिखा जा चुका है।

इसके अतिरिक्त दिसम्बर त्रिमास के लिये ५०,००० टन सीमेंट की मांग शासन के विचाराधीन है जिसमें से आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों को इस त्रिमास में क्रमशः ३,००३,२,२५५,२,५९९ तथा २,८०० टन सीमेंट एलाट करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जनवरी-मार्च त्रैमास में ७५,००० टन सीमेंट की मांग की गई है इसमें से भी इन जिलों को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट का भाग दिया जायगा। आशा यह है कि मार्च, १९६५ तक कोई सीमेंट की कमी न रहे।

आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों में १९६४-६५ वर्ष में अगस्त ६४ तक क्रमशः १,६२७--१,५८४--१,१२३ तथा १,५१९ सिंचाई के कूप बन चुके हैं।

गाजीपुर जिले में ३,६२४ सिंचाई कूप निर्माण का लक्ष्य है। अप्रैल से जून तक जुलाई से सितम्बर वाले त्रैमास में क्रमशः १,५०६ तथा २,३२३ टन सीमेंट इस जिले को सब विकास कार्यों के लिये एलाट किया जा चुका है।

चार सीमेंट फैक्टरियों में उत्पादन की कमी होने से भारत सरकार त्रैमास अप्रैल से जून में पर्याप्त सीमेंट देने में असमर्थ रही।

श्री ऊदल--

जो कुएं खोदे गये हैं उनमें से बहुत से कूप सीमेंट न मिलने के कारण बैठ गये हैं और बहुत से आज भी खड़े हैं। क्या सरकार इस बात की जांच कराकर कि कितने कूप खुदे खड़े हैं, सीमेंट देने की जल्द से जल्द व्यवस्था करेगी ताकि वे कूप न बैठ सकें ?

श्री राममूर्ति--

जो बैठ गये हैं, उनके लिये हमदर्दी है, जो खड़े हैं उनको देंगे।

श्री मैनेजरसिंह--

पटेल आयोग के अन्तर्गत जो कुएं बनाने की स्कीम चल रही है, और जिसमें सीमेन्ट का रेगुलर कोटा भी ले लिया गया है तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि रेगुलर कोटा से अतिरिक्त सीमेंट का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार करे, क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार की ही योजना है ?

श्री राममूर्ति--

कोशिश तो यही है लेकिन माननीय सदस्य को ज्ञात है कि आजकल सारे हिन्दुस्तान में खाने की कमी है तो प्रायारिटी पहले कुओं के लिये ही है ताकि खाने की दिक्कत दूर हो।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या मंत्री जी सीमेंट की कमी देखते हुये ब्लाक क्षेत्रों को यह आदेश देंगे कि वे सीमेंट की जगह कंकर से जो चूना बनता है, उसका प्रयोग करें ?

श्री राममूर्ति—

यह भी विचाराधीन है ।

## रामनगर, विकास केन्द्र में कूप निर्माणार्थ अनुदान

*३—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिलान्तर्गत विकास खंड, रामनगर में स्वच्छ पेय जल हेतु कूप निर्माणार्थ १९६१-६२, १९६२-६३ और १९६३-६४ वर्षों में किसको और कितना-कितना अनुदान जिला नियोजन समिति तथा क्षेत्र विकास समिति द्वारा दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचनायें संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१०–८११ पर )

## कम्पाउण्डरों के लिए रिफ्रेशर कोर्स

*४—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, १९६१ से दिसम्बर, १९६२ तक नियुक्त तथा उत्तर प्रदेश फार्मेसी ऐक्ट की धारा ३१-डी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड अनट्रेन्ड सरकारी कम्पाउन्डरों के रिफ्रेशर कोर्स की सरकार ने क्या व्यवस्था की है जिस से उन्हें १९५६ तक नियुक्त तथा रिफ्रेशर कोर्स पास इसी प्रकार के सरकारी कम्पाउन्डरों के समान वेतन व अन्य सुविधायें मिल सकें ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि अनट्रेन्ड कम्पाउन्डरों के रिफ्रेशर कोर्स का केवल एक ही स्थान पर प्रबन्ध है जहां से केवल ५० व्यक्ति एक बार में निकल सकते हैं ? यदि हां, तो सरकार अनट्रेन्ड की बड़ी संख्या को देखते हुये रिफ्रेशर कोर्स के लिये कुछ अन्य केन्द्र भी खोलेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कोई नहीं ।

## रिएम्प्लायड रिटायर्ड डाक्टरों का वेतन

*६—श्री नेकराम शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जो डाक्टर रिटायरमेंट के बाद पिछले एक साल में रिइम्प्लाय किये गये हैं (मैन और वूमैन ब्रांच में) उनको कितने दिन से वेतन नहीं मिला है ? और यदि नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला और कब तक मिलने की आशा की जाये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

---

नोट—तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

## फाउन्डेशन फार न्यू एजूकेशन संस्था

*७—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न १६ के उत्तर में जो यह कहा गया था कि "जांच अभी अपूर्ण है पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित विभागों से परामर्श किया जावेगा", तो क्या जांच और परामर्श का कार्य पूरा हो गया ? यदि हां, तो जांच के किस-किस तथ्यों पर किस-किस संबंधित विभाग से परामर्श लिया गया और उन विभागों ने परामर्श में क्या-क्या सूचनायें और सुझाव दिये और अब इस सारी कार्यवाही की पृष्ठभूमि में मंत्री महोदय क्या उचित व्यवस्था करने की सोच रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं, अभी जांच तथा परामर्श का कार्य पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं हो पाया है ।

## मथुरा जिले में सेनेटरी इन्स्पेक्टर के खिलाफ जांच

*८—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ के अगस्त में जो बृज यात्रा लगभग ४१ दिन चली थी उसमें स्वास्थ्य रक्षा हेतु सरकार ने कितने धन की स्वीकृति प्रदान की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक संक्रामक रोग शाखा ने ८,००० रु० (आठ हजार) बृज यात्रा १९६३ में स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्वीकृत किया था ।

*९—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि हेल्थ आफिसर मथुरा ने अपने विशेष अधिकार से किसी इंस्पेक्टर की पूरी ड्यूटी चलवाई और इंस्पेक्टर साहब ने फी दुकानदार से १० रुपये रोज वसूल किये ? यदि हां, तो क्या यह सरकारी आज्ञा से किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी मथुरा को अधिकार दिया था कि वह बृज यात्रा में एक इंस्पेक्टर अपने जिले में से ले लें । परन्तु रुपए की वसूली की कोई आज्ञा नहीं दी गयी ।

*१०—श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी तथा विभाग के पास इस बारे में दुकानदारों के प्रार्थना-पत्र आये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस विषय में कुछ शिकायतें सेनीटरी कम फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ सरकार के पास आयी हैं जिन पर जांच की जा रही है ।

## कानपुर में टेनरी मजदूरों की मांगें

*११—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर तथा जिले में कितने टेनरी के कारखाने हैं और दिनांक १७ जुलाई, १९६४ को कितने हर तरह के मजदूर हर टेनरियों में अलग-अलग काम कर रहे थे ? टेनरियों में काम करने वाले आम मजदूरों का निम्नतम मासिक वेतन-क्रम क्या है ।

श्री बनारसीदास--

कानपुर में २४ टेनरी के कारखाने हैं जिनमें दो कारखाने बन्द हैं, शेष २२ कारखानों में अलग-अलग विभिन्न वर्गों के मजदूरों की संख्या तालिका† में दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

टेनरियों में कार्य करने वाले मजदूरों का न्यूनतम मासिक वेतन ४५ रु० है जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

*१२--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले १ साल के अन्दर टेनरी मजदूरों ने कब-कब मांग पत्र श्रमायुक्त से लेकर श्रम मंत्री तक प्रेषित किये ? क्या उन मांग-पत्रों में टेनरी वेतन आयोग नियुक्त करने की भी मांग है ? यदि हां, तो सरकार क्या वेतन आयोग नियुक्त करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

टेनरी मजदूरों की ओर से मांग-पत्र दिनांक ८-९-६३, ६-१२-६३, ५-५-६४ व १९-६-६४ को प्रेषित किये गये, जिनमें ८-९-६३, ६-१२-६३ व १९-६-६४ के मांग-पत्रों में वेतन आयोग के नियुक्त करने की मांग थी।

वेतन आयोग की नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा की जाती है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

## बाराबंकी जिले में सिलाई मशीनों का वितरण

*१३--श्री गिरजाप्रसाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिले में विकास खण्डवार गत तीन वर्षों में कितने लोगों द्वारा सिलाई की मशीन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये गये, किन-किन लोगों के अधिकारियों द्वारा मशीन लेने की स्वीकृति दी गयी और किसको-किसको सिलाई की मशीनें दी गयीं ?

श्री राममूर्ति--

इस जिले में कुल १६ विकास क्षेत्र हैं जिनमें गत तीन वर्षों में २१, २३, ३२ लोगों से सिलाई की मशीन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। प्रति वर्ष, अधिकारियों ने जिन्हें सिलाई की मशीन देना स्वीकृत किया उनकी खण्डवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८१२-८१३पर)

[९ सितम्बर, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## फतेहपुर जिले में ब्लाक कर्मचारी

*१--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

११-१२-६३ के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में संदर्भ में क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १३ ब्लाकों के ५९४ विभिन्न कर्मचारियों में से १०८ न रखकर केवल ५१ हरिजन कर्मचारी रखने का मुख्य कारण क्या है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री राममूर्ति--

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित आपके अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के क्रम में जो कि सदन में दिया गया था, उसमें बतलाये गये आंकड़ों तथा आप द्वारा प्रसंगत प्रश्न में पूछे गये आंकड़ों में जो तुलना की गयी है, वह स्पष्ट नहीं है। पूर्व प्रश्न में उल्लिखित ५९४ विभिन्न कर्मचारी, जिनमें ६१ हरिजन बताए गये हैं, न समझ कर कुल ६७२ कर्मचारी समझे जायं जिसमें ६१ हरिजन हैं। जिलान्तर्गत ६७२ कर्मचारियों में ६१ हरिजन कर्मचारी होने एवं हरिजनों की निर्धारित संख्या में नियुक्ति न होने का मुख्य कारण निर्धारित योग्यता प्राप्त हरिजन अभ्यर्थियों का सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध न होना है।

## आई० टी० आई०, इलाहाबाद में श्री एस० के० डी० तिवारी की पदोन्नति

*२--श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई० में काम करने वाले इंस्ट्रक्टरों की पदोन्नति करने का क्या आधार है ?

श्री बनारसीदास--

आई० टी० आई० में सुपरवाइजर के पद के लिये इंस्ट्रक्टरों की पदोन्नति वरिष्ठता योग्य व्यक्तियों को अस्वीकृत करते हुए (Seniority subject to the rejection of unfit) तथा व्यवसाय की आवश्यकता (trade requirement) के आधार पर की जाती है।

*३--श्री विश्वनाथप्रसाद--

क्या सरकार यह बतायेगी कि श्री एस० के० डी० तिवारी (प्रशिक्षक, आई० टी० आई०, इलाहाबाद) की नियुक्ति इस पद पर किस तिथि को हुई थी ?

श्री बनारसीदास--

१६-४-१९५७ को ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के पद पर तथा १३-११-१९५७ को इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मिकेनिक के पद पर नियुक्त किये गये।

*४--श्री विश्वनाथप्रसाद--

क्या यह सत्य है कि नौकरी की वरीयता में इनसे कनिष्ठ लोगों की पदोन्नति सुपरवाइजर के रूप में कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

जी हां। श्री तिवारी सुपरवाइजर के पद के लिये योग्य नहीं समझे गये।

## प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन, लखनऊ

*५--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में ७ टूटी यूनियनों को मिलाकर एक दुग्धसंघ कायम किया गया है, जिसने सिर्फ २,५०० रुपये ही इकट्ठा किया और कोआपरेटिव के रजिस्ट्रार ने इस दुग्ध संघ को ढाई लाख रुपया दे दिया है ? यदि हां, तो कैसे और क्या रजिस्ट्रार ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को भी नामिनेट कर एक कार एवं एक बंगला उन्हें दे दिया है ? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का क्या काम है ?

श्री बनारसीदास—

२३ अप्रैल, १९६२ को लखनऊ में एक प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन की रजिस्ट्री की गई। यह सत्य नहीं है कि सात टूटी यूनियतों को मिलाकर डेरी फेडरेशन कायम किया गया। यह भी सत्य नहीं है कि इन समितियों से केवल २,५०० रु० फेडरेशन को प्राप्त हुआ बल्कि ३० जून, १९६२ के लेखा के अनुसार इन समितियों से ३३,००० रु० फेडरेशन को हिस्से के धन के रूप में मिला।

यह सत्य नहीं है कि रजिस्ट्रार ने फेडरेशन को २ १/२ लाख रुपया दिया है।

फेडरेशन के बाइलाज के अनुसार रजिस्ट्रार को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को मनोनीत करने का जो अधिकार है उसके अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं। रजिस्ट्रार ने कोई कार एवं बंगला उन्हें नहीं दिया है। फेडरेशन ने स्वयं, अपने कार्य के लिये एक भवन तथा एक कार का प्रबन्ध किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री मंगलाप्रसाद जी तथा उपाध्यक्ष श्री नरायनदत्त तिवारी हैं।

## इलाहाबाद मेडिकल कालेज एवं स्वरूपरानी अस्पताल

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के मेडिकल कालेज के अन्तर्गत जो स्वरूपरानी अस्पताल है उसमें मरीजों को रखने हेतु कितनी शय्यायें हैं और उन मरीजों की देख-रेख करने हेतु कितने डाक्टर, कम्पाउण्डर तथा नर्स स्थायी रूप से कार्य करते हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस अस्पताल में १७८ शय्यायें हैं। मरीजों की देख-रेख करने हेतु ३० डाक्टर, ८ कम्पाउण्डर तथा २१ नर्सें स्थायी रूप से कार्य करती हैं।

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज में जो ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र से मरीजों को लेकर जाते हैं उनको धूप और वर्षा से बचने का कोई स्थान नहीं है? यदि हां, तो उसकी व्यवस्था कब तक हो जायगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इलाहाबाद मेडिकल कालेज में जो लोग मरीजों को लेकर आते हैं उनके लिये एक प्रतीक्षालय है।

## इलाहाबाद में बिक्री-कर न देने वाले कारखाने

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या वित्त मंत्री कृपया प्रश्न संख्या ३३, दिनांक २९ जुलाई, १९६४ के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि इलाहाबाद में जिन १३ कारखाने वालों ने सेल्स टैक्स नहीं दिया उन कारखाने वालों के नाम क्या हैं और उनके सेल्स-टैक्स न देने के कारण क्या हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पूछे गये १३ कारखाने वालों के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं। वे बिक्री-कर की कर यदे सीमा के अन्तर्गत नहीं आते थे। अतः उनसे बिक्री-कर की वसूली का प्रश्न नहीं उठा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८१४ पर)

*९–१०—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

## रायबरेली जिले में कोआपरेटिव सोसाइटियां

*११—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्तर्गत सन् १९६४ में खाने के वास्ते वितरण करने हेतु कितना अनाज था और उसमें कितना वितरण हो गया और कितना बाकी है ? वितरण करने वाली समितियों के क्या नाम हैं ?

श्री बनारसीदास—

जिला रायबरेली के अन्तर्गत कोआपरेटिव सोसाइटीज में खाने के लिये कुल वितरण हेतु ३०-६-६४ को कुल ७८५ क्विंटल अनाज था। इस समय तक कुल ५५९ क्विंटल बांटा जा चुका है। शेष २२६ क्विंटल बटने से रह गया है। जिसका ब्यौरा समिति बार स्टाक तथा बंटाई का निम्न प्रकार है :—

| क्रम सं० | नाम समिति | कुल स्टाक क्विंटल में | कुल वितरण क्विंटल में | शेष क्विंटल में |
|---|---|---|---|---|
| १ | मेजर गंज संघ .. .. | २३८ | १४० | ९८ |
| २ | रूपामऊ संघ .. .. | ४२ | ४० | २ |
| ३ | लालगंज संघ .. .. | ४ | .. | ४ |
| ४ | डलमऊ संघ .. .. | १८३ | १८३ | .. |
| ५ | शिवगढ़ संघ .. .. | ९ | ९ | .. |
| ६ | कठगर संघ .. .. | २५४ | १३२ | १२२ |
| ७ | जायस संघ .. .. | ५५ | ५५ | .. |

*१२—श्री गुप्तारसिंह—

क्या यह सही है कि रायबरेली की कुछ सोसाइटियों में अपने-अपने आदमियों के नाम रजिस्टर में दर्ज करके अनाज ब्लैक मार्केटिंग में बेच लिया गया है और इस मुनाफा खोरों में उच्च से उच्च अधिकारी व प्रतिनिधि भी शामिल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं, अतएव जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

## क्षेत्र विकास अधिकारी, महाराजगंज के विरुद्ध जांच

*१३—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज विकास क्षेत्र के वर्तमान बी० डी० ओ० के भ्रष्टाचारों की शिकायत क्षेत्र की जनता की ओर से जिलाधीश आजमगढ़, नियोजन मंत्री, उत्तर प्रदेश, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के पास इस वर्ष दो-तीन महीने के अन्दर प्राप्त हुई है ?

श्री राममूर्ति—

हां ! क्षेत्र विकास अधिकारी महाराजगंज (आजमगढ़) के विरुद्ध जिलाधीश आजमगढ़ को सम्बोधित एक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री पतिराज शुक्ल का दिनांक ३० जून, १९६४ का प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश तथा मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को भी पृष्ठांकित है ।

*१४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच चल रही है ।

*१५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त बी० डी० ओ० द्वारा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपमानित एवं उनके साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत उक्त क्षेत्र से एम० पी० द्वारा समर्पित एक शिकायती प्रार्थना-पत्र वर्ष १९६३ ई० में जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—

हां ! श्री, अली अहमद ग्राम पोस्ट महाराजगंज का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर क्षेत्र विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया गया । आरोप सिद्ध नहीं पाय गये ।

*१६—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७-१८—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## कमालगंज अस्पताल

*१९—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज टाउन के सरकारी अस्पताल के लिये कितना धन सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया था ? कितना धन जनता द्वारा दान-स्वरूप दिया गया था ? यह धन कहां जमा है ? क्या सरकार न अस्पताल भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद में अस्पताल भवन निर्माण के लिये ४६,००० रुपये की सरकार द्वारा नवम्बर, सन् १९५६ में स्वीकृति दी गयी थी । जनता द्वारा इस कार्य के लिये कोई धनराशि दानस्वरूप नहीं प्राप्त हुई । राष्ट्रीय संकट के कारण भवन निर्माण का कार्य आरम्भ न हो सका । अब इस कार्य को प्रारम्भ करने के आदेश दिये जा चुके हैं । आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा ।

*२०—श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त अस्पताल के लिये भूमि अधिकृत कर ली गई है ? यदि हां, तो acquisition की कार्यवाही कब समाप्त हो गई थी और सरकार को कब अधिकार मिल गया था ? अधिकृत होने के बाद भूमि किस कार्य के लिये प्रयोग में लाई जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उक्त अस्पताल के लिये भूमि अधिकृत कर ली गई और उसका अधिकार १३ फरवरी, सन १९६० को मिल चुका है। भूमि को प्रस्तावित कार्य के प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

*२१—श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अस्पताल की स्थापना के बाद कितने डाक्टर अब तक कितने-कितने समय तक अस्पताल में रहे ? कितनी और किस अवधि में अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं रहा ? क्या यह सही है कि रहने-सहने की सुविधाओं के अभाव के कारण डाक्टर वहां अधिक रहना पसन्द नहीं करते और अपना तबादला वहां से शीघ्र करा ले जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार डाक्टर तथा कम्पाउन्डर आदि के लिये निवास-गृह बनवाने की योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

निम्नलिखित डाक्टर उनके नामों के सामने अंकित समय तक उक्त अस्पताल में रहे :

(१) डाक्टर जी० पी० टटवई पी० एम० एस० (द्वितीय) ७-२-१९५९ (पूर्वान्ह) से १९-४-६० (पूर्वान्ह) तक।

(२) डाक्टर आर० सी० अग्निहोत्री पी० एम० एस० (द्वितीय) १४-१-१९६१ (अपरान्ह) से १०-८-१९६२ (अपरान्ह) तक।

(३) डाक्टर के० एन० अग्रवाल, पी० एम० एस० (द्वितीय) ८-१०-१९६२ से ३०-९-१९६३ तक।

(४) डाक्टर एम० एल० अग्रवाल पी० एम० एस० (द्वितीय) १९-५-१९६४ (अपरान्ह) से कार्य कर रहे हैं।

इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि स्थानाभाव के कारण उक्त अस्पताल में डाक्टर नहीं रुकते। जहां तक डाक्टर तथा कम्पाउन्डर के लिये निवास-गृह बनवाने का प्रश्न है यह कार्य अस्पताल के भवन निर्माण कार्य के साथ ही पूर्ण कर दिया जायगा।

## प्री मेडिकल टेस्ट

*२२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या यह सच है कि सरकार प्री मेडिकल टेस्ट का इम्तहान अलग-अलग विश्वविद्यालयों से न करा कर एक ही बोर्ड द्वारा परीक्षा लेने का प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं।

*२३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या यह सच है कि सरकार उक्त प्रबन्ध अगले आने वाले वर्ष से लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना रुपया खर्च होगा और इसका मुख्य कार्यालय कहां स्थापित होगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता ।

## वेतन अभिनवीकरण समिति

*२४—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३० जुलाई, १९६४ को पे कमेटी के सम्बन्ध में राज्य के कर्मचारियों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में प्रेषित नियम ५२ की सूचना पर सरकार ने इस समय तक क्या कार्यवाही की और क्या सरकार को कर्मचारियों का कोई मांग पत्र मिला है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जहां तक वेतन तथा महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी का प्रश्न है इस संबंध में सरकार कोई भी कार्यवाही वतन अभिनवीकरण समिति (Pay Rationalisation Committee) की रिपोर्ट आने पर ही कर सकेगी । जहां तक इस समिति के गठन का प्रश्न है इस माननीय सदन को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि सरकार ने इस समिति में सर्वथा योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया है ।

जी नहीं, इस प्रदर्शन से सम्बन्धित ऐसा कोई मांग पत्र नहीं मिला है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*२५—२७—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये । ]

## जसपुरा ब्लाक में चोरी

*२८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा के अन्तर्गत ब्लाक जसपुरा, मुख्यावास कानाखेरा में माह जुलाई, सन् १९६४ में चोरी हुई ? यदि हां, तो कितना रुपया चोरी में ब्लाक से चला गया ?

श्री राममूर्ति—

जुलाई १२-१३, १९६४ की रात्रि में ब्लाक जसपुरा (मुख्यालय कानाखेरा) से विकास कार्यालय की तिजोरी चोरी चली गई थी जिसमें १२,१३३ रुपये २५ न० पै० नकद थे, और १,६६२ रु० के बैंक ड्राफ्ट थे ।

*२९—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त चोरी में कौन-कौन से व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

अभी तक पुलिस ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी जिससे यह जाहिर हो सके कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं ।

*३०—श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि रुपयों का पता लगा है ?

श्री राममूर्ति—

पुलिस द्वारा तिजोरी ढूंढ़ी जा चुकी है तथा वह भी रुपयों सहित पुलिस के कब्जे में है ।

*३१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया । ]

*३२—श्री प्रेम सिंह (जिला बहराइच), श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजय सिंह—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया । ]

## क्षेत्र विकास अधिकारी, नवाबगंज के विरुद्ध जांच

*३३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

श्री राममूर्ति—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ० नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के खिलाफ अप्रैल, मई, सन् १९६४ में कोई मैजिस्ट्रीअल जांच हुई है ? यदि हां, तो यह जांच किसने की और जांच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री राममूर्ति—

क्षेत्रीय विकास अधिकारी नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध अप्रैल, मई, सन १९६४ में जीप दुर्घटना से सम्बन्धित मैजिस्ट्रीअल जांच हुई है । यह जांच श्री बद्रीनारायण एस० डी० एम० कायमगंज द्वारा की गयी । जांच का परिणाम यह निकला कि सम्बन्धित क्षेत्रीय विकास अधिकारी पूर्णतया: निर्दोष पाये गये । वह इस जीप दुर्घटना में स्वयं भी घायल हुये थे परन्तु इस अवस्था में भी उन्होंने अपना सन्तुलन नहीं खोया । बल्कि समय से ड्राइवर की देख रेख का प्रबन्ध किया एवं पुलिस अधिकारियों एवं अपने उच्च अधिकारियों को शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया । अत:. क्षेत्रीय विकास अधिकारी की सत्यनिष्ठा, आचरण, एवं उद्देश्य पर कोई भी संदेह नहीं किया है ।

*३४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया । ]

## कृषि यन्त्र खरीदने के लिए सहायता

*३५—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि क्षेत्र विकास समितियों द्वारा सहकारी समतियों और कृषकों को कृषि यन्त्र क्रय करने पर अनुदान के रूप में क्रमश: १/२ व १/३ की सहायता उपलब्ध की जाती थी, जिसे अब एक सौ रुपया कीमत तक के कृषि यन्त्रों में दी जाने वाली सहायता समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

श्री राममूर्ति—

हां, यह सत्य है कि सहकारी समितियों और कृषकों को कृषि यन्त्र क्रय करने पर अनुदान के रूप में क्रमश: १/२ व १/३ की सहायता जो उपलब्ध की जाती थी दिनांक १० अप्रैल, १९६४ के आदेशानुसार एक सौ रुपया तक की कीमत वाले कृषि यन्त्रों पर समाप्त कर दी गई जिसका उद्देश्य यह था कि अधिक कीमत वाले कृषि यन्त्रों की तुलना में कम कीमत वाले यंत्र आसानी से क्रय किये जा सकते हैं, और ऐसे कृषि यन्त्रों पर अनुदान देना आवश्यक नहीं समझा गया ।

उपरोक्त व्यवस्था में अब दिनांक १५ जुलाई, १९६४ के आदेशों द्वारा संशोधन कर दिया गया है, जिसके अनुसार २० रुपया से ४०० रुपये तक मूल्य वाले कृषि यन्त्रों पर एक व्यक्ति को मूल्य का २० प्रतिशत तथा संस्थाओं को ३३ १/३ प्रतिशत एक अनुदान सहायता के रूप में दने का प्राविधान किया गया है ।

## आजमगढ़ जिले में बीज भण्डारों से कामदारों को हटाना

*३६—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सहकारिता विभाग के सीड स्टोर के ५२ कामदारों को गत २६ मई को उनके कामों से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । अनार्थिक सहकारी बीज भंडारों (Un-economic Co-operative Seed Stores) के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया था कि जो बीज भंडार १,००० (एक हजार) मन से कम गल्ला वितरित करते हैं उनके कामदारों की सेवायें तुरन्त समाप्त कर दी जाये । उक्त आदेश के अनुपालन में आजमगढ़ जिले के ५२ कामदारों की सेवायें समाप्त कर दी गई । इनमें से ५ को बाद में फिर रख लिया गया ।

*३७–३९–श्री रामबली मिश्र (जिला सुलतानपुर), श्री उमादत्त (जिला सुलतानपुर) श्री रमाकान्त सिंह तथा (जिला सुलतान पुर) श्री इन्द्रपाल (जिला सुल्तानपुर)—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## सहकारी समिति कमलसागर में अनियमिततायें

*४०—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी समिति कमलसागर, आजमगढ़ का हिसाब अक्तूबर, १९६० से मई, सन् १९६४ तक कितनी बार सरकार की तरफ से आडिट कराया गया ? आडिट रिपोर्ट में क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई ?

श्री बनारसीदास—

सहकारी समिति कमल सागर जिला आजमगढ़ के हिसाब का सहकारी वर्ष ६०–६१ व ६१–६२ (१–७–६० से ३०–६–६१ और १–७–६१ से ३०–६–६२ तक) का आडिट एक-एक बार कराया गया है । उक्त वर्ष की आडिट रिपोर्ट में लिखित अनियमितताओं का विवरण [संलग्न है ।]

## मदनमोहन मालवीय नेत्र चिकित्सालय; फतेहपुर

*४१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जिला परिषदों के अस्पतालों के प्रान्तीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और कब तक निर्णय होने की आशा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । स्थानीय निकायों के अस्पतालों के प्रान्तीयकरण की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९६२, ६३ में सम्मिलित की गई । इस योजना के अन्तर्गत १८ अस्पतालों के प्रान्तीयकरण का लक्ष्य तृतीय पंच वर्षीय योजना तक रखा गया है और अब तक ६ अस्पतालों के प्रान्तीयकरण के आदेश दिये जा चुके हैं ।

---

*छापा नहीं गया ।

*४२--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला परिषद् फतेहपुर के मदनमोहन मालवीय नेत्र चिकित्सालय, फतेहपुर के जिला स्तरीय महत्व के आधार पर जिला परिषद् फतेहपुर ने उसका प्रान्तीयकरण कराने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य सन् १९६३ के वर्ष में सरकार को भेजे हैं? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां, परन्तु देश में संकट कालीन परिस्थिति की घोषणा के फलस्वरूप इस मामले को स्थगित कर दिया गया था। इस अस्पताल के प्रान्तीयकरण के प्रश्न पर पुनः विचार किया जा रहा है।

*४३--श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)--

[८वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४४--श्री देवीदत्त --

[हटा दिया गया।]

*४५--श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)--

[६ठें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## देवी जगदीशपुर में चिकित्सालय न होना

*४६--श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के ग्राम देवी जगदीशपुर तथा अन्य २५ ग्रामों में लगभग ८ मील की दूरी तक कोई चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार प्रबन्ध करने की कृपा करेगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

ग्राम देवी जगदीशपुर से लगभग ७ मील की परिधि पर निम्नलिखित चार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं:--

(१) नवाबगंज,
(२) असोहा,
(३) पुरवा,
(४) बिछिया।

हाल ही में इस ग्राम में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की मांग की गई है जो इस समय सरकार के विचाराधीन है।

*४७--श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वह उक्त ग्राम में कोई चिकित्सा का प्रबन्ध करने का विचार कर रही है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अभी निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि वहां चिकित्सा का प्रबन्ध कब तक हो सकेगा।

*४८--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

[८वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

## सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) का वेतन

*४९--श्री काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती) तथा श्री विजयसिंह --

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) के १९५९ के बैच में काम करने वालों का वेतन-क्रम १ जुलाई, १९६१ से ही १२०-२५० रु० कर दिया गया है ? यदि हां, तो १९६० वाले बैच के कार्य करने वाले ए० डी० ओ० (पशुपालन) का वेतन-क्रम क्यों नहीं परिवर्तित किया गया ?

श्री राममूर्ति--

सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) का वेतन-क्रम १९५९ में भी १२०-२५० था एवं १९६० में भी इस वेतन-क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सन् १९६१ में निम्न वेतन-क्रम ७५-१२० में कार्य कर रहे कुछ सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) को उनकी श्रेष्ठता के आधार पर १२०-२५० के वेतन-क्रम में पदोन्नत किया गया।

## गाजीपुर में कोर्ट स्टाम्प की कमी

*५०--श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह सही है कि गाजीपुर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में मार्च, सन् १९६४ के महीने में चार आने और आठ आने का कोर्ट फीस टिकट और नकल का फार्म नहीं मिलता था जिसके कारण पब्लिक को १।। रु० के स्थान पर २ रु० और नकल की दरख्वास्त पर चार आने के बजाय १ रुपया का टिकट वकालत नामा की दरख्वास्त पर लगाना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नासिक से उपरोक्त टिकट समय से न मिलने के कारण जनता को जो हानि उठानी पड़ी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? और उसके खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं, यह सही नहीं है कि गाजीपुर में मार्च, सन् १९६४ में चार आने का कोर्ट फीस टिकट और नकल का फार्म व कापी फोलियो नहीं मिलता था। यद्यपि आठ आने का कोर्ट फीस स्टाम्प नहीं मिलता था परन्तु इसकी पूर्ति चार आने के स्टाम्प से की जा रही जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। ऐसी परिस्थिति में शेष प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में मार्च, ६४ के महीने में अप्रैल-जुलाई, ६४ के सामयिक मांग पत्र की पूर्ति, जिनकी पूर्ति खजानों में मार्च, ६४ के महीने में होनी चाहिए थी कन्ट्रोलर के पास प्राप्त स्टाक में से थोड़ा-थोड़ा करके हुई परन्तु इस से जिलों में कोर्ट फीस स्टाम्प की निरन्तर पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। किसी खजाने में आवश्यकता पड़ने पर पड़ोस के जिले के खजाने से पूर्ति करवा दी गई या बड़े मूल्य के स्टाम्प के स्थान पर छोटे मूल्यों के कई स्टाम्प लगा कर पूर्ति की गई।

*५१--श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह सही है कि पिछले ५ साल से लगातार यह दिक्कत महसूस की जा रही है कि नासिक से कोर्ट फीस या नकल के टिकट समय से न मिलने के कारण जनता को अधिक पैसे का टिकट लगाने के लिए अदालतें मजबूर करती रही हैं ? यदि हां, तो इस दिक्कत को दूर करने तथा जनता की हानि को पूरी करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं।

## शपथ पत्र स्टाम्प शुल्क

*५२--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार ने बयान हल्फी तस्दीक कराने के लिए स्टाम्प की पुरानी दरों में कोई परिवर्तन किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, शपथ पत्र के प्रमाणित कराने के लिए स्टाम्प शुल्क की दर में १ जनवरी, १९६३ से उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, १९६२, द्वारा वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि राज्य सरकार ने बढ़े हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए तथा योजना को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से की थी।

## उमर्दा विकास क्षेत्र की इमारत

*५३--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र उमर्दा की इमारत बनाने के सम्बन्ध में विकास क्षेत्र, उमर्दा के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक २ नवम्बर, १९६३ को मिला है? यदि, हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री राममूर्ति--

उमर्दा विकास क्षेत्र की नई इमारत के सम्बन्ध में वहां के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक २ नवम्बर, १९६३ के साथ प्राप्त हुआ था।

इस विषय पर पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए विकास खण्डों के मुख्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में, नए नियमों के अनुसार जिला नियोजन अधिकारी को उचित आदेश भेज दिए गए हैं कि वे इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विकास समिति तथा जिला परिषद् के प्रस्ताव शासन को विचारार्थ भेजें। जिला परिषद् के स्तर से अभी सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

*५४--श्री होरीलाल यादव--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र उमर्दा, जिला फर्रुखाबाद का कार्यालय किन कारणों से उमर्दा से हटाकर टाउन एरिया, तिर्वागंज, जिला फर्रुखाबाद लाया गया है? जब कि उक्त स्थान विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भी नहीं है?

श्री राममूर्ति--

चूंकि उमर्दा में या उसके आसपास अस्थायी रूप से विकास खण्ड का मुख्यालय रखने के लिए कोई उपर्युक्त स्थान उपलब्ध नहीं था, अतः क्षेत्रीय समिति एवं ब्लाक प्रमुख, अध्यक्ष जिला परिषद् और जिलाधीश की राय से इस विकास खण्ड का कार्यालय अस्थायी रूप से तिर्वागंज स्थानान्तरित कर दिया गया। तिर्वागंज उक्त विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है, परन्तु उसके बहुत निकट है और आवागमन के साधन, डाक, तार, बाजार एवं शिक्षा आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

## ठाकुरद्वारा तहसील में ग्राम प्रधान श्री डालचन्द की मुअत्तली

*५५--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या विकास मन्त्री यह बतायेंगे कि श्री डालचन्द, भूतपूर्व प्रधान, ग्राम सभा, रामपुर धोगर, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद को जब १९५६-५७ में किए गए गबन के मुकदमें में बरखास्त किया गया था तो उससे वह ५०० रुपया की रकम अब तक वसूल क्यों नहीं की गई और क्या यह सही है कि उस गबन की मिसिल ही गायब कर दी गई है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र ५ जून, १९६४ को नहीं प्राप्त हुआ। हां, दिनांक २३ जून, १९६४ तथा १० जुलाई, १९६४ को दो शिकायती-पत्र अवश्य प्राप्त हुये हैं जिनकी जांच की जा रही है।

## गोरखपुर व बस्ती जिले में मादक वस्तुओं का अवैध व्यापार

१८--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में गांजा तस्कर व्यापारियों के कितने दलों का पता चला है और क्या गोरखपुर गांजा तस्कर व्यापारियों के दलों के सम्बन्ध में छानबीन वह सी० आई० डी० से करा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। गोरखपुर गांजा तस्कर व्यापारियों के दलों के सम्बन्ध में सरकार सी० आई० डी० से छानबीन करा रही है। किन्तु जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

१९--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला के सदर व डुमरियागंज तथा हरैया तहसीलों में पिछले एक साल में आबकारी विभाग ने गांजा व शराब के तस्कर व्यापार के अभियोग में कितने मुकदमें चलाये उनमें कितनों में अभियुक्त छूटे और कितनों में सजा हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

बस्ती जिलान्तर्गत सदर, डुमरियागंज तथा हरैया तहसीलों में १ अप्रैल, १९६३ से ३१ मार्च, १९६४ तक आबकारी विभाग ने गांजा व शराब के तस्कर व्यापार के ८९ मुकदमें चलाए। इन में से ७४ अभियुक्तों को सजा हुयी और ७ अभियुक्त छूट गये। बाकी मुकदमें फैसले के लिये बाकी हैं।

---

## उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २१ अगस्त, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २७ अगस्त १९६४, को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३ सितम्बर, १९६४, को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया।

## प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मेरा प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है कि आज केवल ८ ही प्रश्न हो पाये हैं, बहुत से मूल्यवान प्रश्न रह गये हैं। मैं आपकी स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं कि आप किन नियमों के अनुसार इन प्रश्नों को लेते हैं, अनुपूरक कराते हैं और क्या आप भविष्य के लिये व्यवस्था कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न यहां लिये जा सकें ?

दूसरी बात यह है कि प्रश्न संख्या २ पर और इसके आगे भी मैं कम से कम २५ बार खड़ा हुआ। परन्तु आपने मुझे देखने के बाद भी एक बार मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

कितने प्रश्न होने चाहिये, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि सदन में कितना किस प्रश्न पर जोर दिया जा रहा है और मैं अपने विवेक से उस पर समय देता हूं। लेकिन अगर यह सदन राजी हो जाय कि किसी प्रश्न पर तीन से अधिक अनुपूरक प्रश्न न किये जावें तो यह मैं करने के लिये तैयार हूं। यह आप सोच लें।

कोई सदस्य २५ नहीं, ५० मर्तबा खड़ा हो, और प्रश्न है आजमगढ़ का और बरेली के माननीय सदस्य बार-बार खड़े हो रहे हैं, तो मेरे अधिकार की बात है कि मैं किसको प्राथमिकता दूं, यानी जो उस स्थान से आये हैं। इस पर अब कोई बहस नहीं होगी।

## आश्वासन समिति का तेइसवां प्रतिवेदन†

*श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का तेइसवां प्रतिवेदन २६ मार्च, १९६२ से ४ जून, १९६२ तक विधान सभा में दिये गये उन आश्वासनों से संबंधित, जो समिति के १७वें प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे, सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित आश्वासनों पर विचार करते समय समिति ने अवलोकन किया कि आश्वासन की पूर्ति की सूचना समिति को तत्काल ही प्रेषित नहीं की जाती। समिति के समक्ष ऐसे भी मामले आये हैं जिन से संशोधित सूचना समिति को १ वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है, जैसा इस प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या ३२ पर उल्लिखित आश्वासन संख्या २५, १२ अक्तूबर, १९६२ को पूर्ण हो चुका था, परन्तु समिति को १२ नवम्बर, १९६३ को अवगत कराया गया। विभागों द्वारा समिति को २ वर्ष तक आश्वासन की पूर्ति की दिशा में की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है।

समिति के समक्ष एक ऐसा भी मामला आया जिसके बारे में सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान विभाग ने समिति के समक्ष आज तक कोई भी सूचना प्रस्तुत नहीं की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उपरोक्त बातों को ओर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करने की कोशिश करें।

मैं माननीय गृह मंत्री से भी आशा करता हूं कि वह प्रतिवेदन के पृष्ठ 'घ' में पैरा ३ पर पुलिस विभाग से संबंधित की गई समिति की सिफारिश पर ध्यान देकर अवश्य कदम उठावेंगे।

सदन के माननीय सदस्यों से भी मेरा यह निवेदन है कि आश्वासन की आंशिक अथवा पूर्णपूर्ति की सूचना समिति के कार्यालय द्वारा उन्हें प्राप्त होने पर यदि वे समिति को वस्तुस्थिति से अवगत करा देंगे तो समिति को मामले का सही ज्ञान होता रहेगा।

अन्त में मैं इस समिति से संबंधित सब अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी सहायता, सहयोग तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

## कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वह विकास मंत्री थीं, तो सराय मुहाना ग्राम की जमींदारी के बारे में मैंने पत्र लिखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

था। वहां जमींदारी नहीं टूटी है। ३० महीने पहले हमने विकास मंत्री को पत्र लिखा था। ६, ७ महीने बाद हमने प्रश्न भी किया तो उत्तर मिला कि जांच हो रही है। फिर प्रश्न का उत्तर यही मिला कि जांच अधूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूतपूर्व कांग्रेसी संस्था के मंत्री हैं। आपने राजस्व मंत्री को आज्ञा दी थी कि वह जांच करावें। ३० महीने से एक विधायक को लटकाया जा रहा है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि डाक्टर साहेब ने जो सवाल उठाया है यह मेरे सामने भी आया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी जांच का काम हुआ। यह इतना आसान काम नहीं है जैसा कि डाक्टर साहब समझ रहे हैं। मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों से भी बातचीत की है। कागजात भी मंगाये जा रहे हैं। जांच उस मायने में पूरी नहीं जिसमें होना चाहिये ताकि बाद को अदालत में कोई कार्यवाही न हो सके। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि इस मामले को टाला जा रहा है।

श्री रघुनाथसिंह--

इतने दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दीजिये।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

सभी विधायक यू० पी० के भिन्न-भिन्न कोनों से आते हैं, एक-एक जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह समझा जाता है कि हरएक माननीय विधायक केवल अपने क्षेत्र की ही नहीं, बल्कि पूरे यू० पी० के मामले की जानकारी रखता है। आप यह न समझें कि जिस क्षेत्र या जिले से हम चुन कर आते हैं, केवल हमारी जानकारी उसी जिले या क्षेत्र तक सीमित रहती है। फिर जब एक जिले से सम्बन्धित प्रश्न दूसरे जिले के माननीय विधायक पूछते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बिलकुल जायज है। इस पर हम आपकी रूलिंग चाहते हैं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि....

श्री अध्यक्ष--

ठहर जाइये, प्रस्ताव है तो बाद में आयेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं। मेरी इत्तला यह है--वह गलत हो सकती है, उसे वह ठीक कर दें--कि उन्होंने किसी को कल दिल्ली भेजा है। निगम साहब और दूसरे अफसर जो गोंडा के चुनाव से सम्बन्धित हैं, उनके बारे में आप अपना एक अलग ट्रिब्यूनल बनाना चाहती हैं, जिसमें श्री बसन्त सिंह सेठ हैं और कई ऐसे ही अफसर हैं। तो क्या जो सेन्टर से इंक्वायरी चल रही है उसको सबोटेज करने के लिये कोई प्रयत्न हो रहा है? और कल हवाई जहाज से कोइ मंत्री दिल्ली गये हैं?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, वह चाहें तो जवाब दे सकती हैं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मैं तो बड़ी खुशी से इसका जवाब दूंगी, क्योंकि अब यहां इमेजिनेशन ज्यादा चलने लगा है। कल मैंने कैलाश प्रकाश जी को और उनके साथ फूड डिपार्टमेंट के एक आदमी को दिल्ली भेजा है, इसलिये कि हमारे पास खबर आई है कि सेन्टर वाले २५ हजार टन हमारा गल्ला काट रहे हैं। इस कारण से उनको भेजा गया है कि केन्द्र की सरकार को समझायें और बतायें कि अगर यह २५ हजार टन गल्ला काटा गया तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। इस वक्त पार्लियामेंट में फूड पर डिबेट भी हो रही है। यह जो बातें यहां कही गई हैं, वह केवल निराधार ही नहीं हैं, बल्कि स्वप्न में भी ऐसी कोई बात नहीं है।

## रजा डिग्री कालेज, रामपुर में पोस्ट डिग्री क्लासेज खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)---

मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित याचिका प्रस्तुत करती हूं :

"श्री कमर शाह खां की निम्नलिखित याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि रजा डिग्री कालेज, रामपुर में अभी पोस्ट डिग्री क्लासेज नहीं खोले गये हैं, जब कि उसके बाद स्थापित प्रदेश के अन्य दो डिग्री कालेजेज जो क्रमशः नैनीताल व ज्ञानपुर में स्थापित हैं, उनमें पोस्ट डिग्री क्लासेज खोले जा चुके हैं। इस रजा डिग्री कालेज रामपुर में पोस्ट डिग्री क्लासेज न खोले जाने से विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है और गरीब विद्यार्थी जो बाहर की पढाई का व्यय बरदास्त नहीं कर सकते हैं वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः विनम्र प्रार्थना है कि उक्त डिग्री कालेज में पोस्ट डिग्री क्लासेज अविलम्ब खोलने की कृपा की जाय।"

श्री अध्यक्ष---

यह याचिका समिति में भेजी जाएगी।

## हिन्दी भाषा को राजकीय प्रयोजनों के लिए राज भाषा बनाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से हिन्दी भाषा को सब राजकीय प्रयोजनों के लिए भाषा बनाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मणसिंह यादव तथा श्री शफीउल्ला खां द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं---

श्री लक्ष्मण सिंह यादव व श्री शफीउल्ला खां की निम्नलिखित याचिका में यह प्रदर्शित किया जाता है कि अभी तक दीवानी फौजदारी तथा माल न्यायालयों की भाषा को अनुच्छेद ३४५ के अन्तर्गत विधि बनाकर हिन्दी घोषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद ३४५ और ३४८ (३) के मातहत जो दो अधिनियम बनाये गये हैं अर्थात् उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक और अधिनियम) अधिनियम, १९५० तथा उत्तर प्रदेशराजभाषा अधिनियम १९५१ उनका सम्मिलित प्रभाव यह है कि केवल विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम और उपविधि की भाषा हिन्दी हो सकती है। किन्तु उनका भी अधिकृत (प्राधिकृत) पाठ अंग्रेजी में होगा।

अनुच्छेद ३४८(१) में यह उपबन्ध है कि उक्त के लिये संसद् अंग्रेजी के अतिरिक्त भी कोई भाषा अधिकृत पाठ में निहित कर सकती है। किन्तु संसद् में अभी तक राज्यों के बारे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसी कोई विधि नहीं बनायी गयी है। जब कि केन्द्रीय विधायकों के बारे में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। अनुच्छेद ३४५ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत उन राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग वर्जित नहीं किया गया है जिसमें वह संविधान के प्रारम्भ के पूर्व प्रयोग की जाती थी।

अतः याचिका की यह विनम्र प्रार्थना है कि--

(१) उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, १९५१ इस प्रकार संशोधित किया जाय कि हिन्दी सब राजकीय प्रयोजनों के लिये राजभाषा बन जाय। इस अधिनियम में यह भी उपबन्ध होना चाहिये कि राज सरकार के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेश, नियम, विनियम, उपविधि देवनागरी लिपि हिन्दी भाषा में होंगे और संविधान के प्रारम्भ पर प्रवृत्त विधियों के अन्तर्गत जारी किया गया अधीनस्थ विधान भी हिन्दी भाषा में बनाया जायगा। संविधान के प्रारम्भ के पूर्व जिन प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है उन प्रयोजनों के लिये भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वर्जित होगा। ऐसा भी उपबन्ध उक्त अधिनियम में किया जाय कि संविधान के प्रारम्भ पर समस्त प्रवृत्त विधियां जो राज्य विधान मंडल के क्षेत्राधिकार में हैं तथा उनके अधीनस्थ जारी किये गये नियम, विनियम आदि का अधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होगा। संसद से यह प्रार्थना की जाय कि अनुच्छेद ३४८-१ के अन्तर्गत विधेयक तथा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले संशोधन विधान मंडल के प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित या प्रस्तावित किये जाएं। अधिनियम जो विधान मंडल द्वारा पारित किये जायं तथा अध्यादेश जो राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जायं तथा आदेश, नियम, विनियम और उपविधि के प्राधिकृत पाठ देवनागरी लिपि हिन्दी भाषा में हों।

(३) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समस्त न्यायालय, दीवानी, फौजदारी, माल तथा लगान सम्बन्धी सबकी भाषा देवनागरी लिपि हिन्दी में हो।

(४) संविधान के प्रारम्भ पर प्रवृत्त विधियों के हिन्दी अनुवाद का काम, तुरन्त प्रारम्भ किया जाय और हिन्दी भाषा में उनके अनुवाद को प्राधिकृत पाठ के रूप में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

(५) उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्य करने का भाषा विधेयक, १९६४ वापस लिया जाय।

(६) जब तक संसद् द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाहियों की भाषा हिन्दी न हो जाय राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से राज्यपाल महोदय हिन्दी को उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत करें जैसा कि अनुच्छेद ३४८ के खंड २ में व्यवस्था है।

विनीत

(ह०) लक्ष्मण सिंह यादव,
(ह०) शफी उल्लाह खां।

प्रतिहस्ताक्षरित
कमला सिंह यादव,

एम०एल०ए०, गाजीपुर,
७ सितम्बर, १९६४ ई०।

श्री अध्यक्ष--

यह याचिका याचिका समिति को जायगी।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस याचिका में यह लिखा गया है कि श्री लक्ष्मण सिंह यादव तथा श्री शफीउल्ला खां द्वारा हस्ताक्षरित यह याचिका है। श्रीमन्, मेरा ख्याल ऐसा है कि उस पर उनका पूरा पता होना चाहिए। वह न तो इस एजेन्डा पर छपा है और न माननीय सदस्य ने पढ़ते समय उसे बताया है। इसलिये यह इस सदन को बता दिया जाय कि इनका पता क्या है जिनकी याचिका, याचिका समिति को भेजी जाती है।

श्री अध्यक्ष--

जो याचिका हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी जिसको मैंने स्वीकार किया था उसमें लिखा है लक्ष्मण सिंह यादव, धरमपुर, गाजीपुर और शफीउल्ला खां, देवरिया सदर, देवरिया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप ने जिस समय कार्यवाही के सम्बन्ध में कहा था मैं उसी समय निवेदन करने वाला था, लेकिन उस समय बोलना मैंने मुनासिब नहीं समझा । अपनी कार्यवाही के सम्बन्ध में जो आपसे चर्चा हुई, उस से मैं एग्री नहीं करता हूं । मेरा निवेदन यह है कि उस रोज जो वाद विवाद हुआ, उसमें आपने मुझे अकारण निकाल दिया ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मेरी याचिका के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष--

टम्बेश्वरप्रसाद जी आप बैठ जाइये । काशीनाथ जी को कह लेने दीजिये ।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, पिछले छः महीनों से हम देख रहे हैं कि सदन के अन्दर बहुत सी याचिकायें प्रस्तुत हुई हैं और आपने उनको स्वीकार किया है । याचिका कैसी होनी चाहिये, उसकी व्याप्ति क्या होनी चाहिये, यह विधान सभा नियमावली के पेज ६६ पर दिया हुआ है । उस से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं । उसमें लिखा हुआ है कि वह विषय ऐसा नहीं होना चाहिये जो किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हो, जो किसी प्रस्ताव द्वारा उपस्थित किया जा सकता हो, अथवा जिसके लिये विधि के अन्तर्गत उपचार उपलब्ध हो । यानी जिसकी रेमेडी और प्रकार से हो न सकती हो, उसको याचिका के रूप में उपस्थित किया जा सकेगा । लेकिन यहां कई महीनों से एक याचिका की प्रथा सी चल गयी है । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी भी चीज को जो याचिका के रूप में उपस्थित की जाय, उसको स्वीकार कर लिया जायगा ? हाउस आफ कामन्स में यह प्रथा है कि दो-एक साल में जा कर कहीं एक याचिका उपस्थित होती है । इसके अलावा यह विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के बिलकुल विरुद्ध भी है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई याचिका प्रस्तुत हो और वह नियमों के विरुद्ध हो, तो फौरन आप मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, ताकि, अगर वह नियमों के विरुद्ध है, तो, मैं कह दूं कि वह नहीं ली जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जब बेगम साहबा खड़ी हुई थीं, तो मैं तभी खड़ा हुआ था ।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम २३६ की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । इस नियम में लिखा हुआ है कि प्रत्येक याचिका सदन को सम्बोधित की जायगी, लेकिन यह याचिका सचिव को सम्बोधित की गयी है । क्या यह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसको सदन को सम्बोधित होना चाहिये । लेकिन यह एक टेक्निकल एरर है, उसको ठीक कर लिया जायगा । इसके लिये उसको खारिज करना ठीक न होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

यह याचिका एक वकील की तरफ से प्रस्तुत की गयी थी, इसलिये मैंने उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मेरे पास जो ओरीजिनल कापी है उसमें 'सेवा में, विधान सभा', लिखा हुआ है । उसमें गलती से रह गया है । उसको करेक्ट कर दिया जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, यह वकील थे इसीलिये उनसे ऐसी गलती हो गयी ।

श्री अध्यक्ष--

इस आदरणीय सदन से, विशेषरूप से अपोजीशन से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदन खिलवाड़ के लिये नहीं है । यहां पर जो बात हो, गंभीरता से हो और एक मन्तव्य को प्राप्त करने के लिये हो । इस प्रकार से किसी चीज को लेकर खिलवाड़ करने से सदन का गौरव नहीं बढ़ता ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मुझे इस पर आपत्ति है । मैंने स्पष्ट रूप से नियम २३६ का हवाला देकर कहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि "याचिका सदन को संबोधित होनी चाहिये ।"

श्री अध्यक्ष--

देखिये, आपने टिप्पणी की, उसके बाद माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी खड़े हो गये और उन्होंने वकील की बात कही . . . . . .

कुंवर श्रीपालसिंह--

इस बात पर मैं भी आपत्ति करता हूं क्योंकि उस दिन जब आपने माननीय टम्ब्रेश्वरप्रसाद को कहा कि माननीय टम्ब्रेश्वरप्रसाद जी, आप वकील नहीं हैं और कानून नहीं जानते इसलिये यह भ्रम पैदा हुआ है, इसीलिये मैंने आपके सामने आज यह निवेदन किया कि वकील होते हुए भी जो कानून नहीं जानते हैं उनके लिये आप अनुज्ञा दीजिये । भले ही आपको बुरा मालूम पड़े, लेकिन यह निश्चित सत्य है कि वकीलों के साथ आपका कुछ थोड़ा सा साफ्ट कार्नर है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर यह कमजोरी मुझमें है और मैंने ३० वर्ष तक वकालत की है तो सदन को थोड़ी मेरे लिये भी जगह रखनी चाहिये ।

## श्री अध्यक्ष द्वारा श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद को सदन छोड़ देने के आदेश के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मुझे इसका अफसोस नहीं है कि जो हमारे वकील साथी हैं उन्हें आप कुछ प्राथमिकता दें । मुझे दुख तो इस बात का है कि कानून का यह निश्चित प्राय सिद्धान्त है कि गजट होने के बाद सभी नागरिक कानून के जानने वाले माने जाते हैं और उसी के आधार पर सभी को सजा होती है । लेकिन यदि यह कहा जाता है कि आप सभी कानून के जानकार नहीं हैं तो आखिर हम किसके सामने अपील करें । अध्यक्ष महोदय, . . . . . .

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आखिर आपकी बात क्या है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब आपने मेरी प्रोसीडिंग्स को इंटरप्रीट किया तो अपनी प्रोसीडिंग्स के संबंध में मैंने आपत्ति उठायी थी । जो कुछ प्रोसीडिंग्स में लिखा है, उसके ऊपर मैं नहीं चाहता कि यहां फिर कोई दूसरे प्रकार का विवाद शुरू हो । लेकिन इतना मैं निवेदन कर दूं कि आपने बिना अवसर दिये हुये ही मुझे सदन से निकाल दिया और मैं चला गया । अगर मैं उस दिन न निकलता तो मैं जानता हूं कि माननीय बनारसी दास जी की क्या आज्ञा होती । तो और किसी विवाद में न जाकर मैं यह जरूर चाहता हूं कि जिस विशेष स्थिति में आपने मुझे सदन से उस दिन निकाला, उस पर आप पुनर्विचार करें । पूरी प्रोसीडिंग्स के संबंध में दो चार बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं । प्रोसीडिंग्स को पढ़ने से मेरी कहीं भी कोई खता नहीं दिखलायी पड़ती और आपने मुझे निकाल दिया तो उस संबंध में स्पष्टीकरण के तौर पर मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जो व्यवस्था दी जा चुकी है उस संबंध में आप कुछ नहीं कह सकते ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

उस सम्बन्ध में मैं कुछ न कहूंगा । आपने विरोधी दल के काम रोको प्रस्ताव को नियम ५३ के अन्तर्गत स्वीकार किया था । जब प्रस्ताव लिखित रूप में एजेंडे पर आये तभी वह सदन में प्रस्तुत हो सकता है और मैंने तुरन्त ही कहा कि यह एजेंडे पर गलत तरीके से लिखा हुआ है और नियम ५३ के अन्तर्गत जो भी चर्चा का विषय हो वह स्पष्टतः एजेंडे पर लिखा होना चाहिये और उसी के ऊपर टिप्पणी होनी चाहिये । अगर आपने किसी कारण से कामरोको प्रस्ताव को नियम ५३ के अन्तर्गत रखा है और उसके कुछ अंश को छोड़कर ही विवाद करते रहें तो मैंने भी उस दिन निवेदन किया था और आज भी निवेदन करता हूं कि अगर किसी पेटीशन के आधे से ज्यादा इश्यू को दोनों पार्टीज ने स्वीकार कर लिया हो तो उसके विरुद्ध कभी भी अपील नहीं होती । मैंने उस रोज निवेदन किया था कि "किन किन इश्यूज के ऊपर अपील हुई है और जिसकी सूचना आपको श्री कन्हैयालाल मिश्र ने दी है, केवल मुझे इतना बतला दिया जाय" । मैंने आपसे कई बार निवेदन किया कि वह सूचना बता दी जाय और नवलकिशोर जी की सूचना के आधार क्या हैं, लेकिन वह नहीं बताया गया । मैं समझता हूं कि एजेंडे में गलत बात का लिखा जाना, यह भी जानबूझकर ही हुआ और आपत्तियों के आधार को न बताना भी हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण है उसके लिये मुझे सदन भी छोड़ना पड़ा । मैं फिर जानना चाहता हूं कि किन किन इश्यूज के खिलाफ अपील हुई है और श्री कन्हैयालाल मिश्र ने किन शब्दों में सूचना दी है और इस संबंध में क्या नियम बनाया गया है कि अब कोई मामला हाईकोर्ट के सामने जायगा तो हर केस की जानकारी पहले से अध्यक्ष महोदय किया करेंगे । यह जानते हुए भी कि अपील नहीं हुई है आपने विशेष परिस्थिति में डिबेट अलाऊ नहीं किया । नीचे की जो लाइन है उस पर हमें एतराज है और कहीं नहीं लिखा है कि नियम ५३ पर चर्चा है । जिस विषय पर हम बहस और चर्चा चाहते थे वह कहीं सब-जुडिस नहीं है, पूरा पेटीशन सब-जुडिस नहीं है, उसकी २-४ चीज या इश्यूज सब-जुडिस हो सकती हैं । जब आप पूरी यह सूचनायें हमें दें तभी हमारा भ्रम दूर हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

जितनी बातें आपने कहीं हैं उसके संबंध में श्री नवलकिशोर जी ने एक एक पैराग्राफ, जो अपील के आधार बताये थे वह कहा कि अमुक अमुक आधार देखने से यह पता चलता है कि समस्त वादविवाद का विषय विचाराधीन है और उसी आपत्ति को जो उन्होंने की थी, मैंने स्वीकार किया । आप उसको देख लें, उससे पता चल जायगा कि क्यों . . . . . .

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद--

श्री कन्हैयालाल मिश्र ने आपको क्या सूचना दी ?

श्री अध्यक्ष--

जो सूचना उन्होंने दी वह यह थी कि अपील हो गई है । मेरे लिये यह जानना जरूरी था कि अपील हो गई है या नहीं और दूसरे मेरे लिये यह जानना भी आवश्यक था कि नोटिस चली गई है या नहीं । अपील हुई है, तो क्या हुई है ? तो इन दोनों बातों के संबंध में श्री कन्हैया लाल मिश्र ने हमें सूचना दी कि अपील हो चुकी है और लिखित रूप से सूचना दी कि अपील जब प्रस्तुत हो गई तो रेस्पांडेंट के वकील अदालत में मौजूद थे और उन्होंने नोटिस मंजूर कर लिया है ।

## विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय काशीनाथ जी ने दिया है जिसके संबंध में कल सदन में चर्चा हो चुकी है । उसमें कोई शक नहीं और मैं भी उनकी आपत्ति से सहमत हूं कि कोई भी किसी प्रकार का डाकुमेंट, एडवर्टिजमेंट या कागजात सदन के परिसरों के अन्दर नहीं बांटे जा सकते, जब तक अध्यक्ष की या आदरणीय सदन की आज्ञा न हो जाय । यह निश्चित मत है और यही इस सदन की परम्परा भी रही है । उससे और अधिक बढ़कर आक्षेपणीय बात यह है कि कोई ऐसा कागज बांटा जाय जिस के ऊपर किसी के हस्ताक्षर भी न हों, यानी कोई व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी भी न ले । इस चीज को मैं बहुत बुरा और आपत्तिपूर्ण समझता हूं । अब माननीय काशीनाथ जी ने उसे बांटने का आरोप लगाया है माननीय दत्ता जी पर । उन्होंने मुझ से जबानी भी कहा और लिख कर उन्होंने दिया कि वह उन्होंने नहीं बांटें, वह उनको पड़े हुये मिले थे और उन्होंने उनको उठा लिया .....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

सदन में हमारे सामने वह बांट रहे थे ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं कह रहा था कि चाहे हममें एक दूसरे से कितनी ही मत में विभिन्नता हो फिर भी हम संसदीय व्यवहार को बरतें । मैं आपके सामने एक परम्परा जो हमारे यहां स्वीकृत है रखना चाहता हूं । वह यह है कि हमारे सदन की शोभा और माननीय सदस्यों की शोभा इसमें है कि अगर एक आरोप किसी पर लगाया जाय और वह व्यक्ति कहे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर केवल प्रश्न सत्य और असत्य बात का हो जाता है । मैं आपके सामने एक विचार रखता हूं । अगर उन्होंने नहीं बांटा और किसी को भ्रम हुआ कि बांट रहे हैं, तो उनकी बात मान लेनी चाहिये, और अगर उन्होंने बांटा, पर कह रहे हैं कि नहीं बांटा, तो हम अनुभव करते हैं कि उनको पश्चाताप है कि उन्होंने ऐसा किया । अतः दोनों ही सूरतों में हमको यही शोभा देता है कि हम उनकी बात मान लें और इसको समाप्त करें ।

अब एक बात और कहना चाहता हूं । मैं माननीय काशीनाथ और दत्ता जी से कहूंगा कि हम ....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय काशीनाथ से नहीं, आदरणीय सदन से माफी मांगें, यह सदन का अपमान हुआ है माननीय काशीनाथ का नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । मैं कह रहा था कि हमारी सूचनाओं में हमारे वक्तव्यों में, अभद्र शब्दों का प्रयोग न किया जाय तो अच्छा ही है । ऐसे शब्दों के प्रयोग करने से, हमारी सूचना या वक्तव्यों में बल नहीं आ जाता वरन् कटुता आ जाती है । इस कटुता को अगर न रखें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, दो मिनट हमारी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । मैं कह लूं तब कहियेगा । माननीय दत्ता जी ने एक विशेषाधिकार की सूचना श्री काशीनाथ मिश्र जी के विरुद्ध उठायी है और उन्होंने कहा हमको दलाल और जाने क्या-क्या कहा है । अब कहा या नहीं कहा जो कुछ कार्यवाही में है और जो मैं समझता हूं अभद्र और अशिष्ट है, उसको निकाल दूंगा ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, इसको प्रिविलेज कमेटी को भेज दें वहां जांच हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

मैं दत्ता जी से कहूंगा कि इस प्रश्न को उठाकर कोई सदन का गौरव नहीं बढ़ेगा और न उनका बढ़ेगा । इसलिये मैंने दोनों विशेषाधिकार के प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया है ।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, जो व्यवस्था आपने दी है वह मुझको स्वीकार है । एक वाक्य निवेदन कर दूं कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मानव आचरण के मान्यभूत सिद्धान्त हैं उनके अन्तर्गत अगर कोई सदस्य कहे कि इस सदन में उसने कोई काम नहीं किया है तो उसे मान लिया जाता है । यह अन्तर्राष्ट्रीय मान्य सिद्धान्त है । और उससे मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात और आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई बहुत बड़ा विषय जिसका संबंध जनतांत्रिक प्रणाली से हो तो इस प्रकार की घटना इस माननीय सदन में न घटे तो अच्छा है । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यहां पर इस प्रकार का अभद्र व्यवहार न हो, उसे किसी तरह से रोका जाना चाहिए ।

दूसरी चीज जो आरोप मेरे ऊपर माननीय दत्ता साहब ने लगाये हैं उसको मैंने खोला नहीं था । श्रीमन्, आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है, लेकिन मैं इस आदरणीय सदन को सब से बड़ी अदालत समझता हूं, मेरे चरित्र पर किसी भी तरह की अगर कोई शंका करता है तो आप किसी भी कमीशन या अदालत में भेज कर उसकी इन्क्वायरी करा लें .....

श्री अध्यक्ष--

अब वह समाप्त हो गया है ।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर आप फैसला दे चुके हैं उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा । मेरी व्यवस्था का प्रश्न है कि जो कटुता यहां पैदा हो गयी है और जो निर्णय आपने दिया है सब महसूस करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये । जब आपने स्वयं यह कहा है कि उस पर्चे में किसी का नाम नहीं लिखा था और उस पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं थे तो मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस तरह के पर्चे कैसे इस सदन के समक्ष, या गैलरी में या लॉबी में

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आयें जबकि आपकी पुलिस भी है, आपका गुप्तचर विभाग भी रहता है ? इस तरह से तो पर्चों के अलावा और भी कोई खतरनाक चीज आ सकती है । श्रीमन्, आप इस पर सी० आई० डी० द्वारा इन्क्वायरी करवा लें कि वे यहां किस प्रकार से आये और बांटे गये ?

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्री काशीनाथ जी ने जो प्रश्न उठाया उसके संबंध में निवेदन है कि जहां तक मैं जानता हूं माननीय दत्ता जी के पास २–३ पर्चे थे । उस समय मैं माननीय नेकराम जी के पास बैठा था । वे गैलरी की तरफ से आये थे । जब मैंने उनसे पूछा कि आपके हाथ में क्या है तो उन्होंने मेरी तरफ एक पर्चा फेंक दिया । उन्होंने पर्चे बांटे नहीं ।

(व्यवधान)

हल्ला करने से तो मैं बैठता नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष—

जो बात माननीय कल्पनाथ सिंह जी कह रहे हैं उससे आपकी ताईद होती है और अगर ताईद होती है तो आप लोग क्यों नहीं सुनते, जब वे आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि श्री दत्ता ने मेरी मांग पर वह पर्चा मेरे ऊपर फेंका । माननीय नेकराम जी ने भी पूछा कि क्या है ? मुझको भी दे दीजिये । उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात आप क्यों कह रहे हैं ?

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि उन्होंने सदन में कोई पर्चा नहीं बांटा । यह बहुधा होता है कि माननीय सदस्य अपनी जानकारी के लिये, या उद्धरण देने के लिये अपने साथ पर्चों को इस सदन में ले आते हैं । उन्हें अधिकार है । (व्यवधान) मैं बहस नहीं कर रहा हूं । इस तरह के पर्चे ले आने की इजाजत है । आपको ज्ञात होगा कि इसी तरह से देवरिया जिले के जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध पर्चे यहां एक माननीय सदस्य ले आये थे और आपके पास तो उसे भेजा गया था तो वह पर्चा कहां से आया था, किसकी अनुमति से वह आया था ?

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय कल्पनार्थसिंह ने सदन में मेरा नाम ले कर एक बात कही है, तो मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

जब आप उनको मौका दे रहे हैं, तो मुझे भी मौका दिया जाय बोलने का ।

(इस समय सदन में शोर होने लगा और कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---

सदन डेढ़ बजे तक स्थगित किया जाता है ।

(इस समय १२ बजकर ४९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

## श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष---

एक अध्याय समाप्त हो गया है। दूसरा अध्याय मैं प्रारम्भ करूंगा उसके संबंध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

आपने एक शब्द कहा है। वह यह है कि जब माननीय काशीनाथ मिश्र....

श्री अध्यक्ष---

वह समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

कृपा करके उनको सुनिये और उनको वापस लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं आप से कहता हूं कि जो अध्याय समाप्त हो गया, वह समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

वे शब्द अपमानकारी हैं और सभी सदस्यों को नीचा दिखाने वाली बात है, आप उसको सुनिये।

श्री अध्यक्ष---

कोई प्रश्न नहीं सुना जायगा। जो अध्याय समाप्त हो गया उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं सुना जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

अपमानकारी शब्द कैसे कार्यवाही में रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर भेज दीजिये, मैं देख लूंगा। माननीय चन्द्रबलीसिंह जी आप बैठ जाइये। इस समय नहीं सुना जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

किस नियम से आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष---

नियम यह है कि जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना हो तो तत्काल उसको उठायें।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, मैं पहले से ही कह रहा था कि आप व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

माननीय अध्यक्ष, व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये और उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

वह अब नहीं उठाया जा सकता है। अब समय निकल गया। अब कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, देखिये कि...

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आदेश देता हूं कि आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, हमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की आज्ञा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं दी जायगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आपने हमारा अपमान किया है, उसको कृपा करके सुनिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, जितनी देर से उठा बैठी हो रही है, अब तक तो वह अपनी बात कह देते। आप उनकी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसे प्रसंग के बारे में जो समाप्त हो चुका है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

अध्यक्ष जी, प्रसंग का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप आदेश मानिये और बैठ जाइये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आप हमारी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन मेरा आदेश मानना पड़ेगा। आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैं आपका आदेश मान रहा हूं। निष्कासन का भी आदेश का पालन है और घसीटना भी आदेश का पालन है।

श्री अध्यक्ष--

वह अध्याय समाप्त हो गया। अब आप कृपया बैठ जाइये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

पिछली १० तारीख को किसी शब्द की वजह से मुझे निकाला गया था। आज आपने अपमानकारी शब्द कहा है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं उसे बताऊं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आदेश देता हूं कि आप कृपया बैठ जाइये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैं चाहता हूं कि आप मुझे मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप बार-बार रोकेंगे तो मुझे आदेश देना पड़ेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आपने अभी-अभी कहा जब माननीय डाक्टर रघुनाथसिंह जी बोल रहे थे...

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी, मैं आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़ें।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ कहने की आज्ञा दीजिये। हम कुछ कह नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़िये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

हम तो बैठ गये। लेकिन हमें आज्ञा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़िये, मार्शल माननीय चन्द्रबलीसिंह जी को सदन के बाहर जाने में सहायता कीजिये। माननीय चन्द्रबलीसिंह जी, आप सदन छोड़िये।

(मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री चन्द्रबलीसिंह ने सदन नहीं छोड़ा।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

आप बड़े-बड़े आदमियों की बात सुनते हैं तो इनकी बात भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

वह सदन के कार्य में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। इसलिये उनको बाहर जाने के लिये कहा जा रहा है। माननीय चन्द्रबलीसिंह कृपया सदन छोड़ें।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं अभी उनके पास गया था, लेकिन उनको इस प्रकार से कुछ महसूस हो रहा है कि वह कुछ सुनने को तयार नहीं हैं। तो ऐसी दशा में आप उनकी बात को सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको आदेश दे चुका हूं। उनको नियम का पालन करना पड़ेगा। माननीय चन्द्रबलीसिंह कृपया सदन छोड़ें।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कौंसिल हाउस गार्डों की सहायता से मार्शल श्री चन्द्रबलीसिंह को सदन से बाहर ले गये।)

श्री उग्रसेन—

यह हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष—

आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह भी असंसदीय है। एक व्यक्ति, जिसको मैं आदेश दे रहा हूं, वह मेरे आदेश को नहीं मान रहा है तो फिर आप यह कहते हैं कि ज्यादती हो रही है। अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—

अब हम भी सोचेंगे कि इस माननीय सदन में बैठें या यहां से इस्तीफा दें।

## राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को सौंपे गए प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा मांगी गयी पुस्तकों को न्याय विभाग द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी की विशेषाधिकार की सूचना निम्न प्रकार है :—

जैसा आपको विदित है अभी जो विवाद उत्तर प्रदेश विधान सभा व उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच एक प्रश्न सदन के अवमान का उठा था उसको माननीय राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के मत के लिये रेफर किया था। उस रेफरेंस की सुनवाई दिल्ली में २७ जलाई, १९६४ से आरम्भ हुई। उस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने स्वयं उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग से न्याय विभाग के पुस्तकालय से कुछ पुस्तकों की मांग की लेकिन न्याय विभाग ने उनको देने से इन्कार कर दिया जिससे विधान सभा को अपने पक्ष को उच्चतम न्यायालय के सामने रखने में बाधा पड़ी। यही नहीं, इसी न्याय विभाग ने बिना विधान सभा के आदेश के अथवा बिना अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के राष्ट्रपति को कुछ तथ्यों से अवगत कराया, जो सदन की कार्यवाहियों के विपरीत था। इस प्रकार सचिवालय के न्याय विभाग के इस से सम्बन्धित सभी अधिकारियों ने इस सदन का अवमान किया है। इसलिये आपकी अनुमति से मुख्य मंत्री तथा न्याय मंत्री तथा उन सभी सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध इस सदन के अवमान का प्रश्न मैं उठाता हूं।

मैंने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध तो पहले ही अस्वीकार कर दिया है। कल इसको न्याय मंत्री जी के पास स्पष्टीकरण के लिये भेजा था। माननीय न्याय मंत्री जी ने जो उत्तर लिख कर भेजा है वह मैं सदन के सामने पढ़ कर सुना देता हूं :—

"No question of breach of privilege arises on the grounds mentioned by Sri Nekram Sharma in his motion."

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय न्याय मंत्री ने इसको अंग्रेजी में लिख कर भेजा है जबकि यहां सदन की भाषा हिन्दी है। उनको हिन्दी में इसको लिख कर भेजना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी हिन्दी कर दूंगा। इस सूचना के अन्दर निहित आधारों पर कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न....

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, आपने जो इस सदन के सदस्यों का अपमान किया है उसका मैं सख्त विरोध करता हूं और उसके विरोध में आज दिन भर के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री उग्रसेन सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री रघुनाथसिंह--

मैं भी सदन को छोड़ता हूं।

(श्री रघुनाथसिंह भी सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्यों की यह परम्परा रही है कि वे सभी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं जब कि उसका पर्यायवाची हिन्दी शब्द उनको न मालूम हो। तो या तो माननीय अध्यक्ष और जो हिन्दी के प्रयोग नाजानकारी सिद्ध करें, क्योंकि वे इसी सदन के सदस्य हैं, या फिर उनको अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करना चाहिये और न इसके लिये आपको आज्ञा देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उनके इस उत्तर को आप अवैधानिक घोषित करें और इस नोट को उनसे हिन्दी में मांग करें।

श्री अध्यक्ष--

जो उत्तर आया है वह मैं पढ़े देता हूं। स्पष्टीकरण में वह जो कुछ कहना चाहें कहेंगे। उनका कहना यह है कि कोई प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का इन आधारों पर अन्तर्निहित नहीं है या अन्तर्निष्ट नहीं है...

श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

माननीय टम्बेश्वर जी ने जो बात रखी उस पर आपने कोई निर्णय नहीं दिया। उनके कहने के अनुसार पहले न्याय मंत्री जी खेद प्रकाश करें कि जानबूझ कर उन्होंने अंग्रेजी में नोट लिखा है।

श्री अध्यक्ष--

जब वह खड़े होंगे तो वह अपना स्पष्टीकरण दे देंगे। इसमें आगे है :

"The Library of L. R.'s Office is intended for the use of the Law Department."

लीगल रिमेम्ब्रेंसर के कार्यालय का पुस्तकालय लॉ डिपार्टमेंट अर्थात् विधि विभाग के कार्य प्रयोग के लिये अभिप्रेत है :—

"The Legislature Library is quite separate and independent and is under the control of the Speaker."

विधान मंडल का पुस्तकालय अलग और स्वतंत्र है और अध्यक्ष के अधिकाराधीन है।

Books from L. R.'s library are generally not issued for being taken outside Lucknow.

लीगल रिमेंम्ब्रेसर के पुस्तकालय से पुस्तकें साधारणतः लखनऊ के बाहर ले जाने के लिये निर्गत नहीं की जातीं।

"Out of courtesy for the Speaker such books of which there were duplicate copies in the L. R's Office were issued so that the work of the Department may not suffer."

अध्यक्ष के प्रति आदर सूचक भावनाओं से प्रेरित होकर ऐसी पुस्तकों को हमने देना निर्गत करना स्वीकार किया कि जिनकी हमारे पास दो प्रतियां थीं ताकि उससे हमारे विधि विभाग के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पड़े।

"Besides the case was to be argued by the lawyers concerned, and it was their duty to provide books for the Court."

इसके अतिरिक्त मुकदमे की बहस वकीलों द्वारा होनी थी और उन वकीलों का कर्त्तव्य था कि आवश्यकीय पुस्तकों को वह अदालत में मुहैया करें।

"The passage referred to from May's Parliamentary Practice says that."

पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के जिस पृष्ठ का उल्लेख किया गया है उसमें यह लिखा है—

"it is contempt of the House "to prevent, delay, obstruct or interfere with the execution of the orders of either House or of Committees of either House."

कि सदन का अवमान उस सूरत में होता है जब कि सदन का या सदन की समितियों के द्वारा प्रसारित आदेशों का उल्लंघन हो। उसमें बाधा डाली जाय, उसमें विलम्ब उत्पन्न किया जाय या उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो।

"The non-supply of books from L. R's Library, over which the House has no control, cannot amount to contempt."

लीगल रिमेंम्ब्रेसर के पुस्तकालय में से पुस्तकों का न देना जिसके ऊपर इस सदन का अधिकार नहीं है अवमान का कारण नहीं बन सकता।

"The motion is, therefore, ill-conceived, and should not be entertained."

अतः यह सूचना गलत है और अस्वीकार्य है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

सवाल यह है कि यह सदन का निश्चित मत था कि इस मामले की पैरवी की जाय। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी जिन्होंने सूचना दी है, पहले वह कहेंगे, आप बाद में कहियेगा। अगर वह संतुष्ट हैं और वापस ले लेते हैं, तो समाप्त हो जायगा।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं इस पत्र से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अनुमति नहीं दी है, मैं जानना चाहता हूं कि कैसे यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, विशेषाधिकार का प्रश्न इसलिए बनता है कि माननीय न्याय मंत्री इस सदन के सदस्य हैं और गवर्नमेंट पक्ष की तरफ से एक मंत्री हैं, उनकी कैबिनेट की रेस्पांसिबिलिटी है। कैबिनेट जो होती है वह हाउस के लिए रेस्पांसिबिल होती है। हाउस जो निर्णय करता है उसको इम्पलीमेंट आप करते हैं। आप इस सदन के सर्वेन्ट भी हैं और आफिसर भी हैं। जो कमेटी आपने नियुक्त की उसको सदन में एग्जीक्यूट किया गया और उसको एप्रूव किया गया। उसके पश्चात् जब हमारा सारा मामला बिना आपके पूछे, सदन के पूछे और बिना सेक्रेटरी असेम्बली के पूछे हुए इस न्याय विभाग ने बड़ा षड़यंत्र करके इसका रेफरेंस प्रेसीडेंट को करा दिया और प्रेसीडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कर दिया। जब यह सारा मामला वहां पहुंचा तो हमने विधान सभा की तरफ से एक वकील को किया। उस वकील ने कुछ किताबें मांगी। माननीय न्याय मंत्री ने जैसा कहा, वकील का कर्तव्य हो जाता है कि वह किताबें जुटाये। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि हमारा केस था और उसके लिए हम को किताबों की जरूरत थी। जब मैं "हम" शब्द का प्रयोग करता हूं तो उसका तात्पर्य इस सारे आदरणीय सदन से है। तो इस आदरणीय सदन को आवश्यकता थी कि जितनी किताबें, चाहे हमारे विधान पुस्तकालय में हों, चाहे इस सचिवालय में हों, चाहे न्याय मंत्री जी के पुस्तकालय में हों उनको वहां से उपलब्ध होना चाहिये। लेकिन न्याय मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर हमें वह किताबें नहीं दीं। यह न्याय विभाग का इस सदन के विरुद्ध षड़यन्त्र रहा है और १४४ पृष्ठ में जो कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का है, उसको अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ कर सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष—

उसको तो आप कोट कर चुके हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

जो विधान सभा अपना केस लड़ रही है पार्टी बन कर तो कोई षड़यंत्र हो और यदि माननीय न्याय मंत्री जी इस सदन के प्रति रिस्पांसिबिल हैं और अगर मांग करने पर भी किताबें न दें, मना कर दें, तो यह क्लियर बीच आफ प्रिविलेज है। जो सदन कार्य कर रहा है उसमें आब्सट्रक्शन किया है, उसमें डिले का प्रश्न नहीं है। इस पत्र के पढ़ने से तो और स्पष्ट हो जाता है कि न्याय मंत्री और इस सरकार ने और मुख्य मंत्री ने षड़यंत्र किया है। अगर पत्र न आता तो कहना शायद मुश्किल होता, लेकिन अब तो डेलीबरेट इन्टेशन स्पष्ट मालूम हो गया। वह कहते हैं कि जो पुस्तकालय है वह सदन के अधिकार में नहीं है, वह अपने पुस्तकालय से मंगा लें। तो इस लेटर के कंटेक्सट में यह इस्टेबिलिश हो गया कि हमारा जो केस था जुडिश्यरी के खिलाफ उसमें यह हमारे खिलाफ षड़यंत्र है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सचिवालय में जुडीश्यल विभाग के जो अफसर बैठे हुए हैं वह कौन हैं ? वह जज हैं और वह यहां आते हैं और यहां से जाकर हाई कोर्ट के जज बनते हैं। लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी भी जज हैं, श्री कौशलपाल गुप्त जज हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने उस पोर्शन को स्वीकार नहीं किया है।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं तो उसको भी स्वीकार कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त दो विषय न रखिये। इसलिए मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि उसमें अभी आर्डर होना है।

श्री नेकराम शर्मा--

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था (व्यवधान) कि चाहे न्याय मंत्री हों, या उनके विभाग के अधिकारी हों, या एल० आर० हों, या कोई भी और अधिकारी हों, उन सभी का एक षडयंत्र था कि किसी तरह से इस केस में विधान सभा को किताबें न दी जायं। चूंकि जानबूझ कर यह किताबें हमको नहीं दी गयीं इसलिये यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न बनता है। मैं उनकी नीयत और मंशा के बारे में यह कहूंगा कि उनकी यह मंशा थी कि किसी तरह से हम अपने केस को अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत न कर सकें। इसलिये साफ-साफ यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं ३-३ मिनट ही दूंगा।

*श्री भगवानसहाय--

श्रीमन्, आपको मालूम है कि इस सदन में कुछ माननीय सदस्य इस मत के थे कि जुडीशियरी इस मामले में अपनी जगह पर सही है। किन्तु जब इस सदन ने अपना उस बारे में एक फैसला दे दिया तो हमने भी उसे माना तो जब हाउस का एक फैसला हो गया तो उनकी भी यह ड्यूटी हो जाती है कि वे उस फैसले को मानें। माननीय न्याय मंत्री जी ने एक बहकाने वाली स्पीच दी जिससे बात साफ जाहिर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इंगलैण्ड में भी कुछ तय नहीं हुआ है। श्रीमन्, जब सदन में एक निश्चय हो चुका है, जिसे हम लोगों ने भी माना है, तो उसका पालन होना चाहिये था। एल० आर० की लाइब्रेरी सरकार का ही एक हिस्सा है और माननीय न्याय मंत्री जी केवल यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि जो डुप्लीकेट किताबें हों उनको देने के लिये उन्होंने आदेश दे दिये थे। आपने इस केस को अपने वकील को समझाने के लिये एक पैनल भी नियुक्त किया था और वह बम्बई तथा दिल्ली भी गया।

श्री अध्यक्ष--

बहुत संक्षेप में कहिये।

श्री भगवानसहाय--

जी हां, बहुत संक्षेप में ही कहूंगा। आपने इस पैनल को इसलिये नियुक्त किया कि हम लोग अपने वकील को जाकर केस को समझा सकें ताकि सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह से वह हमारे केस की पैरवी कर सके। ऐसा करने में कुछ किताबों की जरूरत थी जिसको नहीं दिया गया। अगर वह किताबें हमको मिल गयी होतीं तो उनको अच्छी तरह से अध्ययन करके जो लोग दिल्ली और बम्बई गये वे अपना दृष्टिकोण अपने वकील के सामने रखते और उनको अपनी बातों को समझाते, मगर किताबें न मिलने के कारण वैसा नहीं हो सका। चूंकि माननीय न्याय मंत्री जी ने जानबूझ कर उन पुस्तकों को नहीं दिया, एक तरफ हाउस को भड़काया और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मिले हुए हैं, इसलिये मैं न्याय मंत्री जी को चार्ज करता हूं इसके लिये ....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मैं श्रीमन्, एक जानकारी चाहता हूं कि जिन किताबों के बारे में हाउस में चर्चा हो रही है, क्या वे कोई विशेष प्रकार की हैं और केवल ला मिनिस्टर के यहां ही मिल सकती हैं या लाइब्रेरी में भी?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपका क्या खयाल है, कोई लाबुक किसी के घर की होती है ? माननीय नवलकिशोर जी आप बोलें . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या न्याय मंत्री से नवलकिशोर जी को अधिक जानकारी है ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

मैं टम्बेश्वरप्रसाद जी की इस बात पर आपत्ति करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस समय जो प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत है वह छोटा और सीमित है। और वह यह है कि हाउस में अपना केस या जो कि प्रेसीडेंट की रेफ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने था उसमें सुप्रीम कोर्ट की इमदाद करने के लिये अपना एक स्टेटमेंट दिया था उसकी सपोर्ट में बहस करने के लिये कुछ किताबों की आवश्यकता थी। यह एक विशेष परिस्थिति हमारे सामने थी चूंकि बम्बई से एडवोकेट जनरल इसमें बहस करने के लिये आये थे। उन्होंने शुरू में यह कह दिया था कि वह बंबई से तमाम किताबें लेकर नहीं आ सकेंगे और यह लिखा था कि हमको इसका इंतजाम करना होगा। उस स्थिति में न्याय विभाग से किताबें मांगी गई थीं। मुझे यह पता नहीं कि सेक्रेटरी महोदय ने स्वयं उन किताबों को देने से इन्कार किया या न्याय मंत्री के आदेश से नहीं दीं। इसलिये न्याय मंत्री के विषय में कोई टीका-टिप्पणी करना मेरे लिये संभव नहीं है। परन्तु न्याय मंत्री ने जिन शब्दों में अपने विभाग को डिफेंड करने की चेष्टा की है उससे मैं सहमत नहीं हूं। जैसा कि मैंने कहा यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनेरी सरकमस्टांसेज में हमको न्याय विभाग से किताबें मांगनी पड़ी और वह हमको नहीं मिलीं। टेक्नीकली यह सही हो सकता है कि असेम्बली सेक्रेटेरियट का कोई नियंत्रण न्याय विभाग के पुस्तकालय पर न हो। परन्तु यह सदन उस सेक्रेटेरियट से भिन्न है। संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और सरकार के सारे विभाग मंत्रिमंडल के अधीन होने के कारण एक माने में सदन के नियंत्रण के अंदर आ जाते हैं। इसलिये सदन की मांग को न मानना किसी भी माने में उचित नहीं है। श्रीमन्, यह केवल किताबों का प्रश्न नहीं है बल्कि इसके पीछे हाउस की सुप्रीमेसी और उसकी सावरेन्टी का सवाल है। मुझे जो तकलीफ हुई वह डिपार्टमेंट के एटिट्यूड से हुई। मैं समझता हूं कि यह उनकी तरफ से इम्पर्टिनेंस की एक हद थी। ऐसा नहीं है कि हमको किताबें नहीं मिलीं हों। हमको किताबें मिलीं पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी से भी किताबें प्राप्त हुई तथा एक दो इंस्टीट्यूट्स के जो पुस्तकालय दिल्ली में हैं उनसे भी प्राप्त हुई। प्रश्न केवल डिपार्टमेंट के एटिट्यूड का है जिसे मैं सख्त शब्दों में कन्डेम करना चाहता हूं।

जहां तक, मान्यवर, सवाल यह है कि जो यह कहा गया कि किताबें बाहर नहीं जा सकतीं इसमें मैं यह मान सकता हूं कि आमतौर पर किताबें बाहर नहीं जा सकतीं होंगी परन्तु जैसा मैं कह चुका हूं कि यह एक विशेष परिस्थिति थी। फिर जैसा कि मुझे बताया गया कि यह कहा गया था कि फर्स्ट प्रायरिटी एडवोकेट जनरल की है। तो यदि उनको भी किताबें चाहिये थीं तो वह भी उनको लेकर दिल्ली ही जाते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में थी और लखनऊ में उसकी बेंच बैठने वाली नहीं थी।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कैटेगारिकली डिनाई नहीं किया। जनरली स्पेशल केस में जा सकती हैं।

श्री नवलकिशोर--

जायं या न जायं यह तो एक एक्सक्सेपशनल सरकमस्टांसेज में हुआ है कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मान्यवर, टेक्नीकली यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं बनता है। मगर यह कामन कर्टिसी और डिसेंसी व डिकोरम का ब्रीच अवश्य है। कानूनी बात छोड़ भी दें तब भी

विभाग का यह फर्ज था कि सदन की तरफ से अध्यक्ष महोदय ने जो पुस्तकें मांगी थी वह उसको देनी चाहिये थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप विभागों को इस बात की ताईद कर दें कि भविष्य में वह इस प्रकार का व्यवहार न करें। माननीय न्याय मंत्री का जहां तक संबंध है मैं कह चुका हूं कि चूंकि मुझे स्पष्ट रूप से नहीं मालूम कि इस मामले में उनका कितना हाथ है मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। परन्तु यह जरूर मानता हूं कि विभाग ने साधारण कर्टिसी एवं डिसेंसी को अवश्य तोड़ा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

हमारे नियमों में यह है कि अपना स्पष्टीकरण देने के बाद, जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न चल रहा हो वह सदन के बाहर चला जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

अब वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। अब तो अनुमति देने का सवाल है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

स्पष्टीकरण जब माननीय सदस्य ने दे दिया . . . . .

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो अनुमति नहीं दी है स्पष्टीकरण आने के बाद ही मैं सुनना चाहता हूं, इसलिये सुन रहा हूं। (श्री सैयद अली जहीर के खड़े होने पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री अपनी सफाई दे रहे हैं या कोई वक्तव्य दे रहे हैं या अपने विचार प्रकट कर रहे हैं? (व्यवधान) बात यह है कि आपने उनका लिखित वक्तव्य पढ़ कर सुना दिया। अब वह उसे बदल रहे हैं या क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

अब उनको बोलने दिया जाये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, क्या आपने निश्चित कर लिया है कि मुझको इस वक्त नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह मेरे विवेक के ऊपर है कि किसको सुनूं या किसको न सुनूं। नियमों के अन्तर्गत मुझे अधिकार है सुनने का। आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं तो बैठ ही रहा हूं, लेकिन २ मिनट मुझे सुन लेते, तो बड़ी कृपा होती।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, मैं सोचूंगा उस पर।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर तो ताज्जुब नहीं था कि श्री नेकराम शर्मा एक इस किस्म का ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन लायेंगे, लेकिन जो माननीय नवलकिशोर जी ने कहा उस पर मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

बेशक ताज्जुब है । क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बार-बार कानूनी मामलों में अपनी राय दी है, शायद वह कानून से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हों और समझते हों कि ब्रीच आफ प्रिविलेज एक खास प्रोसीजर है हाउस का और मखसूस हालतों में उसका इस्तेमाल होता है । (व्यवधान) वह फरमा रहे हैं कि हमने ब्रीच आफ प्रीविलेज को नहीं सपोर्ट किया डिसेन्सी के मामले को सपोर्ट किया । क्या वह इस पर तैयार हैं कि हर मामला जिसमें कोई नामुनासिब बात हो, वह मामला इस हाउस में लाया जाये और उस मामले में इस प्रकार से यहां बहस की जाये ? मैं समझता नहीं कि उनका क्या एटीच्यूड है ? बल्कि अगर वह कुछ भी इससे वाकिफ थे तो उनको समझना चाहिये था कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं और अगर कोई और चीज है तो उसकी रिमेडी अलग होगी । उसकी रिमेडी इस हाउस में नहीं होगी । जहां तक इस ब्रीच आफ प्रिविलेज का ताल्लुक है, पहले आप उस दफा को पढ़ लें, जिसके ऊपर माननीय नेकराम शर्मा ने रिलाई किया है ।

आप पेज ११३ पर पढ़ें—

"To prevent, delay, obstruct or interfere with the execution of the orders of either House or of Committees of either House is a contempt of such House."

आप देखें इन अलफाज के क्या माने हैं कि "पूरा होने में किसी किस्म की बाधा डाली जाये" आप इसके नीचे और मिसालें ले सकते हैं ।

"1. Absconding in order to avoid being served with a summons to attend either House or a committee thereof in an instance of this kind of misconduct.

2. Aiding and abetting persons whose attendance is required as witnesses before the House or a committee thereof in keeping out of the way.

3. Offering to give money or a situation of profit to a person for him to procure a letter in the possession of another person which the latter had been required to produce before a committee.

4. Endeavouring to persuade or induce a person to procure from another person a letter which such person had been required to produce before a committee.

5. Assisting a person to escape from the custody of a Serjeant of the Sheriff of London to whom he had been delivered by the Serjeant at Arms in pursuance of an order of the House."

तो आप देखें कि इसमें सिर्फ इस किस्म की चीजें हैं कि जो कोई हुक्म जारी हो कि फलां काम हाउस का किया जाय, कोई आदमी पेश करना हो या कोई कागज दाखिल करना हो, किसी मामले में उसमें बाधा या रुकावट डाली जाय तो उस वक्त यह लागू होता है । यहां पर सवाल क्या है ? कोई रेयर किताबें नहीं थीं हमारे पास । आप खुद जानते हैं, आप अपनी पूरी लिस्ट देख लें कि जितनी किताबें थीं वह सब ऐसी थीं कि जो एक नहीं तो दूसरी लाइब्रेरी में मिल सकती थीं, ऐसी थीं कि जिनको कि जरा भी जहमत से आप हासिल कर सकते थे । जहां तक लीगल रिमेम्ब्रेंसर की लाइब्रेरी है वह एक खास गरज और एक खास मकसद के लिये है और वह यह कि हमारे आफिसर्स जो हैं, पांच छः डी० एल० आर० हैं, एक एल० आर० हैं, एक ज्वाइंट एल० आर० हैं और एक लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी है, यह सारे आदमी हैं, इनको हर वक्त इन किताबों की जरूरत पड़ा करती है । मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से इनके पास राय लेने के लिये बराबर फाइलें आया करती हैं और इनको जल्द से जल्द राय देकर फाइलें वापस करनी पड़ती हैं डिपार्टमेंट्स को । इसके लिये इस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है । यह केवल ख्याल है कि ऐडवोकेट जनरल का

कोई कमांड है इस लाइब्रेरी पर। कोई भी मिसाल मुझे ऐसी याद नहीं है कि जब ऐडवोकेट जनरल कोई किताब यहां से लेकर गये हों। यह जरूर है कि जब वह यहां आते हैं और किसी मामले में राय उनको देना होती है तो एल० आर० की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहां से बाहर ले जाने के लिये कोई अधिकार नहीं है। आप लोग किताबें यहां पढ़ना चाहते, लखनऊ में बैठकर देखना चाहते तो मंगा सकते थे और देख सकते थे, लेकिन जब यहां से दिल्ली ले जाने का सवाल आया तो उस वक्त मुझे यह सोचना पड़ा और एल०आर० ने लिखा कि हमारे काम में बाधा पड़ेगी, तो मैंने अपनी राय पर नहीं बल्कि मुख्य मंत्री जी से भी मशविरा किया और उन्होंने यह कहा कि ऐसी किताबें जिनकी डुप्लीकेट कापीज हैं वह दे दी जायं ताकि काम न रुके, चुनांचे उनकी राय लेने के बाद मैंने यह कहा कि एक कापी से ज्यादा जिन किताबों की है वह दी जा सकती हैं। वहां के मुताल्लिक यह भी पता नहीं था कि कितने दिन मुकदमा चलेगा, क्या बात होगी ?

दूसरी बात जो काबिले गौर है, किसी माननीय सदस्य ने कहा कि जो बम्बई के ऐडवोकेट थे उन्होंने कहा था कि किताबें मुहय्या कर दी जायं, मुझे ताज्जुब हुआ कि इसका कोई जिक्र माननीय स्पीकर की तरफ से उसमें नहीं था। माननीय अध्यक्ष ने कोई जिक्र इसका नहीं किया था कि सीरवाई साहब को किताबों की जरूरत है। मुझे इस पर भी ताज्जुब है क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल हिन्दुस्तान में जो सबसे बड़ी और सबसे मुकम्मल लाइब्रेरी है वह सुप्रीमकोर्ट की है। वहां पर वह सब किताबें हैं और मिलती हैं। और दिल्ली में एक नहीं अनेक ऐडवोकेट हैं, आपके ही ऐडवोकेट आन रेकर्ड थे, उनके पास किताबें थीं। आपने खुद कहा कि पार्लियामेंट से किताबें मिलीं। जहां से भी आप चाहते आपको वह मिल सकती थीं। तो यह कहना कि हमारी कोई यह मंशा थी कि आपके काम में बाधा पड़े या ऐसी कोई बात थी कि इसकी वजह से आपके काम में बाधा पड़ेगी, या यह किताब आपको न मिलेगी, या इस किताब के न मिलने की वजह से कोई हर्ज होगा, यह कहीं भी हमारे दिमाग में नहीं था। हम तो यह समझते थे कि यह लाइब्रेरी एक खास गरज के लिये और खास मकसद के लिये है और गालिबन अपनी आसानी के लिये चाहते हैं कि आप यहां से किताबें ले जायं। यह नहीं था कि आपका काम बगैर इन किताबों के नहीं चल सकेगा। अगर हमको यह मालूम होता कि इस किस्म से यह इंडिस्पेंसिबिल हैं या आपके वकील ने मांगी हैं तो दूसरी सूरत पैदा हो सकती थी।

तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे कोई चीज इसमें ऐसी नहीं मालूम होती कि जिसके जरिये से कहीं पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का शुबहा भी होता हो, उसका कोई एक अन्दाज भी होता हो कि कोई बात ऐसी भी होगी कि जिससे ब्रीच आफ प्रिविलेज हो। जाहिर है कि सब सामान जितना है उसके ऊपर असेम्बली का कब्जा है। लेकिन मैं एक ऐसी मिसाल देता हूं कि जो शायद होगी नहीं लेकिन अगर हो यह जाय कि हमारे मेम्बरान वहां जा रहे हैं उनके बैठने के लिए कुर्सियों की जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां आप लखनऊ से भेजवा दीजिये, तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसके ऊपर ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उठाया जा सके। जो किताबें दिल्ली में मिल सकती थीं, पार्लियामेंट की लाईब्रेरी में या दूसरी लाइब्रेरी में मिल सकती थीं उनके लिये मेरे ख्याल में कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस पर निर्णय दे दूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, अंग्रेजी में उत्तर देने के लिये तो खेद प्रकट करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

(श्री सैयद अली जहीर से) आपको हिन्दी में भेजना चाहिये था।

श्री सैयद अली जहीर—

अभी तक कानून अंग्रेजी में ही है। मैं कोशिश करूंगा कि आइन्दा से हिन्दी में भेजूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया। फैक्ट्स में आपकी जानकारी के लिये बता दूं। ज्वाइन्ट एल० आर० की मुझसे स्वयं बातचीत हुई थी फोन पर। मैंने कहा कि किताबों की मुझे आवश्यकता है और उनकी आवश्यकता इस वजह से है कि हमारे वकील चाहते हैं, उनके लिये हम किताबों का प्रबन्ध दिल्ली में कर दें, वे बंबई से नहीं लायेंगे। उस पर उन्होंने हीला-हवाला किया। मुझे नागवार गुजरा और मैंने कहा कि उन किताबों को देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि लिखकर भेज दीजिये, हो जायगा। मैंने उनको लिखकर भेजा—

"The books are required by the House, for the House and for the purpose of the House."

यह शब्द लिखकर भेजे थे। लेकिन मुझे जल्दी थी और मैंने सोचा कि यह चीज लेजिस्लेटिव विभाग के बीच में पड़ी न रह जाय और मुमकिन है वहां से किताबें न मिल पायें, मैंने सचिव को उनका प्रबन्ध करने का आदेश दे दिया। आज तक उनकी तरफ से उत्तर नहीं आया।

अब एक बात मैं अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि केबिनेट केवल इस सदन की एक कमेटी है, सदन की ओर से उसके सुपुर्द कुछ काम किया गया है, उसका उत्तरदायित्व इस सदन के प्रति है। क्या उसका कर्तव्य यह नहीं है कि वह इस सदन के आदेशों को माने? इस में कोई शंका नहीं है, जहां तक उनके कर्तव्य की बात है वे सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिये सदन के कन्सर्न में जो चीजें होंगी, वहां सदन की सहायता करना उनका कर्तव्य हो जायगा, ऐसा मेरा मत है। इसलिये मैं समझता हूं कि उनको और उनके विभाग को पुस्तकें देनी चाहिये थीं। वे स्वयं कहते हैं कि वे पुस्तकें रेअर नहीं थीं और उनकी जब हमें आवश्यकता थी तो उनको हमें देनी चाहिये थी। अगर कैबिनेट को आवश्यकता होती तो रेअर न होने से वह उनको मंगवा सकते थे। यह बात गलत थी कि हम सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी अथवा पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के मोहताज हों और अपने काम के लिये उनसे सहायता मांगते। (शेम-शेम की आवाजें)।

यह सब होते हुए भी प्रश्न इस समय इतना ही है कि क्या इस पर ब्रीच आफ प्रिविलेज लाया जा सकता है। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का आधारभूत नियम यह है कि कोई आब्स्ट्रक्शन या इम्पेडीमेंट किसी सदस्य को सदन की कार्यवाही के संबंध में हो लेकिन चूंकि इसका संबंध सदन की कार्यवाही से नहीं है, इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता, यद्यपि मैं समझता हूं कि ऐसे मौकों पर भविष्य में सदन को सहयोग दिया जायगा।

अब यह विषय समाप्त।

(व्यवधान)

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि अगर इस ला लाइब्रेरी से किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट को या किसी प्राइवेट सर्वेन्ट को या किसी सदस्य या नागरिक को किताबें मिलती हों और इस असेम्बली को किताब देने से रिफ्यूज कर दिया गया, तो क्या यह असेम्बली की इनसल्ट नहीं है?

श्री अध्यक्ष---

मैं इस पर सोच कर जवाब दूंगा । यह एक काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री बैजनाथसिंह वैश्य (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन्, मेरा भी एक इसी तरह का प्रश्न है। जिस संबंधित व्यक्ति को आपने किताबें देने के लिये पत्र लिखा था उसने आपके पत्र का उत्तर आज तक नहीं दिया, तो क्या उसने इस सदन का अपमान नहीं किया ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, नौकरी करने वालों का अपमान नित्य हुआ करता है ।

श्री अध्यक्ष---

कृपा कर के अब इस पर चर्चा समाप्त की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, दिक्कत यह है कि आपने तमाम रूलिंग दी और आखिर में आकर मंत्री जी को छोड़ दिया, तो वह सब खत्म हो गया ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठ जायं ।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

एक कामरोको प्रस्ताव माननीय रामसुन्दर पांडेय और माननीय रियासत हुसैन का है जो वस्तुतः वर्तमान सूखा व फसल आदि के बारे में है। वैसे मैं उसे कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन पढ़ कर सुना देता हूं और माननीय मंत्री जी के पास भेज देता हूं कि वे इस पर उचित कार्यवाही करें । कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है :---

"पिछले ४ माह से प्रदेश की खाद्य स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। प्रदेश में कहीं-कहीं अधिक वर्षा और कहीं सूखा पड़ जाने के कारण आने वाली खरीफ की फसल की भी अच्छी आशाएं नहीं हैं । दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को मिलने वाली खाद्य सहायता में कटौती कर दी है । जिसके कारण स्थिति गम्भीर ही नहीं है बल्कि प्रदेश में अकाल पड़ने की सम्भावना है । इस वक्त तो यह हाल हो गया है कि ४० रु० मन गेहूं का बाजार है जिसकी वजह से जन साधारण का जीवन बिताना असम्भव ही नहीं बल्कि भुखमरी की खबरें बांदा, देवरिया इत्यादि जिलों से आ रही हैं ।

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने अब तक प्रदेश में सभाएं, प्रदर्शनों और हड़तालों द्वारा यह कोशिश जारी रखी कि सरकार को खाद्य स्थिति की गंभीरता सोच कर उसको सुधारने के प्रयत्न करना चाहिये । मगर खेद की बात है कि सरकार इस मामले में बुरी तरह असफल रही ।

१---खाद्य की पैदावार बढ़ाने में ।

२---चोर बाजारी और रिश्वतखोरी खत्म करने में ।

३---जरूरतमंदों तक खाद्य पहुंचाने में ।

[श्री अध्यक्ष]

हालात की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने यह फैसला किया है कि प्रदेश भर में १४ सितम्बर, १९६४ से सत्याग्रह आरम्भ किया जाय और जनता को आवाहन किया जाय कि वे बाहर भूखों मरने की बजाय जेलखाने भरना पसन्द करें. . . ."

इसको मैं माननीय मंत्री के पास भेज रहा हूं कि वे इस पर विचार करें ।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है । मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट के लिये आप बैठ जायं, मैं फिर आपको सुनूंगा ।

एक दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन का है जो समय के अन्दर नहीं आया । चूंकि वह विलम्ब से आया और हाल की घटना से उसका कोई संबंध नहीं है, अतः उसको मैंने अस्वीकार कर दिया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, आपने तो मेरा पूरा कामरोको प्रस्ताव पढ़ा भी नहीं । अभी उसमें का कुछ हिस्सा छूटा हुआ है ।

आप उस को पूरा पढ़ दें तब मैं १-२ मिनट में अपनी बात कहलूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़े देता हूं कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की इस सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित मांगें हैं—

"आठ आने किलो या सरकारी सस्ते गल्ले के भाव—जो भी कम हो पर खाद्यान्न बिकें । गल्ले पर से बिक्री-कर हटाया जाय, अलाभकर जोत पर से लगान समाप्त हो । १,५०० से २,००० तक की जनसंख्या पर एक राशन की दूकान खुले । भूमिहीन तथा बेकारों को विशेषतया रोटी की व्यवस्था हो ।" यह सब वही पुरानी मांगें हैं उन्हीं को आपने दोहराया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

एक मिनट में कहे दे रहा हूं कि . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मुझे खेद है कि अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । वह समाप्त हो गया ।

[ * * * ]

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जो आपका निर्णय हुआ है उसके विरुद्ध हम १५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री रामसुन्दर पांडेय ने संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[* * *] उक्त अंश माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

# नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब श्री रियासत हुसैन और कुछ लोगों के प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत आये हैं। उन सब को मैं उचित कार्यवाही हेतु मंत्री जी से जो सम्बन्धित हैं उनके पास भेज रहा हूं।

## सदन की बैठक के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक पत्र भी भेजा था और जितने विरोधी दल के नेतागण हैं उन सबके उस पर हस्ताक्षर हैं। उसमें हमने जानना चाहा था कि सरकार की उस विषय में क्या राय है। आप सरकार को हिदायत करें जैसा कि हम चाहते हैं कि यहां पर जाड़े का सेशन हो क्योंकि हमें सूचना मिली है कि आज सदन उठने वाला है और उसके बाद ५ मास उपरान्त फिर बैठेगा। परन्तु हमारा सबका यह अनुभव है कि महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है, खाद्यान्न के भावों का कोई ठिकाना नहीं है, इधर चीन का हमला भी हो गया है, मुमकिन है कि अचानक स्थिति गम्भीर हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

जब उठने लगें तब आप इस विषय में पूछ लीजियेगा।

## एडवोकेट जनरल को हटाने के सम्बन्ध में नियम ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब सर्व श्री टम्बेश्वरप्रसाद, ब्रह्मदत्त मायर, बालोजी अग्रवाल, भगवान सहाय, जेड० ए० अहमद, नेकराम शर्मा, दीपनारायणसिंह, हलीमउद्दीन आदि ने नियम ११३ में प्रस्ताव भेजा है कि एडवोकेट जनरल को हटाया जाय। वह नियम ११३(६) के अन्तर्गत चाहते हैं कि सदन के समक्ष जो कार्य है वह स्थगित किया जाय। उसमें कहा गया है कि क्योंकि एडवोकेट जनरल, श्री कन्हैयालाल मिश्र जो भारतीय संविधान एवं सदन के नियमों के अनुसार इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं उन्होंने विधान मंडल एवं न्यायालय संघर्ष के मामले में तथा उच्चतम विधि अधिकारी के रूप में जो सलाह समय-समय पर सरकार को दी है और दूसरी ओर उन्होंने कानपुर के उद्योगपति, श्री राम रतन गुप्त के वकील हो कर परस्पर विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व किया है वह कानूनी और नैतिक दृष्टि से अवांछनीय है। अतः एडवोकेट जनरल का हटाया जाना आवश्यक हो गया है। उनका रवैया सदन के निर्णयों, भावनाओं और इच्छाओं के विरुद्ध है।

इसको मैं अस्वीकार करता हूं। एक कारण तो यह है कि एडवोकेट जनरल का अप्वांइटमेंट हमारे संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा होता है। यह बात याद रखनी है। जहां तक वकालत का सम्बन्ध है, यह कहना कि वह उद्योगपति की तरफ से वकील हैं आपत्ति-जनक नहीं है। अगर उनके पास समय हो और फीस मिलती हो, तो उनका फर्ज हो जाता है कि मुवक्किल की वकालत करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

वह रामरतन गुप्ता के वकील थे और सरकार को सलाह देते थे। यह डबल रोल है....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मैं, श्रीमन्, एक सूचना चाहता हूं। अभी सदन ने जो सुप्रीम कोर्ट ....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, प्रस्तावक को आप विषय पर समय देते हैं। आपने मेरा नाम पुकारा तो मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक को इस विषय पर सुन लें।। मेरा निवेदन है कि क्या क्रम है।

श्री अध्यक्ष--

जिस पर निगाह पड़ती है, उसको देता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव--

इस सदन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में था इस सम्बन्ध में ला डिपार्टमट ने कुछ किताबें उपलब्ध नहीं करायीं, उस सम्बन्ध में सदन की भावनाओं को आपने व्यक्त किया है क्योंकि उनका कर्तव्य था और सदन का निर्णय था और कैबिनट जिम्मेदार है इस सदनके प्रति। तो जो कमेटी सदन ने निर्मित की थी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिये उसने एक राय से एक प्रस्ताव पास करके आपके जरिये मुख्य मंत्री को दिया था कि एडवोकेट जनरल का रवैया ठीक नहीं है उनको रोका जाय। सुप्रीम कोर्ट में जो खुद आजादाना तरीके से एपीयर होना चाहते हैं उस से उनको रोका जाय। लेकिन उसके बाद भी वह रुके नहीं और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिये गये और स्टेटमेंट भी फाइल किया। एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश की हैसियत से उन्होंने हमारा वकील होना अस्वीकार कर दिया जिसका हमने निर्णय किया था। तो जिस बात के लिये आपने ला मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराया, उनकी निन्दा की गयी, प्रदेश का ला अफसर इस सदन के आदेश की अवहेलना करे और सदन की कमेटी ने एक निर्णय लिया उसके बावजूद भी वह वहां गये तो मैं जानना चाहता हूं, आप स्वीकार करें या न करें, कि क्या चारा हमारे पास रह जाता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिये जब कि एडवोकट जनरल यहां एक सदस्य के रूप में बैठते हैं। इसीलिये हमने यह प्रस्ताव दिया है और मैं समझता हूं कि उनका बड़ा निन्दनीय आचरण था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या वह समझते हैं कि एडवोकेट जनरल का ऐसी जगह में पैरवी करना, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुये, और जिसमें पार्टी होंगे सरकार के लोग, रिटरनिंग अफसर, इलेक्शन कमीशन, उचित है? ऐसी पेटीशन में क्या सरकार उचित समझती है उनका पार्टी होना सरकार के विरुद्ध इतने विवादग्रस्त विषय में?

श्री अध्यक्ष--

अब यह तो सरकार जाने। सरकार कुछ कहना चाहे तो कहे।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे भी कुछ कहना है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत महत्वपूर्ण है .....

श्री अध्यक्ष--

आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री दीपनारायणसिंह--

मैं आपके कंटेशन के बारे में कह रहा हूं। आर्टिकल १६५ पढ़ लें। एडवोकेट जनरल रेस्पांसिबिल है कि वह सरकार के प्रति सलाह देगा और सरकार जो काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स के जरिये चलती है वह रिस्पांसिबिल है इस सदन के प्रति .....

श्री अध्यक्ष--

वह मैंने अस्वीकार कर दिया, उस पर बहस नहीं हो सकती। जो बात खत्म हो गयी उस पर आप बहस करते हैं। जहां तक यह प्रश्न है वह समाप्त हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात का उत्तर नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था कि अगर उत्तर देना चाहें, तो दें दे ।

श्री सैयद अली जहीर--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक गोंडे का सवाल है कि उसमें एडवोकेट जनरल को वकील होना चाहिये या नहीं, खुली हुई बात है कि एडवोकट जनरल, जब तक कि खुद गवर्नमेंट पार्टी न हो, किसी का भी मुकदमा ले सकता है । उस तरफ से एपीयर हो सकता है । जहां तक रामरतन गुप्ता जी का प्रश्न है वे एक कांग्रेस कैंडीडेट थे । वे इलेक्शन जीते । उनका फिरसे इलेक्शन पिटीशन फाइल हुआ और उन्होंने एडवोकेट जनरल को अपना वकील रखा । वहां तक तो कोई एतराज की बात नहीं कही जा सकती है । अब रह गया कि उस मुकदमें की बहस के सिलसिले में कुछ कहा गया है । तो ऐसी बातें कही गयी हैं जिनका असर एक तरीके से गवर्नमेंट पर भी पड़ता है । यह चीज अब काबिले गौर हो जायगी कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्युड होगा और एडवोकेट जनरल का क्या एटीट्युड होगा । अभी तक जो हुआ उसमें कोई काबिल ऐतराज नहीं है । अब जो अपील दायर हो गयी है उसमें कंफ्लिक्ट आफ इन्टेरेस्ट गवर्नमेंट के एटीट्युड में और एडवोकेट जनरल के एटीट्युड में पैदा होती है । उसके बाद यह काम कि गवर्नमेंट को क्या करना है, क्या ऐक्शन लेना है, हमें सोचना है, जब यह जजमेंट हमारे सामने आयेगा । यह एक अलग सवाल है । लेकिन एडवोकेट जनरल का, मेरे ख्याल में , अब तक जो ऐटीट्युड रहा है कि जिनकी तरफ से वे एपियर होते रहे हैं कोई गवर्नमेंट के इन्टरेस्ट से और कोई क्लैश नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो उनको कहना था वे कह चुके हैं ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मेरा एक सवाल है..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह विषय सदन के सामने नहीं था । जो प्रश्न पूछा गया उसका उन्होंने जवाब दे दिया है ।

## प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

मैंने अपने १० अगस्त, १९६४ ई० के वक्तव्य में पार्श्वांकित जिलों में बाढ़ तथा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न हुई स्थिति से सदन को अवगत कराया था । उसके पश्चात् स्थिति क्रमशः सामान्य हो गई । अगस्त के महीने में लगभग सभी पूर्वी जिलों में वर्षा कम हुई । सितम्बर के प्रथम सप्ताह में घाघरा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ जाने की सूचना प्राप्त हुई है । बाढ़ द्वारा उत्पन्न हुई स्थिति का ब्यौरा निम्नांकित है--

गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बस्ती बहराइच, बाराबंकी, मथुरा पौड़ी-गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा नैनीताल, पिथौरागढ़ ।

### बाराबंकी

घाघरा नदी का बढ़ना २ सितम्बर से शुरू हुआ और ५ सितम्बर को उसने उच्चतम बाढ़ बिन्दु को पार कर दिया । ६ सितम्बर को नदी का स्तर फिर घटने लगा पर ७ सितम्बर को भी

[श्री रामकुमार शास्त्री]

इसका जल स्तर मध्यतम बाढ़ बिन्दु से ऊपर ही बताया गया है। इसकी सहायक नदियां चौका, चौरियारी, सिमली और सोता में भी बाढ़ की सूचना मिली है। ८१,५०० एकड़ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है जिसमें ५८,००० एकड़ बोया हुआ है। अनुमानित ३७,००० रु० मूल्यांकन के ४९५ घर ध्वस्त हो गये हैं या उन्हें हानि पहुंची है। बाढ़ से ५ पशु बह गये हैं पर किसी मनुष्य की जीव हानि नहीं हुई है।

बाढ़ में सहायता पहुंचाने तथा बचाव कार्यों के लिये ७२ नावें लगाई गई हैं। ये कार्य अभी भी जारी हैं। ४,७३५ मनुष्य और ४,००० से अधिक पशुओं को सुरक्षित स्थानों में हटाया जा चुका है। बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में अहेतुक सहायता बांटी गई है। व्यय की गई धनराशि का पूर्ण विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। सूचना जो प्राप्त हुई है उनसे विदित होता है कि इस मद में खर्चा १,०२० रु० किया जा चुका है। तकावी भी बांटी गई थी। अब तक की बांटी गई तकावी की धनराशि २४,४०० रु० है।

तहसील हैदरगढ़ में अगस्त के महीने में वर्षा कम हुई थी जिसका परिमाण लगभग ५० मि० मी० था। सितम्बर में अब तक ४० मि० मी० वर्षा होने की सूचना है। इससे उस क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत पहुंची है और फसल को भी लाभ हुआ है।

## बस्ती

कुआनों, मनवर तथा कठनैया नदियों में ३० अगस्त तथा ४ सितम्बर के बीच हरैया तहसील में अत्याधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर निम्न बाढ़ बिन्दु (low flood level) से ऊपर नहीं उठा। बाढ़ अब घट रही है। बाढ़ से ८३,००० एकड़ भूमि प्रभावित हुई। ९८६ घरों को क्षति पहुंची। किसी मनुष्य अथवा पशु की जीव हानि नहीं हुई।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में अनाज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ बांटे गये और ३०,००० रु० तकावी के रूप में इस अवधि में वितरित किया गया। इस जिले में अब तक बांटी गई कुल तकावी की धनराशि २,२० लाख रुपये है।

## आजमगढ़

घाघरा नदी २ सितम्बर से बढ़ना शुरू हुई और ६ सितम्बर को मध्यम बाढ़ बिन्दु (medium flood level) को पार कर गई। और इस समय की सूचना के अनुसार इसका जलस्तर स्थिर है। १७८ ग्रामों में ८५,००० एकड़ भूमि प्रभावित हुई है। ७३१ घर क्षतिग्रस्त हुये जिनका अनुमानित मूल्य ७७,००० रु० है। अतिवृष्टि के कारण घर गिरने के फलस्वरूप ४ व्यक्ति और २ पशु मर गये।

लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाने और सहायता कार्य करने के लिये ४६ नावें प्रयोग में लायी गई। ३४२ व्यक्ति और २१४ पशु सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये। नावें अभी भी कार्य में लगी हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री जैसे चना, नमक, मिट्टी का तेल और दियासलाई बांटी गई है। तकावी भी बांटी जा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक ६,००० रु० अहेतुक सहायता और ३६,००० रु० आपदा तकावी के रूप में बांटा जा चुका है।

## गोरखपुर

३ सितम्बर को गोरखपुर में भारी वर्षा हुई है। शहर के निचले भाग वर्षा के कारण जलप्लावित हो गये इससे घरों को काफी क्षति हुई है। निवासियों को सार्वजनिक इमारतों में

शरण दी गई। लगभग १०,००० व्यक्ति प्रवाहित हुये। जरूरत मंद लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। भारत सेवक समाज और गीता प्रेस ने भी प्रभावित व्यक्तियों में लगभग ६०० मन अनाज बांटा। जल अब प्रभावित क्षेत्र से हट रहा है। राप्ती और घाघरा नदियों में भी बाढ़ आई है परन्तु उनकी बाढ़ के कारण अभी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

## देवरिया

घाघरा में बाढ़ है और ७ सितम्बर को उसका जलस्तर उच्चतम बाढ़ बिन्दु (high flood level) पार कर गया है। उसी दिन छोटी गंडक का जलस्तर भी मध्यम बाढ़ बिन्दु (medium flood level) को पार कर गया। अन्य नदियां निम्नबाढ़ बिन्दु के नीचे ही हैं। किसी व्यक्ति अथवा पशु की जीवहानि नहीं हुई है। ५१ नावें बाढ़ सहायता कार्य में लगा दी गई हैं। यदि पानी का स्तर और बढ़ा तो जिलाधीश द्वारा और अधिक नावें काम में लाई जायेंगी। आवश्यक सहायता कार्य जारी है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

क्या इस वक्तव्य के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछने की आज्ञा देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इस समय ढाई बज चुके हैं। समय बहुत कम है।

(इस समय २ बजकर ३६ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

## रुद्रपुर मार्गस्थ शिविर के विषय में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

रुद्रपुर मार्गस्थ शिविर की क्षमता आरम्भ में ५०० परिवार रखी गई थी। बाद में केन्द्रीय सरकार के आग्रह पर इसको बढ़ाकर पहले ८०० परिवार और फिर २,००० परिवार कर दिया गया है। यहां पर ५२० क्वार्टर उपलब्ध थे। इन क्वाटर्स के बरामदों को २३६ क्वाटर्स में तब्दील कर दिया गया और १,३०५ अतिरिक्त क्वाटर्स, २६३ पी० आर०ए० आई० टाइप शौचालय, ४० ब्लाक ट्रेन्च टाइप शौचालय और २७५ हैन्ड पम्प लगाने की आज्ञा हुई। पुराने क्वाटरों की मरम्मत कराई गई, पुराने ट्यूबवैल को बिजली दे कर चालू किया गया कालोनी की सड़कों पर बिजली की रोशनी का प्रबन्ध किया गया और एक दूसरा ट्यूबवेल भी लगाया गया। इस सब काम के लिये १२,२५,९०० रु० स्वीकृत किये गये। हम आशा करते थे कि यह सब काम १५ अगस्त तक पूरा हो जायेगा, पर जी० आई० शीट्स और सीमेंट की कमी के कारण ६५० क्वाटर्स अभी पूरे होने को रह गये हैं। आशा है कि इन में से ५५० क्लाट्स २१ सितम्बर तक और बाकी १०० क्वाटर्स १५ अक्तूबर तक पूरे हो जायेंगे।

इस शिविर में ८०२ परिवार मई के अन्त में आये और ८०८ परिवार जुलाई के मध्यमें। इस प्रकार कुल १,६१० परिवार आये। जब दूसरा लाट ८०८ परिवारों का आया तो लगभग १५० परिवारों को तम्बुओं में जगह दी गई। परन्तु वर्षा के कारण यह परिवार स्वयं ही अपनी इच्छा से तम्बू छोड़ कर अपने मित्रों या सम्बन्धी परिवारों के साथ क्वाटरों में रहने लगे। अगले कुछ ही दिनों में इन परिवारों को भी अलग-अलग क्वार्टस् दिये जायेंगे।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

शिविर में सभी प्रकार की सुविधा का समुचित प्रबन्ध है। एक डिस्पेन्सरी खोली गई है जिसमें काफी मात्रा में हर प्रकार की दवायें मौजूद हैं और एक मेडिकल अफसर और एक लेडी डाक्टर और उनका पूरा स्टाफ और एक मिडवाइफ भी है। सफाई की व्यवस्था के लिये एक हेल्थ अफसर, एक सेनीटरी इंस्पेक्टर, २ सेनीटरी सुपरवाइजर, ४ स्प्रेइंग मजदूर और ४० मेहतर मौजूद हैं। जिनको आवश्यकता होती है विटामिन वगैरह की गोलियां दी जाती हैं। बच्चों जच्चाओं, और दुर्बल व्यक्तियों को पाउडर से बना हुआ दूध वितरित किया जा रहा है। जिन रोगियों की दशा चिन्ताजनक होती है उनको रुद्रपुर के बड़े अस्पताल में भरती करा दिया जाता है। शिविर में अब तक कोई संक्रामक रोग नहीं फैलने पाया है।

खाद्य सामग्री की सुविधा के लिये शिविर में ३ सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं। उन पर खाद्य सामग्री की कभी कमी नहीं हुई।

शिविर में ४ प्राइमरी स्कूल खोल दिये गये हैं और एक और प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। २७ विद्यार्थियों को रुद्रपुर हायर सेकेन्डरी स्कूल में कक्षा ६, ७ व ८ में दाखिल कर दिया गया है और इन विद्यार्थियों की स्कूल फीस व किताब कापी का खर्चा निर्धारित भत्ता के अनुसार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

शिविर वासियों को पोषण भत्ता भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर प्रत्येक १०दिन के बाद अग्रिम रूप में दिया जाता है। भत्ते की मासिक दर निम्न प्रकार है--

| | | रु० |
|---|---|---|
| (१) | एक सदस्य वाला परिवार .. .. | ३० |
| (२) | दो सदस्य वाला परिवार .. .. | ४० |
| (३) | तीन सदस्य वाला परिवार .. .. | ५० |
| (४) | चार सदस्य वाला परिवार .. .. | ५७.५० पैसे |
| (५) | पांच सदस्य वाला परिवार .. .. | ६५ |
| (६) | पांच सदस्य से अधिक वाले परिवार .. .. | ७० |

भारत सरकार के आदेश के अनुसार भत्ता ऊपर लिखी दर पर शिविर में आने के दो मास की अवधि तक दिया जायेगा। उसके बाद २० रु० प्रति स्वस्थ वयस्क पुरुष की दर से कम किया जायेगा यदि उसके लिये कार्य उपलब्ध है। शिविर में आने के पांच महीने पश्चात् भत्ता ३० रु० प्रति स्वस्थ वयस्क पुरुष की दर से घटा दिया जायेगा और ७ महीने पश्चात् बिल्कुल बन्द कर दिया जायेगा सिवाय उन व्यक्तियों के जो बीमार हों या जिनके लिये कार्य उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त इन परिवारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं भी दी गयी हैं। समाज सेवी संस्थायें बराबर इन की सहायता कर रही हैं और उन्होंने, खास तौर से उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् ने, काफी सामान दैनिक आवश्यकता का शिविर में बांटा है।

जो १,६१० परिवार इस शिविर में आये उनमें से ९९ परिवार पुनर्वासन स्थानों पर भेजे जा चुके हैं। ५० व्यक्तियों को प्रोत्साहन देकर शिविर में ही फुटकर व्यापार में लगा दिया गया है। एक व्यक्ति को ऐन्टी बायटिक्स, ऋषिकेश के फायर ब्रिगेड में नौकरी दिला दी गयी है और एक को हल्दी वर्कशाप, फूल बाग में मेकैनिक की नौकरी दिलवा दी गयी है। ७ व्यक्तियों

को कैम्प के स्टाफ और प्राइमरी स्कूलों में रख लिया गया है। इन्तजाम कर के पड़ोस के बड़े-बड़े काश्तकारों के फार्मों पर कृषि श्रमिक के रूप में काम दिलवाया गया है। पहिले तो लगभग ६०० व्यक्ति इस काम पर लगे और अब भी ५०० व्यक्ति लगे हुये हैं।

१३ परिवार स्वेच्छा से अनुमति लेकर अपने रिश्तेदारों के पास पुनर्वासन के लिए चले गये। एक परिवार ऐसा आया था जो पुराना विस्थापित था और जिसका पुनर्वासन पहिले हो चुका था पर वह दोबारा नाम बदल कर नया विस्थापित होकर आ गया था। उसको शिविर से हटा दिया गया है। ५५ परिवार शिविर परित्याग करके चले गये। इनमें से ३५ ऐसे थे जिन्होंने अपने को कुमीला, चटगांव और मेमनसिंह जिलों का विस्थापित घोषित किया था। कहा जाता है कि यह लोग आसाम की सरहद पर चाय के बगीचों में अपने रिश्तेदारों के साथ काम किया करते थे। या तो वहीं रह कर या समय-समय पर सरहद पार करके और अब जब उन्होंने देखा कि इस प्रदेश में खेती के लिए जमीन मिलना सम्भव नहीं है तो वह फिर अपने रिश्तेदारों के पास चाय के बगीचों में चले गये। परित्याग करने वालों में से ३३ परिवार दास अथवा डे गोत्र के थे और सम्भवतः यह लोग आपस में रिश्तेदार हैं।

यह सर्वथा निराधार है कि विस्थापित परिवारों को किसी प्रकार का यह आश्वासन दिया गया कि उन का पुनर्वास केवल कृषि भूमि देकर ही किया जायगा। केन्द्रीय सरकार ने भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। भारत सरकार से उस की पुष्टि फिर कर ली गयी है। त्रिपुरा से जब ८०८ परिवार आने को थे तब केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा सरकार को लिखा कि वह इन परिवारों को साफ-साफ समझा दें कि उन का पुनर्वास भूमि देकर सम्भव नहीं है और उन को कृषि श्रमिक के रूप में और जहां भी इस प्रकार का पुनर्वासन उपलब्ध हो वहां पुनर्वासन स्वीकार करना होगा। जब से यह परिवार हमारे प्रदेश में आये हैं तब से हम भी और समाज सेवा संस्थायें भी इन को बराबर यह बात समझा रहे हैं। समस्या यह है कि जब से यह परिवार भारत में आये तब से यह इसी बात पर हठ किये हुये हैं कि उन का पुनर्वासन केवल कृषि भूमि देकर ही किया जाय।

केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार यदि एक व्यक्ति दस-दस दिन की तीन नोटिस के उपरान्त भी जो कार्य दिया जाय उस को स्वीकार न करे तो उसका और उस के परिवार का पूरा पोषण भत्ता रोक दिया जाता है। इस प्रकार इस शिविर में १०० व्यक्तियों को नोटिस दिया गया कि वे कृषि विश्वविद्यालय के फार्म पर श्रमिक का काम करें। ५० व्यक्तियों की तीसरी नोटिस की मियाद समाप्त होने पर १ सितम्बर, १९६४ से उनका और उन के परिवार का पोषण भत्ता रोक दिया गया है। बाकी ५० व्यक्तियों को तीसरी नोटिस दिया जा चुका है। काफी समझाने के उपरान्त ही पोषण भत्ता रोकने की नीति अपनायी गयी है। इस पर भी यदि ये परिवार असन्तुष्ट अथवा उत्तेजित हों तो उन की सरासर भूल है।

इस समय तक इन परिवारों को साफ-साफ मालूम हो गया है कि यह सम्भव नहीं है कि उन सबका पुनर्वासन केवल कृषि भूमि दे कर ही किया जा सके। इसी कारण कुछ परिवार शिविर परित्याग करके चले गये।

इन परिवारों का पुनर्वासन करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। विविध प्रकार की योजनायें बनायी जा रही हैं, जैसे कृषि श्रमिक, व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता एवं ऋण, उद्योग धन्धे, मस्त्य उद्योग, कुशल श्रमिक प्रशिक्षण, अकुशल श्रमिक इत्यादि।

शिविर वासियों को शिविर से बाहर जाने की पूरी छूट है। शिविर काफी क्षेत्र में विस्तृत है। और उसके चारों ओर किसी प्रकार की रोक नहीं है। कितने ही सामाजिक कार्यकर्त्ता शिविर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आ चुके हैं और अनेकों ने शिविर में रहकर कल्याणकारी एवं रचनात्मक कार्य किये है।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

शिविर में कोई फौजी पहरा नहीं है। एक पुलिस चौकी जरूर रखी गयी है और वह शिविरवासियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए है।

शिविर के अतिरिक्त कमान्डेन्ट एक बंगाली सज्जन हैं और ७ सोशल वर्कर भी बंगाली ह जिनमें ३ महिलायें हैं। विस्थापित परिवारों के ७ व्यक्ति शिविर के स्टाफ में काम कर रहे हैं। इस प्रकार शिविर का स्टाफ इन परिवारों के लिए समुचित रूप से सहानुभूति, सौजन्य व सहनशीलता से कार्य कर रहा है। वर्तमान शिविर कमान्डेन्ट स्वभावतः दुर्व्यवहार करने के सर्वथा प्रतिकूल हैं।

## कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि आज विधेयक चलने के पहले औपचारिक कार्य समाप्त होने के बाद जो हम ने पत्र दिया है उस पर विचार करेंगे। तो उस को आप पढ़ दें तो स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

उसको अन्त म लिया जायगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

इस वक्तव्य पर प्रश्न तो होंगे ही?

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर प्रश्न नहीं होंगे। यह केवल वक्तव्य के लिए था।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

हमने एक सूचना सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लिख कर दी थी कि गोरखपुर में सार्वजनिक आचरण सम्बन्धी मामले उन के विरुद्ध ह।

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय वह नहीं आ सकता है। वह समाप्त हो गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

सदन की यह परम्परा है कि जब सदन का अन्तिम दिन होता है तो उस दिन आगे का कार्यक्रम बतलाया जाता है। तो आज वह आगे का कार्यक्रम बतला दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप ने संकेत कर दिया है तो वह बतला देंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जो मैंने सूचना लिख कर दी है उसके सम्बन्ध में मैं लोक सभा की रूलिंग पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब उसके लिए कोई मौका नहीं है।

# उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ खण्ड ६ (क्रमागत)*

श्री उपाध्यक्ष---

एक बात मैं अर्ज कर दूं कि इस बिल के लिए ३ बजे तक का समय था। चूंकि बहुत-सा समय इसमें निकल गया है तो अब इस को ४ बजे तक लिया जायगा। इसके बाद फिर २ घंटे उस बिल के लिए रहेगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

आप ५ बजे तक इसको कर दें और १ घंटा बाद में दूसरे बिल के लिए रख दें।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा ठीक है।

**श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)---

उपाध्यक्ष जी, मैं अपने संशोधन के जरिये से यह रखना चाहता हूं कि इस धारा के बाद इसको जोड़ दिया जाय। म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट की धारा ९ (ए) में यह दिया है कि---

"The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the Board as the population of the Scheduled Castes in the Municipality bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950."

श्री कमलासिंह यादव---

यह जो खंड पेश किया गया है उस के अन्दर शिडयूल्ड कास्ट लोगों को रखा गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पढ़ा इस ९(ए) के अन्दर रिजर्वेशन आफ सीट्स शिडयूल्ड कास्ट के लिए रखा हुआ है और उसमें यह भी दिया है कि संख्या जो है वह सेन्सस के हिसाब से जितनी संख्या होगी वह उस के मुताबिक होंगी। माननीय सदस्य २ आदमियों को रखना चाहते हैं जब कि उससे ४०, ५० और ६० भी हो सकते हैं। तो उस के बिलकुल कन्ट्रैडिक्टरी है और उस में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है इसलिए ऐसा संशोधन नहीं लाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष---

इस में दो शिड्यूल्ड कास्ट की बात निकाल दी जाय तो केवल दो वोमेन का रह जायगा।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील---

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो अमेंडमेंट आया है वह सही है, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं दो शिड्यूल्ड कास्ट और दो वोमेन मेम्बर्स को कोआप्ट कराना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है। यह और ज्यादा चाहते हैं तो आपको क्या एतराज है ?

---

*८ सितम्बर, १९६४ की कार्यवाही से।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

जैसा अभी मैंने धारा ९—ए पढ़ा, उसमें है कि पापुलेशन के हिसाब से शिड्यूल्ड कास्ट का जो प्रोपोर्शन होगा उस हिसाब से उनकी सीट्स रिजर्व होंगी। लेकिन वार्डस् का एरिया बढ़ जाने से मुमकिन है कि वे चुन कर न आ पायें अथवा आप देखते हैं कि चुनाव दिन ब दिन कीमती होता जा रहा है। वे लोग गरीब हैं और चुनाव लड़ नहीं पाते और ऐसी हालात में उनका प्रतिनिधित्व हो नहीं पायेगा। इसलिए मैं ने यह संशोधन रखा है कि ४० के अन्दर जो हिसाब से आयें वह तो रहेंगे ही और इस के अतिरिक्त दो और शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर्स होंगे।

इसके अलावा लेडीज के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उनमें शिक्षा नहीं है। वे शर्म के मारे खड़ी भी नहीं होतीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको भी मौका दिया जाय और वे अपना प्रतिनिधित्व वहां कर सकें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

मैं इसका जवाब कल ही दे चुका हूं कि महिलाओं के कोआप्शन की जरूरत नहीं है। मेम्बर्स के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। अगर दूसरा भाग इसका मान लिया जाय तो मेरठ आदि में १२, १४ सदस्य रहते हैं और वह एक ऐसा बड़ा ब्लाक हो जायगा कि जो म्युनिसिपैलिटी के बैलेंस को बिगाड़ेगा। इसलिए मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित संशोधित धारा ९ के उप-खण्ड (४) के बाद निम्न-लिखित जोड़ दिया जाय—

"(*c*) Two Schedule Caste and 2 women members, co-opted by the elected members.

(*d*) All the members of the Legislative Council and Assembly of the Uttar Pradesh who reside in the locality of the Municipality or in whose Constituency the Municipal Board is situated."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

पी० ऐक्ट २, १९१६ धारा १० का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १०—ए में शब्द "four years" के स्थान पर शब्द "five years" रख दिये जायं।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की दूसरी पंक्ति में शब्द "five years" के स्थान पर "three years" रख दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, अक्सर देखा जाता है कि म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के लिए लिस्ट विधान सभा के चुनावों की लिस्ट के आधार पर बनायी जाती है।

हमेशा नियम यह रहा है कि और इसी तरह से चुनाव भी होता है। लेकिन सरकार का रवैया यह है कि बजाय इसके कि जब एम० एल० एज० का चुनाव हो तभी चुनाव करा दिया जाय, क्योंकि वोटर लिस्ट वही है, सरकार जब देखती है सरकारी कैन्डीडेट हार रहे हैं और विरोधी दल के लोग आ रहे हैं तो एक्सटेंड करने की कोशिश करती है। अगर हर पांचवें साल एलेक्शन करा दें तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यदि इस प्राविजो को निकाल दें तो पीरियड एक्सटेंड करने का मौका ही न रहे, क्योंकि इसके रहने से बार-बार एक्सटेन्ड करने के मोशन आते रहेंगे। अधिकारी भी ठीक तरीके से काम करें, इसलिए मैं ने यह संशोधन रखा है। मुझे आशा है कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इसमें ४ साल के बजाय ५ साल का टर्म किया गया है म्युनिसिपैलिटी का ताकि जिला परिषद्, असेम्बली सभी की अवधि वही हो और जो दलीलें कमला सिंह जी ने दी हैं वही इस में लागू होती हैं। हमारा यह मंशा है कि सब चुनाव एक साथ करा दिये जायं क्योंकि वोटर लिस्ट एक है और उससे खर्चा भी बच सकता है।

दूसरा संशोधन मैं मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि ५ साल का समय दिया हुआ है, इस पर काफी विवाद हो चुका है और सब कुछ सोच-समझ कर दो साल का पीरियड रखा गया है। यह हमेशा नहीं हो सकता कि बार-बार एक्सटेंशन के लिए मोशन आये, यह तो विशेष परिस्थिति के लिए है। प्रवर समिति ने सब बातों पर विचार करके इस बात को स्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ की दूसरी पंक्ति में शब्द "five years" के स्थान पर "three years" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में मूल अधिनियम की धारा १०-ए में प्रस्तावित शब्द "five years" के बाद निम्नलिखित शब्द "Proviso" के स्थान पर रख दिये जाय--

"Provided that the State Government may by notification in the official *Gazette* extend from time to time the term of all or any of the boards, so, however, that the total extension in the case of any board does not in the aggregate exceed one year."

यह जरूर है कि जब आवश्यकता पड़े तो उसका पीरियड बढ़ा दिया जाय, लेकिन यह देखा गया है कि इतना अधिक अधिकार देने का फल उचित नहीं होता। यहां तक हुआ है कि ११ साल तक म्युनिसिपैलिटी का एक्सटेंशन किया गया है। हाल ही में ६-६ महीने कर के कई एक एक्सटेशन दिये गये हैं। इसको रोकने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि बजाय २ साल के एक साल तक कर दिया जाय और उसके बाद तुरन्त एलेक्शन करा देना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, माननीय सूरजलाल गुप्त जी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत ही तर्क पर आधारित है और बहुत महत्वपूर्ण है। या तो माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन दें कि वह समय १ साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जायेगा या वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं पहले ही कह चुका हूं, यह मुनासिब नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा पीरियड उसमें २ साल का रखा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि दो साल ही होगा, अगर जरूरत पड़ी तो वह दो साल तक बढ़ाया जा सकेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इस पर काफी विचार कर लिया गया है और उसके बाद ही इसे रक्खा गया है। अतः यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ में मूल अधिनियम की धारा १०-ए में प्रस्तावित शब्द "five years" के बाद निम्नलिखित शब्द 'Proviso' के स्थान पर रख दिये जायं :--

"Provided that the State Government may by notofication in the official *Gazette* extend from time to time the term of all or any of the boards, so, however, that the total extension in the case of any board does not in the aggregate exceed one year."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कमला सिंह जी, अब यह दूसरा संशोधन तो आप पेश नहीं करेंगे, इसके बारे में तय हो ही चुका है?

श्री कमलासिंह यादव--

कुछ निवेदन जरूर करना चाहूंगा, पेश नहीं करूंगा। एक बात यह कहना चाहता हूं कि अब तक हमेशा यह रहा है कि जब भी एक साल या इस से ज्यादा का समय बढ़ाया गया है तो वह सदन के सामने प्रस्तुत होता रहा है। अब सरकार की पालिसी यह होती जा रही है कि वह ऐसे अधिकार लेना चाहती है जिस से वह मनमाने ढंग से काम करती रहे। जैसा वह चाहे करे। अब तक वह सदन के सामने जब रखा जाता रहा है तो यही होना चाहिए आगे भी। इनका बहुमत है। जैसा यह चाहें कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि अगर वह चीज हाउस के सामने आती है और सदन को वह सरकम्सटांसेज बताये जाते हैं जिन के कारण परमिशन की जरूरत है तो हम उस को अपोज करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ८

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा १३-डी का संशोधन

८-मूल अधिनियम की धारा १३-डी में--

(१) खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(*a*) is a dismissed servant of a local authority, the Central Government, or the Government of a State or Union Territory and is debarred from re-employment thereunder ; or"

(२) खण्ड (ई) निकाल दिया जाय।

(३) खण्ड (एच) में शब्द "leprosy" और तत्पश्चात् आये हुये सेमीकोलन के बीच में शब्द " or any such infectious disease as may be specified by the State Government or by order" रख दिए जायं।

(४) खण्ड (आई) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (आईआई) बढ़ा दिया जाय:—

"(*ii*) has been convicted of any offence punishable with imprisonment under section 171-E or an offence punishable under section 171-F of the Indian Penal Code, 1860 ; or" ;

(५) खण्ड (जे) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(*j*) has been sentenced to imprisonment for contravention of any order under the Essential Commodities Act, 1955, or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947, as re-enacted by the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1953, or the Prevention of Food Adultation Act, 1954 or for an offence which is declared by the State Government to involve such moral turpitude as to render him unfit to be a member, or has been ordered to execute a bond for good be haviour in consequence of proceedings under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898 such sentence or order not having been subsequently reversed." और

U. P. Act No. 11 of 1947, U. P. Act No xii of 1953, U, P. Act No xxxvii of 1954.

(६) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्त में आये हुये पूर्णविराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:—

"Provided also that in case of (*j*)—

(i) the disqualification shall cease on the expiry of five years from the date of his release or from the date of the expiry of the period for which he is required to execute a bond for good behaviour, as the case may be ; and

(ii) the disqualification shall not, in the case of a person who is, on the date of the disqualification, a member of the board, take effect until three months have elapsed from the date of such disqualification or if within these three months an appeal or petition for revision is brought in respect of conviction or order until that appeal or petition is disposed of."

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड ९ तथा १०

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा २०, २१ और २२ के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन

**९**—मूल अधिनियम की धारा २०, २१ और २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जायें :—

From presentation of election petitions.

**"20.** (1) An election petition shall be presented within and 30 days after the day on which the result of the elections sought to be questioned is announced by the Returning Officer, and shall specify the ground or grounds on which the election of the respondent is questioned and shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies and set forth the full particulars of any corrupt practices that the petitioner alleges, including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practices and the date and place, of the commission of each such practice.

Act no. V of 1908.

(2) The petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908, for the verification of pleadings.

(3) The petition may be presented by any candidate in whose favour votes have been recorded and who claims in the petition to be declared elected in the room of the person whose election is questioned or by ten or more electors of the municipality or by a person who claims that his nomination paper was improperly rejected.

(4) The person whose election is questioned and, where the petitioner claims that any other candidate should be declared elected in the room of such person, every unsuccessful candidate who is not a petitioner in the petition shall be made a respondent to the petition.

(5) The petition shall be presented to the District Judge, or in a district where there is no headquarters of the District Judge, to the Civil Judge, within whose jurisdiction the municipality to which the election petition relates is situate;

Provided that the petition shall not be entertained by the District Judge or the Civil Judge, as the case may be, unless it is accompanied by a treasury challan showing that the prescribed security has been deposited.

Recriminatory Proceedings.

**21.** (1) Where in an election petition a declaration that any candidate other than the returned candidate has been duly elected is claimed, the return candidate or any other party may give evidence to prove that the election of such other candidate would have been void if he had been the returned candidate and a petition had been presented calling hin question is election :

Provided that the returned candidate or such other party shall not be entitled to give such evidence unless he has within twenty-one days from the date of the service upon him of the notice of the election petition, given notice to the election tribunal of his intention to do so and has also deposited the security prescribed in the case of an election petition questioning the election of a member,

(2) Every notice referred to in sub-section (1) shall be accompanied by a statement of ground or grounds and of material facts and full particulars required by section 20 in the case of an election petition and shall be signed and verified in like manner.

Hearing of petition by Election Tribunal.

**22.** (1) An election petition not complying within the provisions of section 20 or upon which the requisite court-fee has not been paid at the time of presentation or within such further time not exceeding fourteen days as the District Judge or the Civil Judge, as the case may be, may have granted, shall be rejected by such Judge.

(2) An election petition not rejected under sub-section (1) shall be heard by a tribunal consisting of a District Judge or an Additional District Judge appointed by the Director of Elections (Local Bodies) in this behalf.

(3) The petition shall be heard at a place in the district within the municipality to which the election petition relates is situate.

(4) If for any reason a vacancy occurs in the office of a member of Tribunal and the Director of Election (Local Bodies) appoints any other District Judge or Additional District Judge to fill the vacancy, the trial of the petition shall be continued by the Judge so appointed as if he had been on the Tribunal from the beginning ;

Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, recall and re-examine any of the witnesses already examined."

**१०—मूल अधिनियम की धारा २३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २३—ए बढ़ा दी जाय —**

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ में नयी धारा २३—ए का बढ़ाया जाना

Transfer of Election Petition.

"23-A. The Director of Elections (Local Bodies) may at any stage, after notice to parties and for reasons to be recorded, withdraw any petition pending before the Tribunal and transfer it for trial to another Tribunal constituted in accordance with the provisions of section 22; and upon such transfer the Tribunal shall proceed with the trial from the stage it was withdrawn:

Provided that it may, if it thinks fit, recall and re-examine any of the witnesses already examined."

***श्री कमलासिंह यादव—**

**मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ९ में प्रस्तावित धारा २० के खण्ड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "petition" और "shall" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :—**

"or any schedule or annexure to the petition."

**इसके बारे में ज्यादा न कह कर मैं सिर्फ माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक कानूनी चीज की ओर दिलाना चाहता हूं कि कोई भी पिटीशन दाखिल होता है तो उसके साथ कोई न कोई एनेग्जर आता है । लेकिन जब तक वह सी० पी० सी० के जरिये वेरीफाई नहीं होता, तब तक वह प्लेन्ट का पार्ट नहीं माना जाता । इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान रिप्रे-**

---

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।**

[श्री कमलासिंह यादव]

जेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट की धारा ८३ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें दिया हुआ है :—

83(1) (*c*) shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908) for the verification of pleadings.

उसके नीचे श्रीमन्, ठीक यह भी है कि :—

83(2) Any schedule or annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition.

इसलिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि वे इस संशोधन को रूल्स में प्रोवाइड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक कानूनी नुक्स हो जायगी और एक दिक्कत पैदा हो जायगी।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय कमलासिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन '२३' में इसका प्राविजन किया है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड से वेरिफाईड होंगे, वे पिटीशन के पार्ट होंगे। उनका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उस में १५/२० दफा इसीलिए की गयी है। अब इसको और नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः मैं इसको नामंजूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ९ में प्रस्तावित धारा २० के खण्ड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "petition" और "shall" के बीच में निम्नलिखित जोड़ दिये जायं:—

"or any schedule or annexure to the petition."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ९ में प्रस्तावित धारा २० के खण्ड (३) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (३) रख दिया जाय:—

"(3) The petition may be presented by any unsuccessful candidate in whose favour votes have been recorded or by any one or more electors if the same municipal constituency or by a person who claims that his nomination paper was improperly rejected.

*Explanation*—When the petition is delivered, to the Disrict Judge or in case where there is no headquarter of the District Judge to the Civil Judge or to any officer so appointed in this behalf, by the petitioner himself or in case there are more than one petitioner by any of them or through their pleader or agent duly authorised in writing in this behalf or when it is sent by registered post and is delivered to the aforesaid officers, it would be a proper presentation of the petition."

इसमें ३ वेराइटी हैं, श्रीमन्। तीन तरह के अप्लीकेन्ट हैं। पहली किस्म है —

The petition may be presented by any unsuccessful candidate in whose favour votes have been recorded.

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हर तरह से हम क्रश करना चाहते हैं। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि वह आदमी जिसके खिलाफ करप्ट प्रेक्टिसेज के चार्जेज हों, उसको इसमें पार्टी बनाया जाय। पब्लिक की बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहां तक कैन्डीडेट का सवाल है, क्योंकि जब उसने पर्चा दाखिल किया है वह कैन्डीडेट हो जाता है, वह पार्टी अवश्य होना चाहिये। उसके खिलाफ अगर करप्ट प्रेक्टिस के एलिगेशन हैं तो यह जरूरी है कि वह पार्टी बनाया जाये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, चूंकि इस विधेयक में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि उसको पार्टी बनाया जा सके। इसीलिये आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। यह जरूरी होगा कि उसे पार्टी बनाया जाये ताकि कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल जो आदेश दे वह उस पर बाइंडिंग रहे और हमेशा के लिये वह पार्टी बन जाये। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का भी एलेक्शन इसलिये खारिज हुआ था, वह अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा भी इसी वजह से खारिज हुआ था कि मैंने विथड्रा करने वाले कैन्डीडेट को पार्टी नहीं बनाया था। ऐसी गलती फिर न हो, इसलिये वह संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि आप देख रहे हैं कि दो दिनों से जब से यह विधेयक पेश हुआ बराबर कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही चल रही है। तो मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं। जब-जब यह प्रश्न उठाया गया यह प्रमाणित हुआ कि हाउस में कोरम नहीं है और अब भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह गलत है। जब तक ध्यान नहीं आकर्षित किया जाएगा, कोरम माना जाएगा और अब घण्टी बजेगी।

(घण्टी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं माननीय कमला सिंह जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की दफा २७ वह देख लें। उसमें यह दिया हुआ है कि जिन लोगों के खिलाफ करप्ट प्रेक्टिसेज के चार्जेज होंगे उनको पार्टी बनाया जायगा और वह डिबार हो सकते हैं। दूसरे, जो उन्होंने संशोधन दिया है उसकी भाषा पेटीशन तक तो वही है जो हमारी है। उसके बाद उन्होंने लिखा है--

"But where no declaration is sought by the petitioner only the returned candidate shall be made respondent. In case of allegation of corrupt practices against any of the nominated candidates such candidate, shall also be made parties to the petition."

यह रिडंडेंट है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और जो दूसरा अंग है उसका प्राविजन दफा २७ में मौजूद है। इसलिए इस संशोधन की जरूरत नहीं है। मैं इसको नामंजूर करता हूं।

*श्री कमला सिंह यादव--

एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैंने यह सेक्शन पढ़ा, उसमें साफ दिया है कि कौन कौन पार्टी होगा और सेक्शन २७ में इसकी सफाई दी हुई है। पार्टी बनाने का उसमें नहीं है....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

पार्टी का भी है, आप उसको पढ़ लें।

Provided that no such declaration shall be made about any candidate who was not a party.

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने बताया श्रीमन्, कि उसमें यह दिया है कि कोई भी आदमी जब तक पार्टी न बनेगा तब तक कोई उसके खिलाफ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता। यहां पर सेक्शन यह है कि कौन-कौन पार्टी होगा और उसमें आपने लिख दिया है कि जो अनसक्सेसफुल कैन्डीडेट हों, लेकिन जो और नामिनेटेड कैन्डीडेट्स होते हैं उनका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा २० के खंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (४) रख दिया जाय :

"(4) The person whose election is questioned and where the petitioner claims that he or any other candidate should be declared elected in the room of such person, all the contesting unsuccessful candidates shall be made respondent to the petition But when no declaration is sought by the petition only the returned Candidate shall be made respondent. In case of allegation of corrupt practices against any of the nominated candidates such candidates shall also be made parties to the petition."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा २० के खंड (५) के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"Provided that the petition shall not be entertained by the District Judge or the Civil Judge or the officer authorised as the case may be, unless it is accompanied by a treasury challan, showing that the prescribed security has been deposited, or deposits in cash the prescribed security amount."

इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज में हो सकता है कि बहुत से वहां भी इल्लिटरेट आदमी हों, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज की हालत यह है कि वहां पर गरीब और बेपढ़े लिखे आदमी बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है कि वह फार्म भरना न जानते हों तो यह पाबन्दी हो जाती है उस केन्डीडेट के लिए जो कि दस्तखत न कर सके। जहां तक क्लाज २३ के सब क्लाज (२—सी०) का संबंध है, उसमें साफ दिया हुआ है कि एक ट्रिब्युनल किसी वक्त भी दूसरी बार भी सिक्योरिटी मांग सकता है। जब ऐसा है तो इस मामले में भी आपको लिबरल होना चाहिये। सिक्योरिटी इसलिये रखी जाती है कि जिससे खर्चा दिलाया जा सके अथवा कोई पेनेल्टी लगायी जाय तो वह सिक्योरिटी से वसूल हो जाय। मान लीजिये एक चालान है अगर किसी ने यह उसमें नहीं लिखा है कि किस परपज से उसने सिक्योरिटी दाखिल की है तो उसमें एक कानूनी नुक्स रह जाता है। इसलिये माननीय मंत्री जी को यह सहूलियत देनी चाहिये कि कोई भी उसको चाहे चालान से जमा कर दे अथवा कैश देदे। यह जरूरी नहीं है कि इसको कानून में ही मान लिया जाय, आप चाहें तो इसको रूल्स में भी कर दें। लेकिन पब्लिक को सहूलियत मिलनी ही चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला म्युनिसिपैलिटी का है, लोकल है, वहीं डिस्ट्रिक्ट जज होगा, सिविल जज होगा, इसलिये चूंकि लोग वहीं के होंगे, उनको वहीं दाखिल करने में आसानी होगी। एक बात यह भी कही गयी कि रुपया चालान वगैरह के जरिये न हो। यह आर्टिकिल २८४ के विरुद्ध होगा, क्योंकि उसमें प्रोवाइड किया गया है कि सब रुपया ट्रेजरी में ही जमा होना चाहिये। यह तो मामूली व्यवहार की बात है और फिर अदालत में रुपया देना ठीक नहीं है। इसलिये कमलासिंह जी का जो संशोधन है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर्ड पोस्ट से डिलेवरी हो जाती है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वह तो सारे हिन्दोस्तान के लिये है।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन, मेरा तजुरबा है कि जब सिविल जज वहां नहीं होता तो मुन्सरिम ही कागजात लेता है, पर्सनली देने में बड़ी परेशानी होती है। हर आदमी के लिये पर्सनली देना मुमकिन नहीं है। आप अगर मुन्सरिम को भी अधिकार दे दें तो अच्छा हो। पर्सनली देने की टेक्निकेलिटी की आवश्यकता नहीं है। जहां तक वेरीफिकेशन की बात है वह तो वकील करता ही है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई दिक्कत न होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा २० के खंड (५) के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"Provided that the petition shall not be enter tained by the District Judge or the Civil Judge or the officer authorised as the case may be, unless it is accompanied by a treasury challan, showing that the prescribed security has been deposited, or deposits in cash the prescribed security amount."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा २० (५) के अन्त में निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय :

"(6) The petition shall be presented to the District Judge or the Civil Judge as the case may be, within whose jurisdiction the Muncipality to which the election petition relates, by the petitioner himself in person, authorised agent or his authorised counsel."

श्री चतुर्भुज शर्मा--

श्रीमन्, इस धारा में कोई अमेन्डमेंट नहीं है। इस सम्बन्ध में शायद मैंने लिख कर भी आपके पास भेजा है। तो यह संशोधन यहां नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, इसलिये यह उसकी परिधि के बाहर है। यह नहीं आ सकता है।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा २२ के खंड (२) की पंक्ति २ व ३ में से शब्द " Consisting of a District Judge or an Additional District Judge" निकाल दिये जायं ।

यह इसलिये रखा है कि ट्रिब्युनल के लिये यह डेफिनिट दिया है कि ट्रिब्युनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में से होगा । ट्रिब्युनल यहां जिस तरह से एप्वायंट होता है यह सब को मालूम है, फिर मैं नहीं जानता कि इसमें डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लिखने की क्या आवश्यकता है ?

इसके साथ ही मेरा और जो दूसरा संशोधन है उसको भी जोड़ दिया जाय ।

मेरा संशोधन यह है कि—

खंड ९ में प्रस्तावित धारा २२ के खंड ४ की तृतीय पंक्ति में शब्द " Additional District Judge" और "to fill" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"or Civil Judge or Additional Civil Judge"

इस बात को आप भी मानते हैं कि ट्रिब्युनल में हायर अथारिटी के लोग रखे जाते हैं । मैं समझता हूं कि मुन्सिफ, जुडिशयल साइड के हैं वैसे ही सिविल जज और एडिशनल सिविल जज भी हाई रैंक के माने जाते हैं और यह भी माना जाता है कि वे बहुत ही इंडिपेंडेंट परसन होते हैं । क्योंकि सेशन ट्रायल भी सिविल जज करते हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि दो तरह के डिस्टिंक्शंस आपने किया है । एक तो ऐसे स्थान पर म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां डिस्ट्रिक्ट जज का हेड क्वार्टर है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहता है और दूसरे उन स्थानों पर म्युनिसिपैलिटीज हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का हेड क्वार्टर नहीं है, बल्कि वहां सिविल जज का हेड क्वार्टर है । तो माननीय मंत्री जी से मेरा कहना है कि अगर एलेक्शन पिटीशन के लिये आप किसी को डिस्ट्रिक्ट जज के हेड क्वार्टर पर भेजते हैं तो उसमें समय की भी दिक्कत होगी और इसमें खर्च का भी सवाल है, एकोमोडेशन का भी सवाल है । तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का प्राविधान इसमें कर दिया जाय कि जहां सिविल जज का हेड क्वार्टर हो और एडिशनल सिविल जज का हेड क्वार्टर हो वहां उनको भी ट्रिब्युनल बनाने की पावर दे दें और उस क्षेत्र में नगरपालिका का कोई भी केस हो तो वह पेटीशन को ट्राई कर सकें । यह साधारण सी बात है और इसको मानने में मंत्री जी को कोई दिक्कत न होनी चाहिये ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, पहले माननीय कमलासिंह जी ने जो ट्रिब्युनल की परिभाषा में संशोधन चाहा था उसी के अनुसार उन्होंने इसको भी रखा है और चूंकि वह परिभाषा मंजूर नहीं हुई इसलिये यहां भी यह चीज नहीं आ सकती । दूसरे उन्होंने कहा कि सिविल जज को भी ट्राई करने का हक दिया जाय । इस पर वादविवाद हुआ था, लेकिन अन्त में समिति में यही माना गया कि दाखिला तो सिविल जज के यहां हो जाय, लेकिन फैसला जिला जज के यहां हो । यही चीज उचित भी मालूम होती है क्योंकि बड़ी अदालत का फैसला जरा ज्यादा महत्व रखता है । इसीलिये जिला जज को रखा गया है । थोड़े से जिलों में ही जिला जज नहीं है बाकी सब में तो हैं ही, जहां नहीं हैं वहां के मुकदमें आसपास के जिलों में हो जाते हैं । इसी वास्ते हम ने सिविल जज को नहीं रखा था । इस पर काफी बहस हो चुकी है । इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा २२ के खंड (२) की पंक्ति २ व ३ में से शब्द "Consisting of a District Judge or an Additional District Judge." निकाल दिये जायं। और खंड ९ में प्रस्तावित धारा २२ के खंड ४ की तृतीय पंक्ति में शब्द "Additional District Judge" और "to fill" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"or Civil Judge or Additional Civil Judge."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा २२ के उप-खंड (४) के प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"Provided that subject to the provisions of this Act, the provisions of the Indian Evidence Act be deemed to apply in all respects to the trial of an election petition."

श्रीमन, जहां तक दफा २३ का सम्बन्ध है सिविल प्रोसीजर कोड के प्राविजन्स के एप्लीकेशन के लिये साफ दिया हुआ है और इंडियन एवीडेंस ऐक्ट के बारे में कोई प्राविधान नहीं है और कुछ बातें ऐसी कान्ट्रेडिक्टरी आ जाती हैं कि जिन में यह जरूरी हो जाता है। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान रिप्रिजेन्टेशन आफ प्यूपिल्स ऐक्ट के सेक्शन ९ के सब क्लाज १ व २ की ओर दिलाना चाहता हूं। १ तो सी० पी० सी० से कवर हो जाता है, लेकिन इंडियन एवीडेंस ऐक्ट का एप्लीकेशन कवर नहीं होता। मैंने इसमें रखा है कि सबजेक्ट टु दि प्राविजिन्स आफ दिस ऐक्ट। कोई चीज कान्ट्रेडिक्टरी नहीं होना चाहिये इसलिये मैंने यह रखा है कि विशेष परिस्थिति में इंडियन एवीडेंस ऐक्ट भी लागू हो, एलेक्शन पेटीशन के ट्रायल के मामले में। अगर किसी को साबित करना होगा तो यह जरूरी होगा, कोई डाकूमेंट सिद्ध करना है और सिविल न्यायालय में भेज रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है। यह सिविल प्रोसीजर कोड की धारा २३ को कवर कर देता है क्योंकि इस ऐक्ट में ऐसा प्राविधान है। इसलिये यह जरूरी है कि इंडियन एवीडेंस ऐक्ट का भी एप्लाई होना माना जाय, मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसको मंजूर करेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमलासिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि दफा २३ में एलेक्शन पेटीशन के बारे में सब कुछ रख दिया गया है। उसे देखा तो इसमें कुछ सिद्धान्त जो एवीडेंस ऐक्ट के हैं वह माने गये हैं और नेचुरल जस्टिस का सिद्धान्त हर जगह लागू होता है। अतः एवीडेंस ऐक्ट का यहां रखना अननेसेसरी होगा। इस तरह का प्रोवीजन हमारे यहां खण्ड २३ में है इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा २२ के उप-खंड (४) के प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:--

"Provided that subject to the provisions of this Act, the provisions of the Indian Evidence Act be deemed to apply in all respects to the trial of an election petition."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ और १० विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

खण्ड ११-१४

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ३० का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा ३० में शब्द "persists n making" के स्थान पर शब्द "has made a wilful" और शब्द "is exceeding or abusing" के स्थान पर शब्द "has exceeded or abused' रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ३४ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (१—बी) में शब्द "public interest" और तत्पश्चात् आये हुए कामा के बीच में शब्द "or as been passed or made in abuse of powers or in flagrant breach of any provision of any law for the time being in force" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ३५ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (१) के अन्त का "पूर्ण-विराम" निकाल दिया जाय और निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें —

"or the carrying out of that order or direction."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ३६ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (१) में शब्द "for the safety or protection of the public" के स्थान पर शब्द "for the safety, protection or convenience of the public" रख दिये जायं ।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के स्थान पर निम्नलिखित खंड ११ रख दिया जाय :

"११—मूल अधिनियम की धारा ३० की तृतीय पंक्ति में शब्द 'That the Board persists in making default" के स्थान पर शब्द 'that the Board has made a default and persists in making a wilful default' और शब्द "is exceeding or abusing its powers" के स्थान पर शब्द 'has exceeded or abused its powers and is exceeding or abusing its powers,' रख दिये जायं ।"

मेरा मंशा यह है कि बराबर देखा जाता है कि पार्टी पौलिटिक्स के कारण अगर बोर्ड का मेम्बर या प्रेसीडेंट कोई कांग्रेस का है और कांग्रेस की मेजारिटी है तो सरकार हमेशा उसका पक्ष करती है । लेकिन जहां आपोजीशन का कोई आदमी आ जाता है तो अगर कोई मामूली भी टेक्नीकल डिफीकल्टी हो गयी या उसने इनकार कर दिया किसी काम के करने के लिये तो फौरन सरकार उसको सुपरसीड करने की कोशिश करती है । अगर कोई आदमी गलती करता है उसको सुपरसीड करने की पावर सरकार ले रही है, लकिन कभी आपने यह नहीं सोचा कि पहले देख तो लें कि कभी उसने कोई डिफाल्ट तो नहीं किया । होता क्या है कि अगर २, ४ साल पहले उसने कभी कोई डिफाल्ट किया है तो आज भी उस पर कैलेमिटी आ सकती है। इसलिये हम आपकी नाराजगी का शिकार नहीं होना चाहते और इसलिये यह संशोधन रख रहे हैं कि अगर उसने पहले कोई गलती की हो या डिफाल्ट किया हो और उसके बाद जानबूझ कर उसको कन्टीन्यु करें तो आप सजा दीजिये । लेकिन पहले अगर किसी वजह से डिफाल्ट हो गया और उसी पर चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद आप उसको सुपरसीड कर दें तो यह उचित नहीं होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरे यह है कि संशोधन में दिया हुआ है कि "इज ऐक्सीडिंग और ऐब्यूजिंग इट्स पावर्स" के स्थान पर हम चाहते हैं कि "has exceeded or abused its powers and is exceeding or abusing its powers" रख दिये जायं जिसका अर्थ यह होगा कि अगर ऐक्सीड कर गया हो और कन्टीन्यु करे तब तो बोर्ड गुनहगार है । लेकिन पहले हमने कोई गुनाह कर दिया बाद में हमको उसी बिना पर सुपरसीड कर दिया क्योंकि हम अपोजीशन के हैं यह उचित नहीं है । इसलिये, चूंकि बोर्ड प्रतिनिधित्व करता है वहां की पापूलेशन का, सरकार को हक नहीं है कि वहां के लोगों को राइट आफ सिटीजनशिप से वंचित करें और बोर्ड को सुपरसीड करें । आप देखें कि अगर कहीं कोई गलती हुई है और बराबर कन्टीन्यू कर रहा है उस समय आप सजा दें । तब हम कहेंगे कि बिलकुल डिफाल्ट है । लेकिन कभी कोई डिफाल्ट किया है और उसी पर सजा दे दें तो वह बिलकुल डिफाल्ट नहीं होगा । इसीलिये बिलकुल शब्द रखा गया है जो इंटेंशन शो करता है । लेकिन अगर इंटेंशनल नहीं है और कंटीन्यु नहीं कर रहा है तो आप सजा नहीं दे सकते । हमने एक डिफाल्ट किया और उसको कन्टीन्यू कर रहे हैं । इसका मतलब यह है हमारी पुरानी गल्ती की सजा दें । माननीय मंत्री जी इस पर खयाल करें । अगर हमने कोई पहले गलती की है तो आप इस पर सुपरसीड करें या डिजाल्व करें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जो संशोधन माननीय कमलासिंह जी ने रखा है इस पर उन्होंने काफी विचार किया है । वाकया यह है कि यह कोई पार्टी बाजी का सवाल नहीं है । प्रश्न केवल यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सही चले और म्यूनिसिपैलिटी का कैसे काम चले । इस दृष्टिकोण से यह कानून बनाया गया है । इसी दृष्टि से प्रवर समिति में, जिसमें सभी दलों के माननीय सदस्य थे, इसे सर्वसम्मति से मंजूर किया गया है । कारण यह भी था कि हाईकोर्ट से यह आया कि परसिस्ट्स इन मेकिंग से जब तक आप आर्डर पास कर दें उस रोज भी उसने कुछ किया है । लेकिन अगर एक रोज भी उसने कुछ नहीं किया तो ऐक्शन नहीं ले सकते हैं । लेकिन प्रवर समिति ने इसमें "हैज मेड विलफूल डिफाल्ट" रख दिया । इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही है । अगर वे परसिस्ट करते हैं तो कोई भी बार बार चीज उठाते हैं तो इस तरह से अगर चेयरमैन को यह अधिकार हो और आखीर तक नहीं करता तो कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता है । हमने इसे हाई कोर्ट की रूलिंग को ध्यान में रखते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन के खयाल से रखा है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले । इसलिए मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ११ के स्थान पर निम्नलिखित खंड ११ रख दिया जाय--

११--मूल अधिनियम की धारा ३० की तृतीय पंक्ति में शब्द "That the Board persists in making default" के स्थान पर शब्द "that the Board has made a default and persists in making wilful default" और शब्द "is exceeding or abusing its powers" के स्थान पर शब्द "has exceeded or abused its powers" and is exceeding or abusingits powers" रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"30. If at any time it is brought to the notice of the State Government that the board has made a wilful default in the performance of any duty

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सूरजलाल गुप्ता वकील]

imposed upon it by or under this act or any other enactment or has exceeded or abused its power, it may appoint a Judicial Tribunal to enquire into the allegations of wilful default etc.and the finding of the Judicial Tribiunal will be guiding factor for dissolution or suspension of the board by the State Government if at all directed by the Judicial Tribunal.'

मान्यवर, यह सही है कि अगर बोर्ड अपनी पावर का कोई दुरुपयोग करे तो उसको सस्पेण्ड या डिजाल्व कर दिया जाय। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पार्टीबन्दी में पड़ कर जिस म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन कांग्रेस का नहीं होता है वहां पर जरा सी शिकायत पर सरकार अपनी मनमानी से डिजाल्व कर देती है। तो इस जनतांत्रिक राज्य में एक इन्सानियत के आधार पर एक कानून के आधार पर वे ट्रिब्युनल के सामने पेश हों और सबूत हो क्योंकि अगर सबूत नहीं होता है तो बहुत मनमानी की जायेगी। इसलिये जो मेरा प्रस्ताव है उसे मान लिया जाय।

*श्री रक्षपालसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है वह इसी खयाल को रख कर हुआ है कि १०—१२ सालों में जो विपक्ष की म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके साथ क्या व्यवहार सरकार का रहा है। वह संशोधन इसीलिये रखा गया है कि सरकार आर्बिट्रेरी ढंग से जब चाहे अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके। जब म्युनिसिपैलिटीज के बारे में कोई शिकायत आये तो उसे वह एक जुडीशियल बाडी के सुपुर्द कर दे और महीने भर में अथवा दो महीने में रिपोर्ट मंगवा ले और यह रिपोर्ट हो कि गड़बड़ी हुई है तो सरकार अपने अधिकार का उपयोग करे। सरकार के अधिकार पर नियंत्रण करने के लिये यह किया गया है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सूरजलाल जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है तथा श्री रक्षपालसिंह द्वारा समर्थन किया गया है वह आदर्श के रूप में तो अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी इस तरह का जुडीशियल ट्रिब्युनल रखा जायगा, तो फिर उसकी अपील होगी और इस तरह पूरा वर्ष समाप्त हो जायगा और मुकदमेबाजी होती रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ही हल किया जा सकता है। इस कारण मैं इसे नामंजूर करता हूं।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

आप यह व्यवस्था कर दें कि अपील उसकी नहीं हो सकती और जुडीशियल ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग फायनल मानी जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तीन साल तो उसी में लग जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"30. If at any time it is brought to the notice of the State Government that the board has made a wilful default in the performance of any duty imposed upon it by or under this Act or any other enactment or has exceeded or abused its power, it may appoint a Judicial Tribunal to enquire into the allegations of wilful default etc. and the finding of the Judicial Tribunal will be guiding factor for dissolution or suspension of the board by the State Government if at all directed by the Judicial Tribunal."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ३० का explanation निकाल दिया जाय ।

दोनों पक्ष से इस संबंध में मैंने काफी बहस सुनी । यह देखा गया है कि कांग्रेसी मेम्बर अगर चुन कर आ जाते हैं तो फिर इस तरह का चक्र व्यूह रचा जाता है कि उन्हीं के दल का अधिकार बना रहे और कांग्रेसी मेम्बर को फिर कोई हटा न सके । कौंसिल में अब आप इसका नमूना देख लें । विरोधी पक्ष के बहुत कम लोग वहां हैं । सीढ़ी म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और जिला परिषद् ही वहां के लिये है । जिला परिषद् थी वहां सरकार ने अपने अधिकारियों से वोट दिलाया तो बहुत झगड़ा हुआ । फिर यह हुआ कि अधिकारी मेम्बर रहेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे और अब यह हो रहा है कि उनकी संख्या बढ़े । अब म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हैं या मेम्बर लोग हैं वे वोटर्स होते हैं कौंसिल के लिये । तो इस तरह पर कोशिश यह की जाती है कि विरोधी पक्ष के लोग किसी म्यूनिसिपैलिटी में आ गये तो उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है और उसे खत्म करने का तरीका यही है कि कहीं भी डिफाल्ट हुआ तो उसे सुपरसीड कर दिया । श्रीमन्, एक्सप्लेनेशन इसलिये घातक है कि अगर आप चाहें तो बराबर इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है । मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि—

"*Explanation*—The period of supersession specified in the order may, the State Government so considers expedient, be extended from time to time by notification."

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सब जगह तो आपने कहा कि दो साल तक एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन यहां पर कोई टाइम नहीं रखा है । आप इसको सुपरसीड कर देंगे और उसको एक्सटेंड करते रहेंगे । अगर इसमें कोई लिमिट होती तब तो कुछ हद तक यह ठीक भी था । लेकिन यह ठीक नहीं है । आप सुपरसेशन की बात करते हैं तो क्यों सको एक्सटेंड करते रहें ? आप चुनाव करा दें । हो सकता है कि आपकी पार्टी तगड़ी हो तो आप ओपेन इलेक्शन करा दें और जिसको पब्लिक भेजना चाहे वह चुनकर आ जायगा । आपको उसमें हिचक क्या है ? इमर्जेन्सी की कोई बात नहीं है जिससे आप चाहते हैं कि सुपरसेशन जारी रहें । पार्टी के नाम पर देश को नष्ट न करें, बल्कि कोशिश करें कि हर एक को मौका मिले और चुनाव में लोग अपने कारनामे दिखायें । जो लोग लायक होंगे उनको जनता चुनकर भेजेगी । इस पर मंत्री जी को गहराई से विचार करना चाहिये ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह जी को हर जगह पार्टी ही दिखाई देती है । जो सेक्शन्स आप मंजूर कर चुके हैं वह उन म्युनिसिपैलिटीज के बारे में हैं जिन्होंने डिफाल्ट किया है । इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मंत्री जी ने पार्टीबाजी की बात कही । हमारे विधान सभा सचिवालय के ही अधिकारी हैं । उनका केस मंत्री जी के यहां गया और जो मास्टर प्लान बन रहा है उसमें उनका एक प्लाट है और उसका निश्चित एरिया है । उसको लेकर उनका आधा प्लाट ले लिया गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है । सही ढंग से डिमारकेशन हो जाय तो क्या हर्ज है ? जब आपके अधिकारी को सही न्याय नहीं मिल सकता है तो गरीब को कैसे मिल सकता है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ११ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ३० का Explanation निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ११ से लेकर १४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये डेढ़ घंटे में केवल एक तिहाई खंड हुये हैं और एक घंटे से कम का समय रह गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, इसीलिये मैं १८-ख, और १८-ग ग पेश नहीं करूंगा।

खण्ड १५

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ४० का संशोधन

१५-मूल अधिनियम की धारा ४० में—

(१) उपधारा (१) में—

(१) खंड (सी) में शब्द "share or interest" के स्थान पर शब्द "share or interest, whether pecuniary or of any other nature" रख दिये जायं।

(२) खंड (डी) में शब्द "Personal interest" के स्थान पर शब्द "personal interest, whether pecuniary or of any other nature" रख दिये जायें, और इस खंड के अन्त में आया हुआ शब्द "or" निकाल दिया जाय ;

(३) खंड (ई) और (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें—

"(e) that he being a legal practitioner has during the term of his membership acted or appeared in any suit or other proceeding on behalf of any person against the board or against the State Government in respect of Nazul land entrusted to the management of the board or acted or appeared for or on behalf of any person against whom a criminal proceeding has been instituted by or on behalf of the board ;

(*f*) that he has abandoned his ordinary place of residence in or has voluntarily or otherwise transferred his residence from the municipal area concerned, unless the member himself resigns his seat within three months of such abandonment or transfer";

(४) खंड (एफ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिये जायें—

"(*g*) that he has been guilty of persistent misbehaviour or disorderly conduct at meetings of the board and a

complaint to that effect is made to the State Government by the President or any other member; or

(*h*) that he has been guilty of any other misconduct as a member."

(२) उपधारा (२) में शब्द "reinstate the member" और उनके पश्चात् आये हुए पूर्णविराम के बीच में शब्द "or substitute an order under sub-section (6)" रख दिये जायें।

(३) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) The State Government may remove from the board a member who, in its opinion, has during the current or the last preceding term of the board so flagrantly abused his position as a member or, being a member, wilfully contravened any of the provisions of this Act or any rule, regulation or bye-law or caused such loss or damage to the fund or property of the board, as to render him unfit to continue as a member";

(४) वर्तमान उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(5) The State Government may place under suspension a member who is called upon to show cause in respect of any matter referred to in sub-section (3) or against whom prosecution for an offence , which in the opinion of the State Government involves moral turpitude, is commenced, until the conclusion of the inquiry or the prosecution, as the case may be, and any member who has been so suspended shall not, so long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of the board or otherwise perform the duties of a member:

Provided that notwithstanding an order of suspension under this sub-section, he shall be deemed to continue as a member for purposes of section 87-A and shall be entitled to take part in the proceedings of a meeting convened under that section." ;

(५) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधाराएं बढ़ा दी जायें—

"(6) Without prejudice to any of the foregoing powers the State Government or the Prescribed Authority, as the case may be, may, on any of the grounds referred to in sub-section (1), instead of removing the member, give him a warning or place him under suspension for a specified term not exceeding three months at a time, and any member who has been so suspended shall not, as long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of the board or otherwise perform the duties of a member.

*Explanation*—The power of administering warning or placing a member under suspension under sub-section

(6) may be exercised either by the State Government or the Prescribed Authority, as the case may be, while dealing with the matter originally under sub-section (1) or sub-section (3) or by the State Government on appeal under sub-section (2)".

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ४१ का संशोधन

१६–मूल अधिनियम की धारा ४१ की उपधारा (३) में शब्द "four" के स्थान पर शब्द "five" रख दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ की द्वितीय पंक्ति में शब्द "five" के स्थान पर "six" रख दिया जाय और खण्ड १६ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ४१ का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

पहले में यह दिया हुआ है कि कोई आदमी अगर अपनी पावर को अब्यूज करता है मेम्बर होने की हैसियत से, तो ऐसे आदमी को सजा देने का सवाल है। इस लिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहता हूं कि जो मेम्बर रहा किसी म्युनिसिपैलिटी का या जो आदमी किसी म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन रहा अगर उसने अपनी पावर को अब्यूज किया है तो ऐसे आदमी को सख्त सजा देने की जरूरत है। इसमें इसके लिए प्राविधान है। अभी ४ साल की जगह माननीय मन्त्री ने कहा है कि ५ साल किया गया है। मैं कहता हूं कि ५ साल तो चुनाव का पीरियड हो गया। ६ साल आप रखिये जिससे ऐसा आदमी जिसने अपनी पावर को अब्यूज किया है किसी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर एलेक्शन न लड़ सके। इसलिए आपको यह कोशिश करनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दी जा सके। अगर कोई आदमी अपनी पावर को अब्यूज करने का आदी हो गया है तो उसको ५ साल की जगह ६ साल की सजा होनी चाहिये जिस से अगली दफा उस को चांस न मिल सके। यह ऐसी बात है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये और उस आदमी को उसकी मेम्बरशिप से वंचित किया जाय। तो उसके लिये ऐसा आर्डर होना चाहिये जिससे वह दूसरा एलेक्शन न लड़ सके। लेकिन होता यह है और अक्सर देखा जाता है कि एलेक्शन में किसी-किसी के साथ छूट भी दी जाती है। मैं नहीं कहता कि आप अपने आदमियों को लाने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर कोई ज्यादा पावरफुल आदमी आ गया तो ऐसे आदमी को एक्जेम्प्ट कर दिया जाता है जिसका पब्लिक इन्टरेस्ट में एक्जेम्प्ट करना उचित बात नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि ऐसे आदमी को ६ साल के लिये निकाल दिया जाय। जब आप को यह अधिकार रहेगा तो आप उस तरह से करने के लिए मजबूर होंगे। अगर कोई आदमी कुछ सिफारिश करने के लिए भी आयेगा तो भी आप यह कह सकते हैं कि हम क्या करें, हमको यह पावर ही नहीं है। इस लिए इस तरह की पावर देने के लिए मैंने यह संशोधन रखा है और आशा है मन्त्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

पहले इस म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर ४ साल था। अब उसको ५ साल कर दिया है। इसमें जो संशोधन कमलासिंह जी ने पेश किया है उस संशोधन का मन्शा भी इससे ही पूरा हो

जाता है। मेरा निवेदन यह है कि जो आदमी जिस दिन चुना जायगा उस दिन तो वह डिफाल्ट नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो वह ४, ६ महीने के बाद ही करेगा और ४, ६ महीने उस बात को सरकार के पास आने में लग जायेंगे। इसी बात को समझकर ५ साल रखा गया है कि वह दूसरे एलेक्शन में कोई भाग न ले सके और एलेक्शन न लड़ सके। वह चीज जो आप चाहते हैं वह इसमें आ जाती है। आपने उसे देखा नहीं कि ४ साल की जगह ५ साल हो गया।

दूसरी चीज यह कि आप ने कहा कि वह पावर नहीं होनी चाहिये। कमलासिंह जी ने बार-बार पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट का हवाला दिया, लेकिन इस मामले में वह भूल जाते हैं कि यह पावर एलेक्शन कमिश्नर को दी गयी है आर्टिकिल १२४–ए में और यह जरूरी है सरकार के लिए कि अगर कहीं ऐसी चीज हो तो उसे एक दम ले सकें। इसीलिए यह प्राविजन इसमें रखा गया है और इन शब्दों के साथ मैं कमलासिंह जी के संशोधन को मंजूर करने में असमर्थ हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं समझता हूं कि पब्लिक इन्टरेस्ट में इसका रहना जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर मन्त्री जी ऐसे आदमी को एक्जेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं तो वह बात सही नहीं है। अगर वे इसे सही मानते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १६ की द्वितीय पंक्ति में शब्द "five" के स्थान पर "six" रख दिया जाय और खंड १६ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ४१ का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७–१८

१७--मूल अधिनियम की धारा ४३–बी में–

(१) उपधारा (३), (४) और (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें–

यू० पी० सं० २, की धारा का संशो

"(3) An election petition shall be presented to the District Judge, or in a district where there is no headquarters of the District Judge, to the Civil Judge, within whose jurisdiction the municipality to which the election petition relates is situate :

Provided that the petition shall not be entertained by such Judge unless it is accompanied by a treasury challan showing that the amount of security prescribed by order under section 43-C has been deposited.

(4) An election petition not presented within the time or in the manner prescribed by order under section 43-C or upon which the requisite court-fee has not been paid at the time of the presentation or within such further time not exceeding 14 days, as the District Judge or the

Civil Judge, as the case may be, may have granted, shall be rejected by such Judge.

(5) An election petition not rejected under sub-section (4) shall be heard by a Tribunal consisting of a District Judge or an Additional District Judge appointed by the Director of Elections (Local Bodies) in this behalf";

और

(२) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारायें बढ़ा दी जायं—

"(6) If for any reason a vacancy occurs in the office of a member of a Tribunal and another District Judge or Additional District Judge, is appointed by the Director of Elections (Local Bodies) to fill the vacancy, the trial of the petition shall be continued as if he had been on the tribunal from the beginning :

Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, re-call and re-examine any of the witnesses already examined.

(7) The Director of Elections (Local Bodies) may at any stage, after notice to parties and for reasons to be recorded, withdraw any petition pending before a Tribunal and transfer it for trial to another Tribunal constituted in accordance with sub-section (5) ; and upon such transfer that Tribunal shall proceed with the trial from the stage at which it was withdrawn :

Provided that it may, if it thinks fit, recall and re-examine any of the witnesses already examined."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ में नयी धारा ४३—डी का बढ़ाया जाना

१८—मूल अधिनियम की धारा ४३—सी के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ४३—डी बढ़ा दी जाय—

"43-D. Oath of allegiance and office (1) The President and every member of a board shall before taking his seat, make and subscribe at a meeting of the board an oath or affirmation of his allegiance to the Constitution in the following form :

"I A. B., having been elected a member/President of this board do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties upon which I am about to enter."

(2) The President or the member who fails to make, within three months of the date on which his term of offices commences or at any one of the first three meetings of the board held after the said date, whichever is later, unless this period is extended by the District Magistrate, the oath or affirmation laid down in and required to be taken by sub-section (1) shall cease to hold his office and his seat shall be deemed to have become vacant.

(3) Any person required under sub-section (1) to make an oath or affirmation shall not take his seat at a meeting

of the board or do any act as a member or President of the board unless he has made and subscribed an oath or affirmation as laid down under sub-section (1).

(4) As soon as may be after the constitution of the board the District Magistrate shall convene a meeting of the board for the administration of oath or affirmation under this section in the manner prescribed and such meeting shall be presided over by the District Magistrate or in his absence, by a Deputy Collector nominated by him in this behalf.

(5) The Executive Officer shall, as soon as may be, report to the District Magistrate the name of the President or member, if any, who ceases to hold his office under sub-section (2)."

श्री कमलासिंह यादव–

श्रीमन्, मैं अपना यह प्रस्ताव जो एजेन्डा में १८–घ पर है मूव तो नहीं करना चाहता, लेकिन मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट समाप्त हो गया....

श्री चतुर्भुज शर्मा––

जिला परिषद् ऐक्ट में यह प्राविजन है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के जो पुराने प्राविजन्स थे वह उसमें लागू होंगे। उसमें वह दफा २६९ है शायद। इस लिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी।

श्री कमलासिंह यादव–

आप मूल अधिनियम को संशोधित करने जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आपका पुराना ऐक्ट अभी भी चल रहा है, वह संशोधन आपको इसी में ले आना चाहिये।]

श्री चतुर्भुज शर्मा–

उस सेक्शन का अमेंडमेंट ही नहीं हुआ।

श्री कमलासिंह यादव––

जब आप दोहरा रहे हैं तो लोगों के सामने साफ पिक्चर आनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस पर आप विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष––

अब इसे आप गवर्नमेंट पर छोड़ें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)––

श्रीमन्, इसके पूर्व कि मैं अपना संशोधन पेश करूं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह संशोधन देवनागरी लिपि में लिख कर दिया था और यह रोमन लिपि में छपा है, जब कि उस दिन माननीय अध्यक्ष की यह अनुज्ञा हो गयी कि हमारी सदन की लिपि देवनागरी है। तो एजेन्डे पर यह रोमन लिपि में क्यों लिखा गया यह साफ हो जाय, उसके बाद मैं इस पर कुछ निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––

चूंकि यह रोमन लिपि में चल रहा है इसलिए...

कुंवर श्रीपालसिंह—

उस को आप देवनागरी लिपि में ही छाप दिये होते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि इंग्लिश शब्द आप उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारण होता है वह भी देवनागरी में छप सकता था। कम से कम आइन्दा के लिए तो आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आइन्दा से जो संशोधन सदस्य नागरी लिपि में दें तो नागरी लिपि में ही छपे।

प्रश्न यह है कि खंड १७–१८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

पी० ऐक्ट
२, १९१६
ारा ४७–ए
संशोधन

१९–मूल अधिनियम की धारा ४७–ए में—

(१) उपधारा (१) के खण्ड (ए) में शब्द "sending" के स्थान पर शब्द "receipt" रख दिया जाय, और शब्द "dissolve" के स्थान पर शब्द "supersede" रख दिया जाय;

(२) उपधारा (१) के खण्ड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*b*) unless he resigns under clause (*a*), cease to hold office of President on the expiry of three days after the date of receipt of such communication, and thereupon a casual vacancy shall be deemed to have occurred in the office of the President within the meaning of section 44-A :

Provided that if a representation has been made in accordance with clause (*a*) the board shall not elect a President until an order has been made by the State Government under sub-section (3);"

(३) उपधारा (२) निकाल दी जाय;

(४) उपधारा (३) में शब्द "either ask the President to resign or dissolve the board including the President." के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"either supersede the board for such period, not exceeding the remainder of the term of the board, as may be specified, or reject the representation";

(५) उपधारा (४) और (५) निकाल दी जायं;

(६) उपधारा (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(6) If the State Government supersedes the board under sub-section (3) the consequences mentioned in section 31 shall follow as if there had been a supersession under section 30."

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के मूल अधिनियम की धारा ४७–ए की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) If a representation has been made in accordance with sub-section (1) the State Government may after considering the same reject the same and ask the President to resign and issue directions to the Board for a fresh election.

If the Board does not run properly with the new President as well, the Government shall supersede the Board, including the President not exceeding the remainder of the term of the board as may be specified."

यह इस लिए रखा है कि अगर आज कोई प्रेसिडेंट गलती करता है और उसके खिलाफ नो-कान्फिडेंस मोशन आ जाता है और वह पास हो गया, उसके बाद यह प्राविजो किया है कि ३ दिन के अन्दर रिप्रेजेंटेशन कर दे कि यह बोर्ड सुपरसीड कर दिया जाय तो गवर्नमेंट उसका आर्डर देगी कि बोर्ड सुपरसीड कर दिया जाय या जो चेयरमैन के खिलाफ प्रस्ताव हुआ है वह माना जाय। तो पहले तो मैं यह ध्यान दिलाता हूं कि अगर कोई प्रेसिडेंट गलती करता है और सदस्यों को राइट है कि सिटीजनशिप का कि वह उसके खिलाफ नो कान्फिडेंस लावें तो उसकी जगह को फिर जो भरने की तमन्ना करते हैं वह उचित नहीं है और अविश्वास के प्रस्ताव में इन्टरफरेंस करना उचित नहीं है सरकार को। साथ ही अगर बोर्ड को सुपरसीड करने की बात है, तो आप करें, लेकिन फौरन फिर चुनाव कराये जायं। सरकार चाहती है कि सुपर-सीड कर के एक अधिकारी रखा जाय जो बोर्ड को चलाये और वह अधिकार एक डिप्टी कलेक्टर को दिया है। यह भूल होगी। मैं चाहता हूं कि अगर डिप्टी कलेक्टर ही रखना है तो कम से कम सीनियर, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होना चाहिये। अगर पार्टी भरने के लिए किसी को कर दिया तो बुराई होगी।

मैं और संशोधन पेस नहीं करूंगा इस सेक्शन में, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह गलती हो रही है, राइट आफ सिटीजनशिप के खिलाफ है। पब्लिक बोर्ड को इस लिए चुनती है कि उस की जो मांग है वह बोर्ड में जा सके। अगर कोई प्रेसिडेंट गलती करता है तो सदस्यों को यह हक है कि वह नो-कान्फिडेंस मोशन लावें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आप कहते हैं कि एक बार, अगर प्रेसिडेंट के बारे में बोर्ड सुपरसीड किया जाय तो फिर बोर्ड चुना जाय और फिर किया जाय। यानी दो दफा में सुपरसीड किया जाय। सिद्धान्तत: तो ठीक है, लेकिन वैसे यह बात ठीक नहीं है। प्राविजन है कि या तो रिजाइन कर देगा नहीं तो सुपरसीड हो जायगा, जिस रोज अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया वह नहीं माना जायगा। चुनाव तो होगा ही। दूसरी बात जो दूसरा चुनाव होने की कही है उसी समय, वह मैं नहीं मान सकता। इस पर काफी बहस हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर सीनियर होना चाहिये और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बनाया जाय। इसके क्या माने हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद तजुर्बेकार सीनियर आदमी है, वह किसी अच्छे मैजिस्ट्रेट को ही उस काम के लिए नियुक्त करेगा। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो होते ही हैं ज्यादातर। तो इस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो नहीं सकता, इस लिए डिप्टी कलेक्टर ठीक रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १९ के मूल अधिनियम की धारा ४७–ए की उप-धारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—]

"(3) If a representation has been made in accordance with sub-section (1) the State Government may after considering the same reject the same and

[श्री उपाध्यक्ष]

ask the President to resign and issue directions to the Board for a fresh election.

If the Board does not run properly with the new President as well, the Government shall supersede the Board, including the President not exceeding the remainder of the term of the Board as may be specified."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २०, २१, २२ तथा २३

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ४८ का संशोधन

२०—अमूल अधिनियम की धारा ४८ में—

(१) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) Where the State Government has, at any time, reason to believe that—

(*a*) there has been a failure on the part of the President in performing his duties, or

(*b*) the President has—

(i) incurred any of the disqualifications mentioned in sections 12-D and 43-AA; or

(ii) within the meaning of section 82 knowingly acquired or continued to have, directly or indirectly, or by a partner, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf of the board; or

(iii) knowingly acted as a President or as a member in a matter other than a matter referred to in clauses (*a*) to (*g*) of sub-section (2) of section 82, in which he has, directly or indirectly, or by a partner, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, or in which he was professionally interested on behalf of a client, principal or other person ; or

(iv) being a legal practitioner acted or appeared in any suit or other proceeding on behalf of any person against the board or against the State Government in respect of nazul land entrusted to the management of the board, or acted or appeared for or on behalf of any person against whom a criminal proceeding has been instituted by or on behalf of the board; or,

(v) abandoned his ordinary place of residence in the municipal area concerned ; or

(vi) been guilty of misconduct in the discharge of his duties ; or

(*b*) to take part in any proceedings of the board.

(4) A President removed under sub-section (2-A) shall also cease to be a member of the board and in case of removal on any of the grounds mentioned in clause (*a*) or sub-clauses (vi), (vii) or (viii) of clause (*b*), of sub-section (2), shall not be eligible for re-election as President or member for a period of five years from the date of his removal."

२१—मूल अधिनियम की धारा ५० में शब्द "the board and" और शब्द "not otherwise" के बीच में एक कामा और तत्पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :— यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ५० का संशोधन

"subject to the provisions of sections 53 and 53-A,"

२२—मूल अधिनियम की धारा ५४—ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ५४—ए का संशोधन

Provision for exercise of powers, etc. of President in certain contingencies and procedure for election for Vice-President

"(1) Where a person on being elected President fails or refuses to function or is otherwise not able to function, or a casual vacancy occurs in the office of the President within the meaning of section 44-A and no Vice-President has been elected in accordance with this Act, or there is no Vice-President otherwise able to function, the powers and functions of the President shall, until a President or Vice-President is able to function, be exercised and performed by the District Magistrate or by a gazetted officer not below the rank of a Deputy Collector appointed by the District Magistrate in this behalf."

२३—मूल अधिनियम की धारा ५५ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) बढ़ा दी जाय :— यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ५५ का संशोधन

"(3) The provisions of section 48 shall apply *mutatis mutandis* to the Vice-President in respect of the performance of any duty or exercise of any power under this section."

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २०, २१, २२ तथा २३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## खण्ड २४

२४—मूल अधिनियम की धारा ५७ में— यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ५७ का संशोधन

(१) उपधारा (२) के अन्त के पूर्णविराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:—

"Provided that if the State Government expresses its inability to make available the services of a Medical Officer of Health belonging to the U. P. Public Health Service, the board may appoint a temporary Medical Officer of Health by special resolution."

(२) वर्तमान उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(3) Every appointment of an Executive Officer under sub-section (1) and of a Medical Officer of Health under the proviso to sub-section (2) made by a board shall be subject to the prior approval of the State Government, and their salaries and conditions of service shall be such as may be prescribed."

श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ के मूल अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (१) के अन्त में कोलन के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:--

"in consultation with the State Public Service Commission in the manner prescribed."

श्रीमन्, इन दि मैनर प्रस्क्राइब्ड' का मतलब यह होगा कि सरकार जो नियम बनायेगी उसके अनुसार नियुक्तियां होंगी। मैं चाहता हूं कि जो सीनियर आफिसर्स हैं जिनका वेतन २०० ० से ऊपर है उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर ही हो जैसा कि और स्टेट सर्विसेज में आपने कर रखा है। इस सम्बन्ध में एक जी० ओ० भी है कि जिनकी तनख्वाह २०० रुपये मासिक से ज्यादा है उनकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये होगी। तो यह इस में मंत्री जी कर दें या जैसा जिला बोर्ड में आपने कर रखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति भी हो, ऐसा इस में भी कर दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

हर म्युनिसिपैलिटी में यह संभव नहीं है। जब हम रूल्स बनायेंगे तो उस समय हम इस पर विचार कर लेंगे और जो मुनासिब समझा जायेगा वह किया जायगा। इस समय इस संशोधन को स्वीकार करना व्यवहारिक नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २४ के मूल अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (१) के अन्त में कोलन के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"in consultation with the State Public Service Commission in the manner prescribed." ;

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(इन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड २५-२६

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ५८ का संशोधन

२५--मूल अधिनियम की धारा ५८ में--

(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"A board may dismiss, remove or otherwise punish its Executive Officer by a special resolution supported by not

less than two-thirds of the members constiuting the board subject to his right of appeal to the State Government, within such time and in such manner as may be prescribed :

Provided that the board shall, in dismissing, removing or otherwise punishing the Executive Officer, follow the procedure that may be prescribed in this behalf";

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय;

(३) उपधारा (३) में शब्द "its Medical Officer of Health" और शब्द "or its Accountant" के बीच शब्द में "other than one appointed under the proviso to sub-section (2) of section 57" रख दिये जायें ।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ५९ का संशोधन

२६–मूल अधिनियम की धारा ५९ में––

(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"59. (1) During the absence on leave, or other temporary vacancy in the office, of an Executive Officer, if the period of such leave or vacancy does not exceed two months, the President may appoint a person to act as Executive Officer; and if the period exceeds two months an appointment shall be made by the board in accordance with the provisions of section 57 :

Provided that when the period of vacancy which initially did not exceed two months is subsequently extended due to unforeseen circumstances the appointment made by the President may continue subject to the approval of the State Government";

(२) वर्तमान उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"(3) The salaries and conditions of service appertaining to such appointments shall be such as may be prescribed, and the provisions of section 58, with such modifications as may be prescribed, shall apply to persons so appointed."

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड २५ और २६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## खण्ड २७–२९

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ६० का संशोधन

२७––मूल अधिनियम की धारा ६० में––

(१) उपधारा (१) में––

(१) अंक "57" और शब्द "or" के बीच में कामा और तत्पश्चात् अंक "59" रख दिये जायें, और

(२) शब्द "and" तथा शब्द "not otherwise" के बीच में कामा तथा तत्पश्चात् शब्द "subject to the provisions of section 62" रख दिये जायें, और

(३) उपधारा (२) में शब्द "save as provided in section 73" निकाल दिये जायें और शब्द "all" के स्थान पर शब्द "All" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ६०–बी का संशोधन

२८––मूल अधिनियम की धारा ६०–बी में––

(१) शब्द "Waterworks Department" और शब्द "shall exercise" के बीच में शब्द "and of Municipal Museum" रख दिये जायें;

(२) शब्द "their departments" और तत्पश्चात् आये हुए कामा के बीच में शब्द "or museum" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ६२ का संशोधन

२९––मूल अधिनियम की धारा ६२ में––

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(1) With the sanction of the President an Executive Officer or a Medical Officer of Health may empower, by general or special order, any servant of the board to exercise, under his control, any power, other than a power delegated to him under clause (*f*) of sub-section (1) of section 60 conferred on him by or under this Act."

(२) उपधारा (३) के अन्त के पूर्णविराम के स्थान पर कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् शब्द "as the case may be" बढ़ा दिये जायें।-

श्री कमलासिंह यादव––

श्रीमन् मैं दोनों संशोधन एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २७ (१) का उपखंड (३) निकाल दिया जाय और खंड २७ के मूल अधिनियम ६० की उपधारा (f) के अन्त में फुलस्टाप के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं––

"or Medical Officer of Health"

इसमें श्रीमन्, यह है कि एग्जीक्यूटिव आफिसर्स और मेडिकल आफिसर्स को यह पावर्स दी जा रही है कि वे किसी को अपनी पावर्स दे सकते हैं और जिस आदमी को वे अपनी पावर्स दे दें उसे उस काम को करने का अधिकार होगा। इसमें कुछ दिक्कतें हैं। जब हम सेक्शन ६० (f) को देखते हैं तो उसमें श्रीमन् बोर्ड द्वारा एग्जीक्यूटिव आफिसर दिया है कि अगर वह अपने पावर किसी को डेलीगेट कर दे तो अथारिटी होती है। तो क्या डी० एम० ओ० को भी ऐसी पावर्स दे सकते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

डेलीगेशन आफ पावर एग्जीक्यूटिव आफिसर को है। उसमें मेडिकल आफिसर को कैसे किया जायेगा? मेडिकल आफिसर का अलहदा काम होता है। उसमें उसको रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २७(१) का उपखंड (३) निकाल दिया जाय, और खंड २७ के मूल अधिनियम ६० की उपधारा (f) के अन्त में फुलस्टाप के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं --

"or Medical Officer of Health"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २७, २८ और २९ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३०--३६

३०--मूल अधिनियम की धारा ६५ में शब्द "and to obtain the approval of the State Government to such appointment." निकाल दिये जायें ।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ६५ का संशोधन

३१--मूल अधिनियम की धारा ६६ की वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(2) Each such appointment shall be subject to prior approval of the Prescribed Authority and the salaries and other conditions of service of the persons so appointed shall be such as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ६६ का संशोधन

३२--मूल अधिनियम की धारा ६६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ६६-ए बढ़ा दी जाय:-

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ नयी धारा ६६-ए का बढ़ाया जाना

Appointment of officiating Secretary.

"66-A. (1) During the absence on leave, or other temporary vacancy in the office, of a Secretary appointed under section 66, if the period of such leave or vacancy does not exceed two months, the President may appoint a person to act as secretary, and if the period exceeds two months an appointment shall be made by the board in accordance with the provisions of section 66.

(2) When the period of vacancy in which appointment has been made under the first part of sub-section (2) is subsequently extended beyond two months due to unforeseen circumstances the appointment made by the President may continue subject to the approval of the State Government.

(3) Every person so appointed may exercise the powers and shall perform the duties conferred or imposed by or under this or any other enactment on the person for whom he is appointed to act.

(4) The salary and other conditions of service of a person appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ६७ का संशोधन

३३--मूल अधिनियम की धारा ६७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"67. A board may dismiss, remove or otherwise punish any Secretary appointed under section 66 or section 66-A, by special resolution supported by not less than two-thirds of the members constituting the board, subject to his right of appeal, to such authority, within such time and in such manner, as may be prescribed :

Provided that the board shall, in dismissing, removing or otherwise punishing the Secretary follow the procedure that may be prescribed in this behalf.'

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ६८ का संशोधन

३४--मूल अधिनियम की धारा ६८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"68. (1) A board may, and if so required by the State Government, shall, by special resolution, appoint the principal officers of its technical departments such as Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Waterworks Engineer, Assistant Waterworks Engineer, Electrical and Waterworks Engineer, Assistant Electrical and Waterworks Engineer or Overseer and also Secretary where there is already an Executive Officer, and Superintendent or Lady Superintendent of Education.

(2) During the absence on leave, or other temporary vacancy in the office, of any of the officers mentioned in sub-section (1), if the period of such leave or vacancy does not exceed two months, the President may appoint a person to act in such office; if the period exceeds two months an appointment shall be made by the board in accordance with the provisions of sub-section (1).

(3) When the period of vacancy in which appointment has been made under the first part of sub-section (2) is subsequently extended beyond two months due to unforeseen circumstances, the appointment made by the President may continue subject to the approval of the State Government.

(4) Every person appointed under sub-section (2) may exercise the powers and shall perform the duties conferred or imposed by or under this or any other enactment on the person for whom he is appointed to act.

(5) Each appointment made under sub-section (1) or the second part of sub-section (2) shall be subject to the prior approval of the State Government.

(6) The salary and other conditions of service of a person appointed under this section shall be such as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ६९ का संशोधन

३५--मूल अधिनियम की धारा ६९ में--

(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(1) A board may, by special resolution, dismiss, remove or otherwise punish any officer appointed under section 68 or the proviso to sub-section (2) of section 57, subject to the conditions provided in section 58 in respect of the dismissal, removal or other punishment of an Executive Officer";

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ६९-ए का संशोधन

३६--मूल अधिनियम की धारा ६९-ए में--

(१) उपधारा (१) में--

(१) शब्द तथा अंक "under section 68" और उनके पश्चात् आये हुए कामा के बीच में शब्द तथा अंक "or the proviso to sub-section (2) of section 57 रख दिये जायें;

(२) अन्त का पूर्ण विराम निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:--

"and the passing of the final order by the Prescribed Authority or the board, as the case may be, under sub-section (4)";

(२) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(2) Whenever the President takes action under sub-section (1), he shall within a week inform the Prescribed Authority and also forward to it a copy of the charges, and in case an order of suspension has been passed, the President shall also forward to the Prescribed Authority the material forming the basis of the charges";

(३) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप-धारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा रख दी जाय:--

"(2-A) The order of suspension under sub-section (1) may at any time be revoked or modified by the Prescribed Authority";

(४) वर्तमान उपधारा (४) और (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं:--

(4) After the enquiry is completed, the President shall submit the record with his recommendations to the Prescribed Authority or to the board, as he may consider fit. The Prescribed Authority or the board, as the case may be, shall thereupon, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 58 or section 67 or section 69, proceed to consider the report and may, after such further inquiry as it may deem necessary, dismiss, remove or otherwise punish or exonerate the Executive Officer or Secretary or other officer as the case may be :

Provided that the board shall act under this sub-section through a special resolution supported by not less than two-thirds of the members constituting the board.

(5) An appeal against an order of dismissal, removal or other punishment passed under sub-section (4) by the Prescribed Authority or the board, shall lie to the State Government within such time and in such manner as may be prescribed."

श्री उपाध्यक्ष--

खंड ३० के विषय में आपका संशोधन परिधि से बाहर है ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, एक सेक्शन ले लें आखिर वाला ..../३६ को नहीं ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, वह तो नहीं हो सकता है और ३६ आप नहीं ले रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि खंड ३० से लेकर ३६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

खण्ड ३७--४९

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ में नयी धारा ६९--बी का बढ़ाया जाना

३७--मूल अधिनियम की धारा ६९--ए के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ६९--बी बढ़ा दी जाय--

**69-B. (1) Notwithstanding anything contained in sections 57, 59, 65, 66, 66-A, 68 and 74 the State Government may at any time by rules provide for the creation of one or more services of such officers and servants as the State Government may deem fit common to all or some municipal boards or to the municipal boards or to the municipal board and Mahapalikas of the State and prescribe the methods of recruitment and conditions of service of persons appointed to any such service.**

Centralization of services of municipal officers and servants.

**(2) When any such service is created, officers and servants serving on the posts included in the service may, if found suitable, be absorbed in the prescribed manner in the service and thereupon the provisions of sections 58, 67, 69, 69-A and 74, as the case may be, shall cease to apply to such officers and servants."**

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ७१ का संशोधन

३८--मूल अधिनियम की धारा ७१ में--

(१) शब्द "by" और शब्द "resolution" के बीच में शब्द "special" रख दिया जाय ।

(२) शब्द "the salaries to be paid to them respectively" के स्थान पर शब्द "their qualifications and conditions of service" रख दिय जायें ।

३९--मूल अधिनियम की धारा ७२ में शब्द "a board" और शब्द "may appoint" के बीच में कामा और तत्पश्चात् शब्द "President or Executive Officer, as the case may be," बढ़ा दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ७२ का संशोधन

४०--मूल अधिनियम की धारा ७३ में--

(१) उपधारा (१) में शब्द "the Chairman, Education Committee, or such other" के स्थान पर शब्द "such" रख दिया जाय;

(२) उपधारा (२) में शब्द "dismissal" तथा उसके पश्चात् आया हुआ कामा निकाल दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ७३ का संशोधन

४१--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ७४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"74. Subject to any provisions to the contrary contained in sections 57 to 73, servants on or drawing monthly salary exceeding Rs.50 or in a city Rs. 75 shall be appointed and may be dismissed, removed or otherwise punished, or the services of a probationer may be terminated, by the President, subject to the right of appeal, except in the case of the termination of the service of a probationer, to such authority within such time and in such manner as may be prescribed :

Provided that an appointment on a monthly salary of Rs. 250 or over in the case of cities and of Rs. 100 or over in other cases shall be subject to approval of the board."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ७४ का संशोधन

४२--मूल अधिनियम की धारा ७६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"76. Except as otherwise provided, the Executive Officer, and where there is no Executive Officer, the President may dismiss, remove or otherwise punish servants of the board, or terminate the services of probationers, on or drawing a monthly salary not exceeding Rs. 50 or in a city Rs. 75 subject to their right of appeal, except in the case of the termination of the service of a probationer, to such authority within such time and in such manner as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ७६ का संशोधन

४३--मूल अधिनियम की धारा ७७ की उपधारा (१) के खण्ड (बी) में शब्द "dismissal" और शब्द "of persons so appointed" के बीच में कामा और तत्पश्चात् शब्द "removal or other punishment of discharge or termination of service" बढ़ा दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ७७ का संशोधन

४४--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ७७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं ७७-ए और ७७-बी बढ़ा दी जायें--

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ में नयी धारा ७७-ए और ७७-बी का बढ़ाया जाना

Powers of appellate authority

"77-A. The appellate authority to which an appeal against an order of dismissal, removal or other

in disciplinary matters.

punishment is preferred under this Act or the rules may—

(*a*) set aside, reduce or confirm the penalty ; or

(*b*) remit the case to the authority which imposed the penalty with such directions as it may deem fit.

Power of suspension.

77-B. (1) The authority competent to punish an officer or servant of the board may place him under suspension—

(*a*) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or pending, or

(*b*) where a criminal case against him in respect of an offence involving moral turpitude is under investigation, enquiry or trial.

(2) Where a penalty of dismissal or removal imposed upon an officer or servant of the board is set aside in appeal under this Act or the rules, and the case is remitted for further enquiry or action or with any other directions, the officer or servant shall be deemed to have been placed or continued under suspension on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(3) Where a penalty of dismissal or removal imposed upon an officer or servant of the board is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law, and the punishing authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further enquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, the officer or servant shall be deemed to have been placed or continued under suspension by the punishing authority on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(4) An order of suspension made or deemed to have been made under this section may at any time be revoked by the authority which made or deemed to have made the order or by the appellate authority.

(5) A board shall act under this section by a special resolution supported by not less than two-thirds of the members constituting the board.

(6) An officer or servant who is placed or is deemed to have been placed under suspension shall during the period of such suspension be entitled to receive, instead of salary, such subsistence allowance as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ८१ का संशोधन

४५—मूल अधिनियम की धारा ८१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय जाय—

Surcharge.

"81. (1) The President and every Vice-President, member, officer and servant of the board shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the board, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct while acting as such President, Vice-President, member, officer or servant.

(2) The procedure of surcharge and the manner of the recovery of the amount involved in loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

(3) Where no surcharge proceedings are taken, the board, with the previous sanction of, or on being directed by, the Prescribed Authority, may institute a suit for compensation against such person."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा ८२क संशोधन

४६--मूल अधिनियम की धारा ८२ में जहां-जहां भी शब्द "share or interest" आये हों उन के स्थान पर शब्द 'share or interest, whether pecuniary or of any other nature' रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ८३ का संशोधन

४७--मूल अधिनियम की धारा ८३ में जहां-जहां भी शब्द "share or interest" आये हों उन के स्थान पर शब्द "share or interest, whether pecuniary or of any other nature" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ८६ का संशोधन

४८--मूल अधिनियम की धारा ८६ में--

(१) उपधारा (२) में शब्द "one month" के स्थान पर शब्द "fifteen days" रख दिये जायं और अन्त के पूर्णविराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--

"Provided that the President may, for reasons to be recorded, postpone a meeting, other than a meeting convened on the requisition of members as above, by giving such notice as may be provided by regulation in this behalf"; और

(२) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (५) बढ़ा दी जाय :--

"(5) The President shall report to the District Magistrate the name of any member who has, without obtaining sanction from the board, absented himself from the meeting of the board for more than three consecutive months or three consecutive meetings, whichever is the longer period."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ८७-ए का संशोधन

४९--मूल अधिनियम की धारा ८७-ए में--

(१) उपधारा (११) के अन्त में पूर्णविराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय :

"Provided that if the President refuses or avoids to take delivery of the copies so forwarded, the same shall be affixed at the outer door of his last known residence and he shall be deemed to have received the same at the time such affixation is made"; और

(२) उपधारा (१३) में शब्द "quorum" और तत्पश्चात् आये हुए कामा के बीच में शब्द "which shall not be less than one-half of the total numer of members of the board for the time being" रख दिये जायें।

श्री रक्षपालसिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३७ द्वारा बढ़ाई गई धारा ३९ (बी) के खण्ड (१) व (२) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"(3) All the employees of all the Municipal Boards shall be entitled to derive all the amenities and facilities given to the State Government employees according to their nature of work."

श्रीमन्, म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर हमारी म्युनिसिपैलिटीज के कुछ अधिकारियों की सर्विसेज यूटिलाइज की गई हैं, उन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित भी किया जा सकेगा। साथ ही जिन अधिकारियों को अधिक तनख्वाहें मिलती हैं उनकी सर्विसेज प्राविन्सियलाइज होने पर उन्हें और भी सुविधायें मिल सकेंगी। यह वास्तव में स्वागत करने योग्य बात है। लेकिन हमारे म्युनिसिपल बोर्ड के जो छोटे कर्मचारी हैं, जैसे लिपिक, चपरासी आदि हैं, इनको भी ये सब प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहिये जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं। तो सरकार इस प्रकार का कोई नियम बना दे जिससे कि म्युनिसिपैलिटीज के इन छोटे कर्मचारियों को वे सब सुविधायें दी जा सकें जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं, ताकि उन की भी आर्थिक दशा सुधर सके। श्रीमन्, यह प्रश्न हजारों कर्मचरियों से संबंधित हैं, इसीलिये मैंने इसको प्रस्तुत किया है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय रक्षपालसिंह जी के विचारों से मैं हमदर्दी रखता हूं और चाहता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों की ऐसी दशा हो, लेकिन अभी म्युनिसिपैल्टियों की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि स्टेट गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों को जो तनख्वाह, इन्क्रीमेंट और सुविधाएं वगैरह मिलती हैं, वह म्युनिपैल्टीज अपने कर्मचारियों को भी दे सकें। इसलिये मैं मजबूर हूं और इसे नामंजूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ३७ द्वारा बढ़ाई गई धारा ३९ (बी) के खण्ड (१) व (२) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"(3) All the employees of all the Municipal Boards shall be entitled to derive all the amenities and facilities given to the State Government employees, according to their nature of work."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३७ से लेकर ४९ तक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५०--५४

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ९४ का संशोधन

५०--मूल अधिनियम की धारा ९४ में--

(१) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय :--

"1(A). The Executive Officer or where there is no Executive Officer the Secretary of the board shall

maintain a register of attendance of members and every member shall sign it before taking his seat at any meeting of the board";

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(2) The minutes shall be read out at the meeeting or the next ensuing meeting and, unless objected to by a majority of such of the members, if any, present at the reading as were also present at the proceedings recorded in such minutes, shall be certified as passed by the signature of the President of the meeting at which they are read" ; और

(३) उपधारा (३) में शब्द "be published in a local paper published in Hindi and where there is no such local paper in such manner as the State Government may by general or special order direct," के स्थान पर "be published in Hindi in any paper, approved by the State Government for purposes of publication of public notices, published in the district, or if there is no such paper in the district, in the division, in which the municipality concerned is situate and where there is no such paper, be posted up on the notice boards of the Municipal Office and Collectorate Office for three consecutive days." रख दिये जायें ।

५१--मूल अधिनियम की धारा ९६ में--

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ९६ का संशोधन

(१) उपधारा (१) के खण्ड (बी) में शब्द "one thousand" और शब्द "two hundred and fifty" के स्थान पर क्रमशः शब्द "two thousand" और शब्द "five hundred" रख दिये जायें ।

(२) उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"Provided that the contracts sanctioned by a committee, officer or servant shall be placed before the board for information at the next ensuing meeting."

(३) उपधारा (३) में शब्द ""Provided that, where" के स्थान पर शब्द "Where" रख दिया जाय और शब्द तथा कामा "description," के पश्चात् शब्द तथा कामा "other than a contract of either description specified in sub-section (1)." बढ़ा दिये जायें ।

५२--मूल अधिनियम की धारा १०९ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) बढ़ा दी जाय--

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा १०९ का संशोधन

"(3) The board may, for reasons to be recorded, vary or over-ride any decision of the committee."

* * * *

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ११५ का संशोधन

५३--मूल अधिनियम की धारा ११५ की उप-धारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(1) The municipal fund shall be kept in the Government treasury or sub-treasury or in the State Bank of India or, with the previous sanction of the State Government in the U. P. Co-operative Bank or in a Scheduled bank."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ११६ का संशोधन

५४--मूल अधिनियम की धारा ११६ के खण्ड (डी) में शब्द और कामा "dung" और शब्द "ashes" के बीच में शब्द "night-soil" और तत्पश्चात् कामा बढ़ा दिये जायें ।

श्री जगदीश नारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५० में मूल अधिनियम की धारा ९४ (३) की उपधारा (३) में शब्द "be published in a local paper published in Hindi and where there is no such local paper in such manner as the State Government may by general or special order direct." के स्थान पर be published.....there is no such paper.' न रखा जाय तथा 'be posted upon the notice boards of the Municipal office and Collectorate office for three consecutive days" रख दिया जाय ।

आमतौर पर नगरपालिकाएं आज जो वहां पर स्थित हैं, उसमें बहुत जगह वहां लोकल पेपर्स नहीं हैं। यदि उनको इसके लिये बाध्य किया गया कि वह जिला कमिश्नर या स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा डाइरेक्ट किये हुये पेपर्स में निकालें तो उन को इस पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जो उनकी दशा देखते हुये बिलकुल उचित नहीं होगा। नगरपालिकाओं के प्रस्तावों को जानने की दिलचस्पी सभी लोगों में नहीं होती, केवल जो वहां के लोकल आदमी होते हैं, उन्हीं की होती है। तो यह जो सालभर का खर्च पड़ेगा वह हजारों में होगा और वह सब व्यर्थ में जाएगा। इसलिए इन शब्दों को निकाल कर यह जो अन्त में है---

"be posted upon the notice boards of the Municipal Office and Collectorate office for three consecutive days." रख दिया जाय ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं यह संशोधन मंजूर नहीं कर सकता हूं। इसमें कोई बाध्य करने की बात नहीं है। लेकिन कुछ म्युनिसिपैल्टीज में जो बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैल्टियां हैं, खास तौर से वहां पेपर्स निकलते होंगे वह उन को अपने वहां के पेपर्स में निकाल सकती हैं। जहां न हो वहां के लिये प्राविधान है कि वह नोटिस बोर्ड पर पोस्ट कर दें। लेकिन यह ऐसी बात नहीं है कि इस को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मैं इस संशोधन को नामंजूर करता हूं ।

श्री जगदीशनारायण सिनहा---

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। )

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ५० से ५४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## खण्ड ५५–६४

५५—मूल अधिनियम की धारा १२८ में—

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा १२८ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (३) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (३-ए) बढ़ा दिया जाय:—

"(iii-a) a theatre-tax, which means a tax on amusements or entertainments;"

(२) खण्ड (१०) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (१०-ए) बढ़ा दिया जाय—

"(x-*a*) a drainage tax on the annual value of buildings leviable on such buildings as are situated within a distance, to be fixed by rule in this behalf for each municipality, from the nearest sewer line;"

(३) खण्ड (१२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(xii) a conservancy tax for the collection, remov and disposal of excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools;"

(४) खण्ड (१३) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (१३-ए) बढ़ा दिया जाय—

"(xiii-*a*) A tax on deeds of transfer of immovable property situated within the limits of the municipality;"

(२) उपधारा (२) के प्रथम पैरा के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"nor shall the taxes under clauses (*x-a*) and (xii) of sub-section (1) be levied at the same time;

Provided further that no tax under clause (xiii-B) of sub-section (1) shall be levied on deeds of transfer of immovable property situated within such area of the municipality as forms part of the local areas of any Improvement Trust created under section 3 of the U. P. town Improvement Act, 1919."

५६—मूल अधिनियम की धारा १२८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय:—

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ में नयी धारा १२८-ए का बढ़ाया जाना

Tax on deeds of transfer of immovable property.

**"128-A. (1) Where a board has imposed a tax referred to in clause (xiii-B) of sub-section (1) of section 128, the duty imposed by the Indian Stamps Act, 1899, on any deed of transfer of immovable property, shall, in the case of immovable property situated within the limits of such municipality, be increased by two per cent**

on the value of the property transferred or in the case of usufructuary mortgage on the amount secured by the instruments:

Provided that the board may, by a special resolution with the approval of the State Government, raise the aforementioned percentage of the increase in stamp duty upto five.

(2) All collections resulting from the said increase shall, after the deduction of incidental expenses, if any, be paid to the board concerned by the State Government in such manner as may be prescribed.

Act II 1899

(3) For the purposes of this sub-section, section 27 of the Indian Stamp Act, 1899, shall be so read and construed as if it specifically reqiuires the particulars referred to therein to be separately setforth in respect of—

(*a*) property situate within the limits of a municipality, and

(*b*) property situate outside the limits of a municipality.

Act II 1899

(4) For the purposes of this section all references in section 64 of the Indian Stamp Act, 1899, to the Government shall be deemed to include the board as well."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा १२९ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

५७—मूल अधिनियम की धारा १२९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"129. The imposition of a tax under cluase (x) of sub-section (1) of section 128 shall be subject to the restriction that the tax shall not be imposed on land exclusively used for agricultural purposes unless water is supplied by the board for such purposes, or, where the unit of assessment is a plot of land or a building as hereinafter defined, on any such plot or building of which no part is within a radius, to be fixed by rule in this behalf for each municipality from the nearest standpipe or other waterworks whereat water is made available to the public by the board.

*Explanation*—In this section—

(*a*) "building" shall include the compound, if any, thereof, and where there are several buildings in a common compound, all such buildings and the common compound.

(b) "a plot of land" means any piece of land held by a single occupier, or held in common by several co-occupiers whereof no one portion is entirely separate d from any other portion by the land of another occupier or of other co-occupiers or by public property."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा १३० के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

५८—मूल अधिनियम की धारा १३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"130. The imposition of a tax under clause (xi) or (xii) of sub-section (1) of section 128 shall be subject to the restriction that the tax shall not be assessed on any house or building, or leviable from the occupier of any house or

building unless the board under clause (*a*) of section 196 undertakes the house scavenging or the collection, removal and disposal of excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools of such house or building."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा १३०-ए का संशोधन

५९--मूल अधिनियम की धारा १३०-ए की उपधारा (३) में, अन्त का पूर्णविराम निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--

"under sub-section (2) of section 134."

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ में नयी धारा १३०-बी का बढ़ाया जाना

६०--मूल अधिनियम की धारा १३०-ए के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १३०-बी बढ़ा दी जाय :--

Pooling of receipts of taxes for crtain purposes

"130-B. All moneys derived from water, drainage scavenging and conservancy taxes mentioned in clauses (x), (x-*a*), (xi) and (xii) of sub-section (1) of section 128 and all other incomes derived from waterworks and sullage farms and disposal of excrementitious and polluted matters collected from privies, urinals and cesspools shall be pooled together and shall be used for purposes connected with the construction, maintenance, extension or improvement of the waterworks and drainage works and arrangements for scavenging and collection, removal and disposal of excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools including maintenance of sullage farms."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १३२ का संशोधन

६१--मूल अधिनियम की धारा १३२ की उपधारा (२) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय :--

"Provided that no such publication shall be necessary where the modification is confined to reduction in the amount or rate of the tax originally proposed."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ में नई धारा १४५-ए बढ़ाया जाना।

६२--मूल अधिनियम की धारा १४५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १४५-ए बढ़ा दी जाय:--

Adoption of value of property determined under U. P. Act XII of 1962

"145-A. Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the Board may be special resolution decide that the taxable value of buildings and lands determined under clause (ii) of section 4 of the Uttar Pradesh (Nagar Kshettra) Bhumi Aur Bhawan Kar Adhiniyam, 1962, shall be the annual value for the purposes of this Act."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १५२ का संशोधन

६३--मूल अधिनियम की धारा १५२ की उपधारा (१) में शब्द "has been given" के स्थान पर शब्द "has been applied for or given" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १५५ का संशोधन

६४---मूल अधिनियम की धारा १५५ में:---

(१) शब्द "person" और शब्द "introducing" के बीच में शब्द "whether by himself or by any person on his behalf" रख दिये जायें।

(२) शब्द " ten times " के स्थान पर शब्द " twenty times " रख दिये जायें और शब्द "fifty" के स्थान पर शब्द "five hundred" रख दिये जायें।

श्री जगदीशनारायण सिनहा---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५५ में निम्नलिखित संशोधन किया जाय:---

"मूल अधिनियम की धारा १२८ में (१) उपधारा (१) में जो (iii—a) बढ़ाया गया है, उसमें 'theatre tax' के आगे 'coma' हटा दिया जाय और 'theatre tax' और शब्द 'which' के बीच में 'and cinema tax' बढ़ा दिया जाय।'

श्री चतुर्भुज शर्मा---

थियेटरटैक्स में सिनेमा टैक्स इन्क्लूड करता है इसलिये इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस को नामंजूर करता हूं।

श्री जगदीशनारायण सिनहा---

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।)

*श्री कमलासिंह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५५ के मूल अधिनियम की धारा १२८ के खण्ड (३) में 'Proviso' के पहले निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :---

"Provided that the State Government shall transfer all its income received through the House and Building Tax to the Municipality concerned if its economical condition has gone to worst."

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री के खड़े होने पर माननीय कमलासिंह जी, आप जरा बैठ जायं। माननीय मन्त्री जी को इस पर एतराज है कि यह संशोधन बिना गवर्नर की अनुमति के नहीं आ सकता।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

यह स्टेट लेजिस्लेचर के फाइनेंसेज को किसी विधेयक में बिना गवर्नर की आज्ञा के किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते।

श्री कमलासिंह यादव---

गवर्नर की आज्ञा का सवाल इसमें नहीं है इसलिए कि म्युनिसिपैलिटीज से आप खुद ही भूमि भवन कर के रूप में वसूल करने जा रहे हैं। (व्यवधान) स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है लिस्ट वन में उसमें यह है कि भमि भवन पर भी आप कर लगा सकते हैं। उस पावर को आपने नगरपालिकाओं को ट्रांसफर किया है कि उस पर टैक्स लगा सकती हैं। जब भमि भवन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर विधेयक यहां आया था तो हमने विरोध किया था कि जब सरकार ने ट्रांसफर कर दिया अपनी पावर को तो अब इनको पावर नहीं है कि कुछ परसेंट सरकार लगाये और कुछ नगरपालिकायें लगायें। सरकार ने कहा कि दोनों को पावर है। तो मैं यह कह रहा हूं कि जितने एल० एस० जी के काम हैं उन सब में मंत्री जी कंडीशन लगा कर रुपया देते हैं कि ५० परसेंट नगरपालिकायें दें या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स दें और तब पचास परसेंट सरकार देगी। ऐसी हालत में मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि जब म्युनिसिपैलिटी की दशा गिरी हो, उसकी हालत में सुधार न होता हो वहां उस म्युनिसिपैलिटी से जो टैक्स जितने भूमि भवन कर के रूप में लिया है या लेने जा रहे हैं उससे जितनी आमदनी हो वह सब उसको वापस कर दीजिए। क्योंकि श्रीमन्, पचास परसेंट के हिसाब से १ हजार रुपया सरकार ने दिया और १ हजार रुपया और ऐड कर देंगे तो उससे उनकी ताकत बढ़ जायगी और अपना सुधार वह कर सकेंगी और नहीं तो म्युनिसिपैलिटीज की हालत बहुत ही खराब है, वह और भी खराब हो जायगी। आज वहां की आदमी कराह रहा है। माननीय गेंदासिंह जी हैं, उनसे उनके यहां की हालत पूछ लीजिये। गाजीपुर में तो म्युनिसिपैलिटी के टैक्स में दरवाजे तक उखाड़ दिये जाते हैं। सब खंडहर ही खंडहर दिखाई पड़ता है। अगर देवरिया में बहुत बढ़िया म्युनिसिपैलिटी बन गई है तो माननीय गेंदासिंह से कहूंगा कि वह गाजीपुर में हमारा स्वप्न पूरा हो जाने दें। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह भूमि भवन कर का रुपया आप उनको अवश्य दे दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आप से अभी अर्ज किया था, यह वैसे तो आ नहीं सकता क्योंकि दफा २०७ जो कांस्टीट्यूशन की है उसमें लिखा है--

"207. (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clause (*a*) to (*f*) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor.."

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, यह तो दूसरी बात कहते हैं। आप इसका विरोध करते हैं? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं विरोध भी इसका करता हूं और इसलिए करता हूं कि जो रुपया लगाया गया है वह गवर्नमेन्ट के लिये लगाया गया है, गवर्नमेन्ट के ऐक्ट से लगा है, वह गवर्नमेन्ट का ही रहेगा। म्युनिसिपैलिटी से कोई ताल्लुक उसका नहीं है। उनको देने का उसका उद्देश्य भी नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५५ के मूल अधिनियम की धारा १२८ के खंड (३) में "Proviso" के पहले निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय --

"Provided that the State Government shall transfer all its income received through the House and Building Tax to the Municipality concerned if its economical condition has gone to worst."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कमलासिंह जी, आपका जो संशोधन क्रम संख्या २१-ख पर है उसको आप प्रस्तुत नहीं कर सकते।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खंड ५५ से ६४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६५–६९

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १५५–ए का बढ़ाया जाना।

६५––मूल अधिनियम की धारा १५५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५५-ए बढ़ा दी जाय :––

Power of search, entry and inspection in connection with evasion of octroi.

"155--A subject to any conditions and restrictions that may be prescribed in this behalf, the Executive Officer or an officer not below such rank as may be prescribed, may—

(i) enter into and search any building, vessel or place where he has reason to believe that any goods liable to payment of octroi, for which octroi has not been paid, have been kept or any books of account or other documents which in his opinion will be relevant to any proceeding in this regard may be found;

(ii) if the owner or occupier is absent, or being present obstructs or resists, break open or cause to be opened any door and remove or cause to be removed any other obstacle to such entry; and

(iii) inspect, examine or seize any such goods or books of account or other documents."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १५८ का संशोधन

६६––मूल अधिनियम की धारा १५८ में:––

(१) उपधारा (१) में शब्द "The board may" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द "to ascertain" से समाप्त होने वाले प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :––

"(1) The board or any assessing authority under this Act may be written communication call upon an inhabitant of the municipality to furnish such information or produce such records, books of account and documents as may be necessary in order to ascertain."

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"(2) If an inhabitant so called upon to furnish information or to produce records, books of account or documents, omits to furnish or produce the same or, if furnished or produced, the same appears to the board or the assessing authority to be incorrect or incomplete, the board or the assessing authority, as the case may be, shall after making such inquiry as it considers necessary make the assessment to the best of its judgment."

६७—मूल अधिनियम की धारा १५९ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १५९-ए बढ़ा दी जाय :—

यू०पी० ऐक्ट संख्या, १९१६ में नई धरा, १५९-ए का बढ़ाया जाना.

"159-A. In computing the amount of any tax under this Act a fraction of a rupee less than five Paise or which is not a multiple of five Paise shall be rounded off to five Paise or to the next higher multiple of five Paise as the case may be."

Rounding off of figures

६८—मूल अधिनियम की धारा १६४ की उपधारा (२) में शब्द "Non-application or his own motion, to review any order passed by him in appeal by a further order passed within three months from the date of his original order" के स्थान पर शब्द । "upon application made within three months from the date of its original order or in its own motion, to review an order passed by it in appeal by a further order; provided further that no order shall be reviewed by the appellate authority on its own motion beyond three months from its date," रख दिये जाये ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १६४ का संशोधन

६९—मूल अधिनियम की धारा १७३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १७३-ए बढ़ा दी जाय :—

यू० पी० ऐक्ट, संख्या २,१९१६ में नई धारा १०३ का बाढ़ांया जाना ।

**173-A. (1) Where any sum is due on account of a tax, other than octroi or toll or any similar tax payable upon immediate demand, from a person to a board, the board may, without prejudice to any other mode of recovery, apply to the Collector to recover such sum together with costs of the proceedings, as if it were an arrear of land revenue.**

Recovery of taxes as arrears of land revenue

**(2) The Collector on being satisfied that the sum is due shall proceed to recover it as an arrear of land revenue."**

श्री जगदीशनारायण सिनहा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल अधिनियम की धारा १५५ के पश्चात् जो प्रस्तावित धारा १५५-ए जोड़ी गई है उसमें निम्न संशोधन किया जाय—

"धारा १५५ A (I) की पंक्ति तीन में शब्द 'octroi' और ' or ' के बीच में शब्द 'or toll tax' जोड़ दिया जाय और इस ही पंक्ति में 'for which octroi' और 'has' के बीच में 'or toll tax' जोड़ दिया जाय ।"

श्रीमन्, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। टोल टैक्स बिलकुल अलहदा चीज है इसलिये उसको रख दिया जाय ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह तो गुड्स पर जो टैक्स लगता है उसके लिये प्राविधान किया गया, टोल टैक्स गुड्स पर लगता नहीं है । मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

श्री जगदीशनारायण सिनहा—

मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । )

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ६५ से ६९ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ७०–७१

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १८० का संशोधन

७०––मूल अधिनियम की धारा १८० में उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (६) बढ़ा दी जाय:––

"(6) The board may within six months cancel or modify a sanction granted by it under sub-section (1) if it is found that the sanction was secured through fraud or misrepresentation, and any work done thereunder shall be deemed to have been done without such sanction :

Provided that before cancelling or modifying any sanction the board shall give a reasonable opportunity to the party concerned of being heard."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १८१ का संशोधन

७१––मूल अधिनियम की धारा १८१ की उपधारा (१) में शब्द "byelaw" और उस के पश्चात् आये हुए पूर्ण विराम के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"unless it is extended by the board for a further period up to one year."

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड ७० और ७१ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७२–७४

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १८५ का संशोधन

७२––मूल अधिनियम की धारा १८५ में शब्द "five hundred rupees" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :––

"one thousand rupees but which in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the Court shall not be less than two hundred and fifty rupees."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा १९६ का संशोधन

७३––मूल अधिनियम की धारा १९६ में––

(१) खण्ड (ए) में शब्द "cleaning of any latrines or privies" के स्थान पर शब्द "collection, removal and disposal of excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools" रख दिये जायं और

(२) खण्ड (बी) में शब्द "removal of night-soil from any latrine or cesspool" के स्थान पर शब्द "collection, removal and disposal of excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २०१ का संशोधन

७४––मूल अधिनियम की धारा २०१ की उपधारा (२) में, अन्त में आये हुए पूर्णविराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खन्ड बढ़ा दिया जाय :––

"Provided that the Magistrate may at any stage during the pendency of the case under this sub-section authorise the board to undertake, the house-scavenging of such house or building till final orders in the case are passed by him."

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड ७२ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १८५ में प्रस्तावित संशोधन की आखिरी पंक्ति में "two hundred and fifty rupees" के स्थान पर "fifty rupees' रख दिया जाय।"

इसमें दिया गया है कि कम से कम २५० रुपया जुर्माना होगा। यह तो बड़ी ज्यादती की बात है क्योंकि इससे छोटे-छोटे आदमी प्रभावित हो जायेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह मंजूर नहीं किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७२ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १८५ में प्रस्तावित संशोधन की आखिरी पंक्ति में "two hundred and fifty rupees" के स्थान पर 'fifty rupees' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७२ से ७४ तक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ७५ से ८२

७५—मूल अधिनियम की धारा २१० में शब्द "two hundred and fifty rupees" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २१० का संशोधन

"one thousand rupees and in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the court shall not be less than two hundred and fifty rupees."

७६—मूल अधिनियम की धारा २१२ में—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २१२ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द " premises" और तत्पश्चात् आये हुए कामा के बीच में शब्द "or lands" रख दिये जायें।

(२) उपधारा (२) में शब्द "premises" और तत्पश्चात आये हुए शब्द "and" के बीच में शब्द "or lands" रख दिये जायें।

७७—मूल अधिनियम की धारा २१२—ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २१२-ए का संशोधन

"212-A. Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, a board may, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, control and regulate under this Chapter the construction of any building, street or drain, beyond the limits of the municipality up to a distance of five miles."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २१३ का संशोधन

७८--मूल अधिनियम की धारा २१३ की उपधारा (३) में शब्द "fifty" और शब्द "five" के स्थान पर क्रमशः शब्द "five hundred" और शब्द "ten" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २१७ का संशोधन

७९--मूल अधिनियम की धारा २१७ में--

(१) उपधारा (१) के खण्ड (ए) में शब्द "cause" के पूर्व शब्द "with the prior approval of the Prescribed Authority" रख दिये जायें।

(२) उपधारा (२) में शब्द "twnety-five" के स्थान पर शब्द "two hundred and fifty" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २५५ का संशोधन

८०--मूल अधिनियम की धारा २५५ की उपधारा (१) में शब्द "twenty' के स्थान पर शब्द "two hundred and fifty" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २५६ का संशोधन

८१--मूल अधिनियम की धारा २५६ में शब्द "twenty" के स्थान पर शब्द "one hundred" रख दिये जायें और शब्द "five" के स्थान पर शब्द "ten" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २६१ का संशोधन

८२--मूल अधिनियम की धारा २६१ की उपधारा (१) में शब्द "hundred" के स्थान पर शब्द "thousand" रख दिया जाय।

श्री रक्षपालसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा २१० में प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर "five hundred rupees" रख दिया जाय।

श्रीमन, इसमें ५०० रुपये तक जुर्माना करने की व्यवस्था की गयी है। इससे मुझे कोई विरोध नहीं है, फिर भी आपने इस क्लाज में रखा है कि मैजिस्ट्रेट २५० रु० तक जुर्माना कर सकता है, तो मेरा कहना है कि वहां आप मिनिमम ५०० रुपये तक जुर्माना करने की बात मान लें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं इसको मंजूर नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा २१० में प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर 'five hundred rupees' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७५ से ८२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड ८३–१०१

८३––मूल अधिनियम की धारा २६५ की उपधारा (१) के अन्तिम भाग में शब्द "fifty rupees" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :––

"five hundred rupees and in the case of continuing breach to a further fine which may extend to ten rupees for every day after the day of first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offence."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २६५ का संशोधन

८४––मूल अधिनियम की धारा २६६ में शब्द "fifty" के स्थान पर शब्द "five hundred" रख दिये जायें ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २६६ का संशोधन

८५––मूल अधिनियम की धारा २७४ में शब्द "twenty" के स्थान पर शब्द "two hundred and fifty" रख दिये जायें ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २७४ का संशोधन

८६––मूल अधिनियम की धारा २७६ में शब्द "twenty" के स्थान पर शब्द "two hundred and fifty" रख दिये जायें ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २७६ का संशोधन

८७––मूल अधिनियम की धारा २८१ के अन्तिम भाग में शब्द "twenty" के स्थान पर शब्द "fifty" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २८१ का संशोधन

८८––मूल अधिनियम की धारा २८५ की उपधारा (५) में शब्द "fifty" के स्थान पर शब्द "five hundred" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २८५ का संशोधन

८९––मूल अधिनियम की धारा २९५ में शब्द "fifty rupees" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ––

"one thousand rupees or to imprisonment for a period which may extend to six months or to both."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २९५ का संशोधन

९०––मूल अधिनियम की धारा २९७ की उपधारा (१) के खण्ड (जी) के उपखण्ड (५) में शब्द तथा कामा "where there is no executive officer." निकाल दिये जायें ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २९७ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २९८ का संशोधन

९१—मूल अधिनियम की धारा २९८ की सूची १ में—

(१) शीर्षक 'डी' के अधीन, उप-शीर्षक (ए) के अन्त में आया हुआ शब्द "and" निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया उप-शीर्षक (ए ए) बढ़ा दिया जाय :—

(*aa*) regulating the work of house scavenging by customary sweepers and providing for grant of licences to them and the conditio ns of any such licence; and

(२) शीर्षक 'एच' के अधीन—

(क) उपशीर्षक (आई) में शब्द "dogs" के स्थान पर शब्द "animals" रख दिया जाय ;

(ख) उपशीर्षक (के) और (एल) में जहां-जहां भी शब्द "dog" और "a dog" आये हों उन के स्थान पर क्रमशः शब्द "animal" और "an animal" रख दिये जायें, और

(ग) उपशीर्षक (एन) के पश्चात् आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय तत्पश्चात् निम्नलिखित नया उप-शीर्षक (ओ) बढ़ा दिया जाय :—

"(o) regulating the keeping and tethering of cattle"

यू० पी ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २९९ का संशोधन

९२—मूल अधिनियम की धारा २९९ की उपधारा (१) में शब्द "five hundred" के स्थान पर शब्द "one thousand" और शब्द "five rupees" के स्थान पर शब्द "twenty five rupees" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा ३०६ का संशोधन

९३—मूल अधिनियम की धारा ३०६ में शब्द "five hundred" के स्थान पर शब्द "one thousand" और शब्द "five rupees' के स्थान पर शब्द "twenty five rupees" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा ३०७ का संशोधन

९४—मूल अधिनियम की धारा ३०७ के खण्ड (बी) में शब्द "five hundred" के स्थान पर शब्द "one thousand" और शब्द "five rupees" के स्थान पर शब्द "twenty five rupees' रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा ३१५ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

९५—मूल अधिनियम की धारा ३१५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"315. (1) The Executive Officer or Medical Officer of Health of a board or, in municipalities in which there is no Executive Officer or Medical Officer of Health, the President of board may either before or after the institution of proceedings, compound an offence against this Act or a rule or bye-law, except an offence described in section 237(4), 242, 246, 247, 281, 285 (5) or 295:

Provided that no offence shall be compoundable which is constituted by failure to comply with a written notice, issued by or on behalf of the board unless the notice has been complied with, in so far as compliance is possible."

९६—मूल अधिनियम की धारा ३३६-ए निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा ३३६-ए का निकाला जाना

९७—मूल अधिनियम की अनुसूची १ में— यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की अनुसूची १ का संशोधन

(१) स्तम्भ २ में धारा ५८, ६७ और ६९ से सम्बद्ध प्रविष्टियों में शब्द "punish or dismiss" के स्थान पर शब्द "to dismiss, remove or otherwise punish" रख दिये जायें;

(२) स्तम्भ १ में अंक "186" और स्तम्भ २ तथा ३ में उससे सम्बद्ध प्रविष्टियां निकाल दी जायें।

(३) स्तम्भ संख्या १ में अंक "189, 190," और "211" अंक तथा कोष्ठक "245(1)" तथा अंक "278" और स्तम्भ संख्या में उससे सम्बद्ध क्रमशः प्रविष्टियां निकाल दी जायें।

९८—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में— यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की अनुसूची २ का संशोधन

(१) स्तम्भ २ में धारा ७६ से सम्बद्ध प्रविष्टि में शब्द "to punish or dismiss" के स्थान पर शब्द "to dismiss, remove or otherwise punish" रख दिये जायें।

(२) धारा १७९ (२) से सम्बद्ध प्रविष्टि के पश्चात् नयी प्रविष्टियां निम्नलिखित बढ़ा दी जायें—

"186. To direct by a notice that the erection, re-erection or alteration of a building, etc., shall be stopped or that a building etc., altered or demolished.
Appealable.

189. To construct drains.

190. To alter and discontinue municipal drains."

(३) धारा २०९ से सम्बद्ध प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय:—

"211. To issue a notice for the removal or alteration of a projection."
Appealable.

(४) धारा २४४ (१) से सम्बद्ध प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय:—

"245. (1) To issue a notice regarding offensive trades." और
Appealable.

(५) धारा २७७ से सम्बद्ध प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय:—

"278. To issue order regarding buildings unfit for human habititation."
Appealable.

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की अनुसूची ७ का संशोधन

९९—मूल अधिनियम की अनुसूची ७ में—

(१) धारा १० और धारा १३-डी से सम्बद्ध प्रविष्टियों के बीच में निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय :—

"13-A. (1) To appoint a person or persons to exercise and perform the powers and duites of a board in specified contingencies."

(२) स्तम्भ १ और २ में धारा २२, ४३ (२), ४३ (३), ४३-बी, ७३ और ७४ से सम्बद्ध प्रविष्टियां निकाल दी जायें;

(३) स्तम्भ २ में धारा ४७-ए से सम्बद्ध प्रविष्टि के सामने शब्द "to remove the President" के स्थान पर शब्द "to consider the representation of the President" रख दिये जायें:

(४) धारा ४० (३) के सामने स्तम्भ २ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"to remove a member in certain specified circumstaneces;"

(५) धारा ४० (३) से सम्बद्ध प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टियां बढ़ा दी जायें:—

40. "(5) to suspend a member pending enquiry or prosecution.

40. (6) To warn or to suspend a member as a punishment";

(६) धारा ४८ के सामने स्तम्भ २ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"To remove or suspend a President;"

(७) धारा ४८ से सम्बद्ध प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय :—

"55. (3) To remove or suspend a Vice-President."

(८) स्तम्भ २ में धारा ५७ और ५९ (३) से सम्बद्ध प्रविष्टियों में शब्द —"To approve the appointment, salary and conditions of appointment," के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें—

"To approve the appointment",

(९) धारा ५८ के सामने स्तम्भ २ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"To entertain and pass orders on an appeal by an Executive Officer against his dismissal, removal or other punishment to transfer a Medical Officer of Health from one board to another." और

(१०) स्तम्भ २ में धारा ६०-बी से सम्बद्ध प्रविष्टि में शब्द "Water Works Departments" और शब्द "shall" के बीच में शब्द "and Municipal Museum." रख दिये जायें।

१००—मूल अधिनियम की अनुसूची ८ के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की अनुसूची ८ के स्थान पर नयी अनुसूची का प्रतिस्थापन

"SCHEDULE VIII

LIST OF OEFENCES

(*Section* 314)

| Section | Description of offences | Fine or other punishment that may be imposed |
|---|---|---|
| 148(2) | Failure to report for entry in Property assessment list a new or altered building. | Rupees 50 or ten times tax payable for three months. |
| 152(2) | Failure to report re-occupation of vacant building. | Rupees 50 or ten times tax due since occupation. |
| 155 | Evasion of octroi .. .. | Rupees 500 ortwenty times octroi evaded, whichever is greater. |
| 185 | Illegal erection or alteration of a building. | Rupees 1,000 subject to a minimum of Rs. 250. |
| 191(2) | Illegal construction or alteration of a drain connection. | Rupees 50. |
| 201(2) | Negligence by customary sweeper | Rs. 10. |
| 207 | Illegal making of street .. | Rs. 500. |
| 210 | Construction of unauthorised projection over street or dra in. | Rupees 1,000 subject to minimum of rupees 250. |
| 213(3) | Failure to obtain permission for and to safeguard dangerous tree-cutting and building operation. | Rupees 500 and Rupees 10 for each day that offence is repeated after conviction. |
| 217(2) | Improper interference with street name and house numbers. | Rupees 250. |
| 223(2) | Interference with arrangements made during street repair, etc. | Rupees 50. |
| 237(4) | Slaughter on unlicensed premises of animal for sale. | Rupees 20 per animal. |
| 242 | Improper feeding of animals kept for dairy purposes or used for food. | Rupees 50. |
| 245 | Failure to obey a notice prohibiting or regulating the use of premises for an offensive trade. | Rupees 200 and Rs. 40 for each day that offence is repeated after conviction. |
| 246 | Loitering and soliciting for immoral purposes. | Rupees 50. |

| Section | Description of offences | Fine or other punishment that may be imposed |
|---|---|---|
| 247(2) | Disobedience to magistrate's order prohibiting use of house as brothel. | Rupees 52 per day. |
| 248 | Importunate begging .. | Rupees 50. |
| 252 | Neglect of the rules of the road .. | Rupees 10. |
| 253 | Driving vehicles without proper lights. | Rupees 20. |
| | Failure to remove elephant, etc. to safe distance. | Rupees 20. |
| 255(1) | Allowing cattle to stray or be tethered. | Rupees 250. |
| 256 | Unauthorised use of municipal land as halting place. | Rupees 100 and Rs. 10 for each day that offence is repeated after conviction. |
| 257(3) | Unauthorised erection or continuace of inflammable construction. | Rupees 25 and Rs. 10 for each day that offence is repeated after conviction. |
| 261(1) | Unauthorised interference with pavements and other municipal property. | Rupees 1,000. |
| 262 | Dangerous discharge of firearms or fireworks and indulgence in dangerous games. | Rupees 20. |
| 265 | Obstruction of streets .. | Rupees 500 and Rupees 10 for each day that offence is repeated after conviction. |
| 266 | Unauthorised digging on public land. | Rupees 500 and Rs. 10 for weach day that offence is repeated after conviction. |
| 272 | Failure of owner or occupier to remove offensive matter. | Rupees 50 and Rs.5 for each day that offence is repeated after conviction. |
| 274 | Improper disposal by owner or occupier of rubbish, night-soil, etc. | Rupees 250. |
| 275(2) | Failure to dispose of dead animals | Rupees 10. |
| 276 | Improper discharge of sewage into a street or drain. | Rupees 250. |
| 279 | Failure to give information of cholera, small-pox, etc. | Rupees 50. |
| 281 | Doing certain acts while suffering from infectious disorder. | Rupees 50. |
| 285(5) | Burial or burning of corpses in a place not recognised as a burial or burning ground. | Rupees 500. |

| Section | Description of offences | Fine or other punishment that may be imposed |
|---|---|---|
| 295 | Obstruction to municipal employees. | Rupees 1,000 or imprisonment to six months or both. |
| 299 | Contravention of rules or bye-laws to the breach of which penalty is attached. | Any sum not exceeding Rs. 1,000 as prescribed, as up to Rs. 25 for each day that offence is repeated after conviction. |
| 306 | Disobedience to public notice or provision of the Act applicable to the public. | Rupees 1,000 and Rs. 25 for each day that offence is repeated after conviction. |
| 307 | Disobedience to notice issued to individual. | Rupees 1,000 and Rs. 25 for each day that offence is repeated after conviction. |
| 310 | Refusal by occupier to allow owner to take action required by notice. | Rupees 25 for each day of refusal." |

अपवाद

१०१---इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन किये जाने पर भी, इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व, मूल अधिनियम और तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन निलम्बन, पदच्युति, हटाये जाने या अन्य दण्ड के आदेश के विरुद्ध निवेशित कोई अपील जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व अन्तिम रूप से निस्तारित न की गयी हो, या तो उस प्राधिकारी द्वारा निस्तारित की जा सकती है जिसके समक्ष मूल अधिनियम और तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन उक्त अपील की गयी हो या निस्तारण के लिए उक्त प्राधिकारी द्वारा उस प्राधिकारी को संक्रमित की जा सकती है जिसके समक्ष ऐसी अपील, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन की जा सकती हो।

श्री जगदीश नारायण सिनहा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २६५ में निम्न और बढ़ा दिया जाय :--"(g) erects or sets up any chabutra, staircase

stall, any other such fixture on a drain and in any manner obstructs or causes obstruction to the free cleaning of the drain."

इस संबंध में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। जहां और सारी बातों का इसमें जिक्र है वहां नालियों का कोई जिक्र नहीं है जिससे नालियों का इनक्रोचमेंट बहुत बढ़ता जाता है इसलिये एक्जीक्यूटिव आफिसर को आप इतना अधिकार दें कि वह इस तरह की कोई बात होने पर ऐक्शन ले सके।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय सदस्य देखेंगे कि जहां स्ट्रीट की परिभाषा दी हुई है उसके अन्तर्गत ड्रेन भी कवर हो जाता है, इसलिये इस संशोधन को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जगदीशनारायण सिनहा--

श्रीमन्, मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ८३ से १०१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## खंड १०२

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

१०२--(१) राज्य सरकार, किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ विशेषकर मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण करने के संबंध में आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम, इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् अगले बारह महीने की अवधि में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक तथा इष्टकर समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

*श्री रक्षपालसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित खंड १०२ के उपखंड (१) की पांचवीं पंक्ति में "अगले बारह महीने की अवधि में" हटा कर उसके स्थान पर "उपधारा (२) में विधान मंडल में रखने के १५ दिन बाद तक" रख दिया जाय ।

श्रीमन्, इस संशोधन विधेयक में केवल एकमात्र यही संशोधन है जो हिन्दी में रखा गया है । यह हमारे लिये एक मौलिक प्रश्न है कि सरकार एक आदेश जो जारी करे उसे विधान मंडल के सामने रखे । यदि बिधान मंडल का सत्र न हो रहा हो तो ६ महीने के अन्दर निश्चित रूप से विधान मंडल के सामने आयेगा । लेकिन सरकार ने फिर भी यह अधिकार अपने हाथ में रखा है कि विधान मंडल में रखने के बाद भी उस अधिकार को वह अपने लिये बनाये रखना चाहती है तो यह बिलकुल उपयुक्त नहीं है । जब ६ मास में रखना है तो अधिनियम के रूप में बदल दें और इस तरह से रखना ठीक न होगा । विधान मंडल में रखने के १५ दिन बाद तक का समय काफी है । उतने समय में सब कुछ हो सकता है । मंत्री जी को इसके स्वीकार करने में मुझे आशा है, कि आपत्ति न होगी ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह १५ दिन का समय उचित नहीं है, जो समय रखा गया है इसमें वही ठीक है और मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि प्रस्तावित खंड १०२ के उपखंड (१) की पांचवीं पंक्ति में "अगले बारह महीने की अवधि में" हटा कर उसके स्थान पर "उपधारा (२) में विधान मंडल में रखने के १५ दिन बाद तक" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १०२ इस विधेयक का....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं तो इसका विरोध करना चाहता था....

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, तो १ मिनट में आप कह लें।

श्री कमलासिंह यादव--

अभी तक सरकार को रूल्स बनाने का अधिकार दिया गया है और उसमें होता यह रहा है कि यहां सेक्शन बना दिये जाते हैं और उसके रूल्स बाद में सरकार बनाती है, लेकिन सेक्शन बनाने का अधिकार कहीं नहीं है। समय वह निश्चित करते हैं और बाद में वह मेज पर उसको रख देते हैं। यहां पर हम सरकार को सेक्शन में संशोधन की पावर दे रहे हैं जो कि पावर सदन की है।

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं आज के एजेंडे में जो कार्यवाही छपी है उसको पूरा करने के लिये सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि...

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, मैं इस का विरोध करता हूं। यह कोई उचित तरीका नहीं है। सदन में तय हुआ था कि ३ बजे के बाद साढ़े ४ बजे तक यह चलेगा, उसी वक्त आप को...

श्री उपाध्यक्ष--

कमलासिंह जी से पूछिये, यह तय हो गया था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

जिस दिन इस विधेयक के बारे में बात हुई थी समिति में, तो इसके लिये ४ दिन मांगे गये थे। सरकारी पक्ष ने कहा कि इतना समय नहीं लगेगा, उन्होंने कहा कि लग जायगा...

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, आप इस निर्णय पर जरा फिर गौर करें, आप तो महान पंडित हैं आप तो किसी भी बिल को मिनटों में पास करा सकते हैं, आपने यहां ऐसा इतिहास कायम किया है कि जरा कहा कि 'हां' की संख्या अधिक और 'न' की संख्या कम और पास। यह उचित नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, वह साढ़े ३ दिन कह रहे थे और हम ४ दिन इसके लिये मांग रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि समय बचेगा तो भांडार अधिग्रहण विधेयक ले लेंगे वर्ना वह कोई जरूरी नहीं है और अब वह इसको १ घंटे में जल्दी में पास कराना चाहते हैं। इस नगरपालिका बाले को आप पास करा लें और इस को फिर आगे एक व्यवस्थित रूप से लावें ताकि ठीक से उस पर विचार किया जा सके, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागे नहीं जा रहे हैं.....

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा आवश्यक विधेयक है और गल्ला रखने के लिये बहुत जरूरी है, यह तो जनता के और आप के हित में ही है, यह जल्द पास हो जाय, यह जरूरी है क्योंकि जल्द फसल आने वाले है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी सदन में तय हो गया था।

श्री कमलासिंह यादव—

समय के बारे में मैं नहीं कहता हूं। एक बात कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि १९६६ तक इस विधेयक की मियाद है और उसको बढ़ाकर आप १९७१ तक करना चाहते हैं। तो देखा जा रहा है कि आप कोई भी मकान रिक्वीजीशन कर सकते थे और १९६६ तक कर सकते हैं। तो अगर २,४ महीने बाद इस विधेयक को लायें तो कोई कठिनाई नहीं होगी। हां अगर इसकी मियाद खत्म होने को होती तो मुझे कोई एतराज न होता, लेकिन जब मियाद १९६६ तक है, तो मंत्री जी जल्दी न करें और काम को समझबूझ कर करें। इसमें संशोधन भी बहुत से हैं इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जब मियाद है तो ६ महीने बाद ही उसको सदन में लायें। क्या एतराज है?

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, माननीय कमलासिंह ने कहा कि इस अधिनियम की मियाद अभी काफी है तो फिर किस बात की जल्दी? दूसरे यह कि आज से ४ महीने पहले जितने भंडार थे इस विभाग के हाथ में वह सारे खाली पड़े हुये हैं। माननीय नेगी साहब का कहना है कि गल्ला नहीं है, गल्ला उतना ही आ रहा है जो मुश्किल से सस्ते गल्ले की दूकानों तक मंत्री जी पहुंचा पा रहे हैं। तो गल्ला है ही नहीं, आपके भंडार खाली हैं केवल उनका किराया दे रहे हैं, तो जल्दी किस बात की है? और आप ही कहते हैं कि २,४ महीने में स्थिति सुधरने वाली नहीं है। भदई और खरीफ की फसल मारी गयी इसको राजस्व मंत्री ने आज स्वीकार भी किया अपने स्टेटमेंट में। अब अगर रबी की फसल के लिये आप भंडार बनाना चाहते हैं तो जल्दी क्या है, आज के बाद जब हम लोग मिलें तभी इसको ले आयें। इसमें २० से संशोधन हैं। आप देख लें कि एक एक संशोधन पर अगर एक एक मिनट भी दिया तो भी १ घंटे में पास नहीं होगा। अतः म्यूनिसिपैलिटी वाला बिल आज स्वीकृत करा लें और माननीय नेगी जी को अभी आराम करने दें और अगले सेशन में इसको लायें। तब तक पहले गल्ला इकट्ठा करें।

*श्री जगमोहन सिंह नेगी—

आप कह रहे हैं कि गल्ला नहीं है। १ लाख १९ हजार टन के करीब हर महीने भेज रहे हैं। यह सही है कि इस समय आवश्यकता ज्यादा है। अभी तक देहाती क्षेत्र में गल्ला नहीं जाता था, बड़े बड़े शहर में ही देते थे। तो इसमें मियाद की बात नहीं है। बल्कि इस विधेयक में केवल इतना है कि अगर डी०एम० २०० रु० या कोई भी अदालत से २०० रु० जुरमाना हो जाय, हमको मकान न मिले, यों हम किसी को सजा या जुरमाना नहीं करना चाहते हम तो केवल गोदाम के लिये मकान चाहते हैं। तो खरीफ की फसल आ रही है, उसमें चावल भी आ रहा है अब अगर उसको रखने के लिये उचित प्रबन्ध न किया गया तो माननीय मुमताज मुहम्मद कहेंगे कि खराब चावल आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक दफा तय हो गया था कि १ घंटे में पास कर देंगे। माननीय मैनेजर सिंह जी मान जाइये।

श्री मैनेजरसिंह--

ठीक है श्रीमन्, मैं माने जाता हूं मंत्री जो गल्ला लायें यह शर्त है ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री कमला सिंह के खड़े होने पर) आप एक मिनट में अपनी बात कह लें ।

श्री कमला सिंह यादव--

श्रीमन्, १ मिनट तो कम है । अगर आप चाहते हैं कि यह विधान सभा न रहे, और आप भी न रहें तब तो ठीक है । मुझे हेनरी अष्टम का शासन याद आ रहा है कि वह जो चाहता था वही करता था और कानून उसकी जबान पर रहता था ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन ने तय किया था कि ३ बजे तक समाप्त हो । मैंने कहा कि ४ बजे तक हो, आपने कहा कि ५ बजे तक हो । अब ५ बजकर ३ मिनट हो गये हैं ।

श्री कमला सिंह यादव--

श्रीमन्, मैं इस सदन का मेम्बर हूं । इसलिये मेरी ड्यूटी होती है कि मैं आपके सामने अपना मत रखूं । मुझे इस समय हेनरी अष्टम की याद आती है कि जो उसकी जुबान से निकला वही कानून बन गया । अब तक लेजिस्लेचर के अधिकार से ऐक्ट में संशोधन सैंक्शन से होता है और वह विधान सभा के जरिये से होता है, लेकिन इस विधेयक में हम सैंक्शन्स में भी प्राविधान करने जा रहे हैं कि इसके अधिकार भी हम सरकार को दे दें । हमारे संविधान के अनुसार जब विधान सभा की बैठक नहीं होती तो उस समय गवर्नर को पावर है कि वह आर्डिनेंस या कानून बना सके । लेकिन वह १२ महीने तक लागू रहे उसे गवर्नर नहीं कर सकता है । इस संबंध में मैं नियम २४६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है--

"Whether it appears to make some unusual or unexpected use of the powers conferred by the Constitution or the Act pursuant to which it is made."

अमेंडमेंट की पावर तो विधान सभा को है । अगर ये पावर सरकार को दी जा रही है तो उसमें विधान सभा की पावर्स में इन्क्रोचमेंट करने जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि अगर यह ताकत आपने दे दी सरकार को, जिन्हें रूल्स बनाने की तो ताकत है ही, और जो सदन में भी आते हैं, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा । इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि जो पावर विधान सभा की है वे सरकार को न दी जायें । मैं यह भी चाहता हूं कि ऐसा कोई भी कानून पास न किया जाय जिससे विधान सभा की पावर्स सरकार को दें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मुझे ऐसा लगता है कि माननीय कमलासिंह जी के दिमाग में अंग्रेजी राज भरा हुआ है । हर ऐक्ट में रिमूवल और डिजोल्यूशन का प्राविधान होता है । संविधान में भी रीमूवल आफ डिफिकल्टीज प्रेजीडेन्ट को दी हुयी हैं, तो इसलिये यह जरूरी है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्याक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १०२ इस विधेयक का अंग माना जाय :

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

### उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६।

कतिपय प्रयोजनों के लिए यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६।

कतिपय प्रयोजनों के लिये यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट १९१६ को संशोधित करना इष्टकर है;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के पंद्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मुझे कुछ निवेदन करना है कि सभी विरोधी पक्ष की ओर से प्रार्थना-पत्र दिया गया है कि विधान सभा का अधिवेशन नवम्बर में बुलाना चाहिये। खबर यह है कि शीतकालीन अधिवेशन नहीं होगा और फरवरी तथा मार्च में अधिवेशन बुलाया जाने वाला है। अगर यह बात सही है तो मेरा निवेदन यह है कि अपने प्रदेश में खाद्य स्थिति बड़ी जटिल है और दिन प्रति दिन जटिल होती जा रही है। अखबारों में खबर निकली है कि सिक्किम में चीन हमले की तैयारी कर रहा है जिससे प्रदेश की आन्तरिक दशा खराब हो सकती है जिसका असर प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता पर पड़ता है। तो हम लोग राय न दें सकें यह ठीक नहीं है। एक अड़चन यह बताई जाती है कि कमरे टूटकर बनने वाले हैं तो हम लोग आफिसों को अपने कमरे दे देंगे। तिलक हाल में बैठक बुलाई जा सकती है। खेमा लगा कर सेशन कांग्रेस का होता है जिसमें दो, तीन हजार डेलीगेट बैठते हैं वैसे ही ४३० सदस्यों के बैठने का इंतजाम किया जा सकता है। मेरा बनारसीदास जी से निवेदन है कि खाद्य की समस्या जटिल होती जाय, आप पर दोषारोपण होता रहे और आप हमको सुन भी न सकें यह उचित नहीं होगा। अतएव मेरा निवेदन है कि नवम्बर में आप शीतकालीन अधिवेशन बुलायें और प्रदेश की समस्याओं पर उस समय गौर किया जाय।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, रामसुन्दर पांडेय जी ने जो प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और आपसे निवेदन है कि सरकार शीतकालीन अधिवेशन तिलक हाल में कर ले। ४३१ सदस्य उसमें आसानी से बैठ सकते हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही इस संबंध में जो कह चुका हूं उसे दोहराऊंगा नहीं। एक बात कहना चाहता हूं कि महंगाई की समस्या इतनी जबरदस्त हो गयी है, दो महीने से हम देख रहे हैं कि इसका हल नहीं ढूंढ पाये। अन्न के भावों की समस्या को भी हम हल नहीं कर पाये। वह बढ़ते जाते हैं। गन्ने की समस्या भी बड़ी जटिल समस्या है जो हमारे सामने आने वाली है। और पिछले वर्षों में वह सदैव आती रही है। हम पब्लिक के कष्ट को यहां न कह सकें तो यह उचित नहीं होगा। मार्च अथवा फरवरी में सेशन करने से इन बातों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। आपके लिये भी अच्छा रहेगा कि फिर कोई कुछ कह नहीं सकेगा वर्ना आप पर दोषारोपण होगा। तिलक हाल मौजूद ही है वहां नवम्बर में थोड़े दिन के लिये सेशन बुला लें ताकि जनता को जो कष्ट होता है उसको हम सरकार के सामने रख सकें।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय तो निश्चय यह है कि सदन साइन डाई एडजर्न हो। सदन के कुछ हिस्से की मरम्मत होने वाली है और सेशन से बचने की बात नहीं है। आवश्यकता हुई और व्यवस्था की जा सकी तो इससे पहले भी बुलाने का प्रयत्न किया जायगा। लेकिन इस समय निश्चय है कि सदन साइन डाई एडजर्न किया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जब हम उठें तो यह बतला दिया जाय कि अब हम फिर कब बैठेंगे लेकिन मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। यदि मंत्री जी निश्चित तिथि न बता सकें तो लगभग की तिथि बता दें।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने तो कह दिया है कि.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

उपाध्यक्ष जी, दिक्कत यही है कि आप ही परम्परा डालते हैं। मंत्री जी निश्चित तिथि बतायेंगे।

श्री बनारसीदास--

जैसा मैंने बताया वैसे पी० डब्ल्यू० डी० ने जो समय दिया है वह चार महीने का दिया है इसलिये सेशन हो सकता है जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में। लेकिन जैसा कि यहां पर माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है अगर आवश्यकता हुई तो पहले बुलाने का प्रयत्न करेंगे।

## यातायात तथा आबकारी स्थायी समितियों एवं कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष--

यातायात स्थायी समिति के लिये श्री रामसिंह शाक्य (एटा) और आबकारी स्थायी समिति के लिये श्री परमाई लाल (हरदोई) विधिवत निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधक बोर्ड में श्री नरेंद्रसिंह विष्ट के रिक्त स्थान की पूर्ति निर्वाचनार्थ केवल श्री देवीदत्त हिमवाल का नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त हुआ था। अतः उक्त बोर्ड के लिये श्री देवीदत्त (नैनीताल) विधिवत निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

## उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४†

*खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, मैं संक्षेप में इस बात को कह दूं कि इस विधेयक को लाने का तात्पर्य यह था कि हम बजाय पैनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट के इस क्लाज को हटा दें और अपना मकसद पूरा कर लें। इसलिये हमने साफ कर दिया है कि रेजीडेंशल हाउस को कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं लेगा। अगर रेजीडेंशल नहीं है और दूसरे तरह का है और गोदाम नहीं है तो बगैर स्टेट गवर्नमेंट की इजाजत नहीं लेगा हमने कोशिश की है कि दिक्कत न हो और मकान मालिक को वापस करते समय सिवाय वीयर एंड टीयर को छोड़कर वैसा ही देने का प्रयत्न करेंगे।

दूसरी बात यह है कि हमने मकान मालिकों को सहूलियत देने की कोशिश की है। हमने यह भी मुनासिब समझा कि जो ला कमीशन ने सिफारिश की हैं उनको भी इसके अन्तर्गत ले आयें जिसमें कोई दिक्कत न रहे। माननीय कमलासिंह जी ने जो संशोधन दिये हैं उनको मैंने देखा है और मैं समझता हूं कि अगर वे बारीकी से देखेंगे तो इसके पारित होने में एक सैकिन्ड का भी विलम्ब नहीं होना चाहिये। जो यह संशोधन विधेयक आया है वह सम्पूर्णतया मकान मालिकों के हित में है और कुछ हद तक हमारे और जनता के हित में है। इसमें अपील की गुंजायश नहीं थी वह भी हमने दी है। हमारे हित में इसलिये हैं कि जिस चीज को हम चाहते हैं वह हमें तुरन्त मिल जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर सही तरीके से किसी वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। अन्य जगहों पर यह मिनटों में पास हुआ है इसलिये यहां पर सैकिन्डों में पास होना चाहिये।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे।

---

† ४ सितम्बर, १९६४ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें २,३ चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। एक तो यह है कि जहां तक विवादग्रस्त आवास का सवाल है, अगर कोई भी आवास ऐसा है जिसको सरकार लेना चाहती है तो उस विवादग्रस्त आवास के कोई मालिक होंगे और जिलाधीश को जानकारी होगी कि किन-किन आदमियों के बीच यह विवादग्रस्त है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि विवादग्रस्त आदमियों को, जो जो उसके मालिक हों, उनको नोटिस दिया जा सके। अगर वह मालिक नहीं है तो कोई दूसरा मालिक होगा। अगर मकान लेते समय वह मालिक मर जाय तो हमको उसको नोटिस देना चाहिय जो दूसरा मालिक हो गया। इस तरीके से इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिस समय वह मकान रिक्विशन किया जाय और जिसके नाम वह मकान है वह मर जाय या उसके पहले मर जाय तो बाद म जो उसके लड़के हैं उसके नाम नोटिस दिया जा सके। जो रिकार्ड है उसके अनुसार ही नोटिस दिया जायगा। जो उसके बाद एयर है उसके नाम नोटिस देने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह इसमें एक एनामिली है। जिसके नाम मकान स्टेन्ड करता है अगर वह मर जाय तो उसके एयर को नोटिस देने की इसमें व्यवस्था नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि जो मकान खाली हो अगर उस वक्त उस पर कब्जा किया जाय या सरकारी अधिकारी उस समय उस पर कब्जा करें तो यह कोई दिक्कत की बात नहीं है, लकिन जिस वक्त कोई भी मकान ऐसा है जिसमें सामान भरा है और कीमती सामान भरा है तो उस वक्त यह अधिकार देना कि उसको जबरदस्ती ले लिया जाय और खाली करा लिया जाय और सामान को फेंक दिया जाय मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। मैं चाहता हूं कि जहां पर मालिक का सामान भरा है, मुझे एतराज नहीं है आप उस पर कब्जा लें, लेकिन जो मालिक का सामान भरा है या उस मकान को वह माल स्टोर करने में इस्तेमाल करता है तो आपके अधिकारी उसकी एक लिस्ट बना लें और लिस्ट बनाने के बाद अगर आपके पास कोई जगह नहीं है कि जहां पर उसके माल को स्टोर किया जा सके तो सरकार को चाहिये कि उसके सामान रखने की व्यवस्था करे और उसका सामान रखने के बाद उस पर कब्जा ले। इससे उसके माल का नुकसान नहीं होगा। आपने शायद इसमें रखा है कि ३ दिन का उसको समय दिया जायगा। यदि उसका काफी सामान है तो वह कैसे उसकी खाली करेगा, इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार उसकी मदद करे। उसको ऐसी जगह दे जिससे उसका सामान उस जगह पर रखा जा सके, नहीं तो उसको इतना मौका सरकार दे कि वह मकान खाली करने के लिये अपने सामान को दूसरी जगह ले जा सके।

तीसरी बात यह है कि सामान जो दूसरी जगह जायगा वह किसी सवारी या गाड़ी से वह ले जायगा तो उसका खर्चा सरकार को देना चाहिये। इसी के साथ एक बात यह भी है कि जो मकान सरकार लेती है तो उसके अन्दर कोई न कोई अमेंडमेंट करती है। वह सारा रद्दोबदल सरकारी खर्च पर होना चाहिये क्योंकि वह सरकार को ही सूट करने के लिये किया जा रहा है, मकान मालिक को नहीं सूट करेगा। इसलिये जिस हालत में सरकार ने उस मकान को लिया है उसी हालत में उसको वापस करना चाहिये। अगर तोड़फोड़ करने से उसकी शकल बदली है तो उस मकान को ओरिजिनल शक्ल में लाने के लिये जितना खर्चा हो वह सब सरकार को देना चाहिये। सरकार की तरफ से इस तरीके की फैसिलिटी देनी चाहिये।

एक कठिनाई और है। अगर आपके पास भंडार में अन्न नहीं है या अन्न आने के १, २ महीने के बाद निकाल लें और उसके बाद साल भर खाली रहे और गल्ला न रहे तो इस दशा म सरकार उसको कम्पेन्सेशन देगी, लेकिन माल कुछ नहीं है और वह खाली है तो यह हो सकता है कि अधिकारी उसके मकान को किसी और को अलाट करा ल और मकान मालिक को किराया देते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं तो चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन्हीं मकानों को ल जो मकान साइंटिफिक तरीके पर बने वरना आप जानते हैं कि हजारों मन गल्ला गोदामों में सड़ जाता है और फिर मंत्री जी उसे अपने अधिकारियों के नाम से नीलाम करा देते हैं और हजारों का माल कौड़ियों में चला जाता है और वह बेचारा गरीब किसान मारा जाता है। इन शब्दों क साथ म मंत्री जी का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इस विधेयक को सेलक्ट कमेटी में भेजने की बात मान लेंगे।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं कमलासिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। विरोध इसलिये करता हूं कि उनके प्रस्ताव में स्वयं ही विरोधाभास है। वे कहते हैं कि सरकार गल्ला रखने के लिये मकान ले, लेकिन उस मकान में रखे सामान को रखने के लिये सरकार कोई जगह प्रोवाइड करे। तो अगर उसके पास जगह होगी तो फिर वह मकान लेगी ही काहे? दूसरे, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि गल्ला बाहर से आया, लेकिन उसके रखने के लिये कोई उचित जगह नहीं थी, वह बाहर ही पड़ा रहा और इस वजह से बहुत सा गल्ला सड़ गया। यूंही हमारे देश में भुखमरी की स्थिति है। संसार के हर मुल्क से हम गल्ले की भीख मांग रहे हैं और उसके बाद जो कुछ हमें मिलता है वह इसलिये नष्ट हो जाय कि हमारे पास रखने की जगह न हो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं समझता हूं कि कमलासिंह जी का प्रस्ताव असामायिक है और इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं। मंत्री जी ने कहा कि जिसका मकान लेंगे उसको किराया देंगे और इसलिये इसके बाद इसमें बहस के लिये कोई बाद बाकी नहीं रहती। इस परिस्थिति में हर स्थान पर गल्ला रखने के लिये गोदाम बनाना संभव नहीं है जबकि उसकी व्यवस्था अवश्य करनी है इसलिये यह मेजर जरूरी है और मैं इसलिये कमलासिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि इसे असामयिक समझ कर के वापस ले लें और विधेयक जल्दी पास हो जाने दें।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम उस प्रस्ताव में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने इस विधेयक को बहुत उल्टा पलटा, लेकिन उसमें मुझे कहने के लायक कोई बात मिली नहीं और पूरे ढ़ाई साल की अपनी सदस्यता की अवधि में मैंने देखा कि यही एक ऐसा विधेयक है जिसमें ढूंढने पर भी कोई बात आलोचना करने लायक न मिले। भाई कमलासिंह जी तो वकील हैं और अध्यक्ष महोदय कह चुके हैं कि ऐसे बारीक मामलों पर केवल वकील ही राय दे सकता है। आप भी वकील हैं और वह एक ही मामले के पक्ष और विपक्ष दोनों में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन कमलासिंह जी ने इसकी आलोचना कर के अपने मुवक्किल जनता के हित के खिलाफ ही कुछ कहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार गल्ला लाये और उसके पहले उसे रखने का इंतजाम करे। उनका कहना है कि पहले गल्ला आ जाय फिर रखने का इंतजाम किया जाय। यह उचित तर्क नहीं है और इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को वे वापस लें और इस विधेयक को एक सैकिंड में पास हो जाने दें।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, विधेयक के साथ जो वित्तीय ज्ञापन दिया गया है उसमें यह है कि इस पर माननीय मंत्री जी १० करोड़ ९२ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं। यह धारा प्रतिकर के लिये है। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि कहीं यह स्थिति नहीं होनी चाहिये कि भांडार साल भर के लिये ले लिये जायं और वह खाली पड़े रहें, यह जो खर्चा मंत्री जी करने जा रहे हैं इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिये यही मुझे कहना था।

श्री उपाध्यक्ष--

उतने रुपये की तो पूंजी लगाने जा रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

सबसे पहले तो श्रीमन्, मैं एक शेर सुना दूं--

"मुद्दतें हो गयीं हमें चुप रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते।" श्रीमन्, माननीय नेगी जी जितनी जल्दी इस बिल को पास कराने के लिये कर रहे हैं, अगर उतनी जल्दी वे मेरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र में गल्ला पहुंचाने में करते तो मैं उनको हृदय से बधाई देता। इस बिल की म्याद जो बढ़ाई जा रही है उससे बड़े-बड़े आदमियों को ही फायदा होगा और उनकी मदद के लिये ही यह बिल लाया गया है। मुझे इतना ही कहना है--

"कहते कहते जो वह सामने आ जाता
सब कहने की बातें हैं कुछ भी न कहा जाता।"

श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं अगर उन्होंने विधेयक के हर क्लाज को पढ़ लिया होता तो शायद यह बात न होती। मैं भी यह चाहता था कि यह विधेयक जल्दी से पास हो जाता। किन्तु कुछ बातें ऐसी थीं इसमें जो बाद में घातक सिद्ध हो सकती थीं। इसमें १० करोड़ रुपये के बटवारे का सवाल है। सरकार की जो भी योजनायें होती हैं वे सब असफल होती हैं, यही अब तक देखने में आया है। कुछ मोटा अन्न मंगा कर ही पब्लिक को दे दें हमने कहा कि पंजाब का मोटा चावल ही सस्ते रेट पर गाजीपुर भिजवा दें। यह तक करने के लिये वह तैयार नहीं हैं। लेकिन यह १० करोड़ रुपया किसकी जेब में जायगा? इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रस्ताव को मानते हुए इस विधेयक को सैलेक्ट कमेटी में भेज दें। वहां इसकी अच्छी तरह से छानबीन हो जायगी। एक बात और है। अगर मंत्री जी आश्वासन देने के लिये तैयार हो कि इस कानून से कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके महत्व को समझा है। कमलासिंह जी को कुछ शंका है कि इस कानून का नाजायज लाभ बडे आदमियों को होगा। ऐसी बात नहीं है। ओनर पर कमलासिंह जी ने आपत्ति की है। रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट में भी ऐसा ही है। कमलासिंह जी को कोई शंका नहीं होनी चाहिये। श्रीपालसिंह जी ने उनकी बात का उत्तर देकर मेरा काम कुछ हलका कर दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं बेमतलब हम कोई जगह नहीं लेने जा रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां हमारे पास गोदाम नहीं हैं और अब जो हालत हो गई है उसके मुताबिक हर जगह गल्ला भेजना जरूरी हो गया है। आवश्यकतानुसार ही हम भंडार लेंगे। इसमें हमने अपील का भी प्राविजन रखा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी ले आये हैं, जो पहले नहीं था। इस प्रकार किसी के साथ ज्यादती होने की गुंजायश नहीं है। जो बातें कमलासिंह जी ने कही हैं उनको मैंने हृदयंगम कर लिया है और मैं उनको फिर विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक होगा किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दी जायगी। विरोधी दल की हमेशा शिकायत यह रही है कि हम सख्त कदम नहीं उठाते हैं अतः कमलासिंह जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे उसको वापस ले लें।

श्री कमलासिंह यादव--

इसको मैं वापस लेता हूं। लेकिन जो राजा साहब ने बात की वह तो बड़े आदमी हैं और श्रीमन्, मैं सोशियलिस्टिक पैटर्न में विश्वास करता हूं इसलिये मैं चाहता हूं कि बड़े आदमियों का फायदा न हो, गरीब आदमियों को फायदा हो। माननीय मंत्री जी को इसीलिये मैंने बताया कि बड़े आदमियों को ज्यादा फायदा देने की कोशिश न करें। लेकिन जनता को फायदा होना चाहिये। मेरी, कुंवर श्रीपालसिंह या किसी की परसनल बात नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

चूंकि श्रीमन्, मेरा नाम आ गया है, इसलिये थोड़ा सा मैं इस सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं। वह यह श्रीमन्, न तो मैं कोई व्यापारी हूं और न मेरे पास कोई गोदाम है। हां, इतना जरूर है राजा के घर में पैदा हुआ हूं। कमलासिंह जी जो सोचते हैं, उसमें मेरा कोई लाभ नहीं होगा मेरे पास रहने वाले कमरे हैं, जिसमें शायद नेगी साहब का गल्ला नहीं आ सकता।

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने कोई परसनल बात नहीं की या किसी को लक्ष्य करके नहीं कहा है। मैं सोशलिस्टिक पैटर्न में विश्वास करता हूं और इस लिये चाहता हूं कि गरीबों को फायदा हो तो ज्यादा अच्छा हो। वैसे किसी की चीज को ले तो उसको कम्पेनसेशन दें। हम लोग राजस्व मंत्री से और सरकार से बराबर यह प्रार्थना करते रहे हैं कि किसी की जमीन ले या किसी की क्राप का नुकसान होता है जमीन लेने में, तो उसको कम्पेनसेशन दे दें। जब हमारी यह मांग रही है तो मैं आखिरी आदमी हूं और कहता हूं कि यदि किसी का मकान लें तो उसको भी दें। इस लिये चूंकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी इस लिये उनके एसोरेंस के साथ इस संशोधन को वापस लता हूं अन्त में इसके पास हो जाने के बाद मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे गाजीपुर जिले के लिये कुछ सस्ते गल्ले की व्यवस्था करेंगे और पंजाब का टूटा हुआ चावल भी दे दें तो वहां के आदमियों को सुविधा हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री कमलासिंह को अपने संशोधन को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भंडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २-१२

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २१, १९५५ की धारा १ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (४) में अंक "१९६६" के स्थान पर अंक "१९७१" रख दिया जाय।

३—मूल अधिनियम की धारा २ म—

धारा २ का संशोधन

(१) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"न्यायालय" से तात्पर्य है मुंसिफ का न्यायालय और, यदि कोई मुंसिफ न हो तो ऐसे सिविल जज का न्यायालय, जिसका उस क्षेत्र में, जिसमें भंडार आवास स्थित हो, स्थानीय अधिक्षेत्र; और हो

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"जिला मैजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत अपर जिला मैजिस्ट्रेट या इस अधिनियम के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी भी है।

४—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

धारा ३ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में, शब्द "कलेक्टर के स्थान पर शब्द "जिला मैजिस्ट्रेट रख दिये जायें और शब्द "खाद्यान्नों" एवं खाद्य सामग्रियों के स्थान पर शब्द "खाद्यान्नों या अन्य खाद्य सामग्रियों" रख दिये जायें;

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी आवास जो वास्तविक रूप से निवास प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हो, अधिगृहीत नहीं किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी ऐसा अन्य आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृत के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा। राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को, यदि कोई हो, सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी।" और

(३) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

५—मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय:—

नई धारा ४ का बढ़ाया जाना

"४—क—यदि धारा ३ के अधीन आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवास का कब्जा जिला मैजिस्ट्रेट को न दिया जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट आवास का कब्जा ले सकता है और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

बलपूर्वक कब्जा लेने का अधिकार

६—मूल अधिनियम की धारा ५ में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिला मैजिस्ट्रेट" रख दिये जायें और शब्द "खाद्यान्नों एवं खाद्य सामग्रियों" के स्थान पर शब्द "खाद्यान्नों या अन्य खाद्य-सामग्रियों" रख दिये जायें।

धारा ५ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिला मैजिस्ट्रेट" रख दिये जायें और शब्द "खाद्यान्नों एवं खाद्य सामग्रियों" के स्थान पर शब्द "खाद्यान्नों या अन्य खाद्य सामग्रियों" रख दिय जायें।

धारा ६ का संशोधन

धारा ७ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"७—(१) जिला मैजिस्ट्रेट अपने द्वारा अधिगृहीत भांडारिक आवास के स्वामी को ऐसा प्रतिकर देगा, जो उसके और स्वामी के बीच लिखित रूप में तय हो जाय ।

अनुबन्ध द्वारा प्रतिकर

(२) भांडारिक आवास के अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित प्रतिकर होगा:—

(क) अधिग्रहण की अवधि के सम्बन्ध में ऐसे किराये की धनराशि के बराबर आवर्तक भुगतान जो सम्पत्ति के प्रयोग और अध्यासन के लिए देय होता, यदि वह उक्त अवधि के लिए पट्टे पर ली गयी होती ; और

(ख) ऐसी धनराशि या धनराशियां, यदि कोई हों, जो निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए स्वामी को प्रतिकर देने के लिए आवश्यक पायी जायें, अर्थात्:—

(१) अधिग्रहण के कारण आर्थिक हानि, और

(२) अधिग्रहीत भू-गृहादि को खाली करने के कारण व्यय ।"

धारा ८ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ८ में—

(१) उपधार (१) में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिला मैजिस्ट्रेट" रख दिये जायें ।

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२) अभिदेश (reference) का निर्णय करने में न्यायालय धारा ७ की उपधारा (२) के उपबन्धों का ध्यान रखेगा ।"

धारा ९ का संशोधन

१०—पार्श्व शीर्षक सहित मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"९—(१) धारा ८ के अधीन न्यायालय की आज्ञा से क्षुब्ध कोई अपील व्यक्ति उक्त आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर जिला जज को अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

ऐक्ट संख्या ३६, १९६३

(२) लिमिटेशन ऐक्ट, १९६३ की धारा ५ और १२ के उपबन्ध उपधारा (१) के अधीन अपील पर लागू होंगे ।"

धारा १० का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) जहां-जहां भी शब्द "कलेक्टर" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "जिला मैजिस्ट्रेट" रख दिये जायं ।

(२) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (५) बढ़ा दी जाय:—

"(५) जब अधिग्रहण से भांडारिक आवास छोड़ा जाय, जिला मैजिस्ट्रेट, यथासम्भव उसे उतनी ही अच्छी दशा में वापस करेगा जितनी वह उस समय थी जबकि उसका कब्जा लिया गया था, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन परिवर्तनों पर यदि कोई हों, ध्यान नहीं दिया जायगा जो उचित टूट-फूट और आरोध्य शक्ति के कारण हुए हों ।"

१२--(१) मूल अधिनियम की धारा ११ निरस्त की जाती है। धारा ११ का निरसन

(२) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस निरसन पर लागू होंगे। यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९०४

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से १२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

## उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९५५

### विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि बड़े लोगों के मकानात को उसे जो बलात् लेने का अधिकार जिला मैजिस्ट्रेटों को दिया जा रहा है, तो आम जनता के फायदे के लिये उसमें गल्ला रखा जायगा और बड़े-बड़े लोगों के मकानात ले लिये जायेंगे। यह तो श्रीमन्, बड़े सोशलिस्टक पैटर्न के अनुसार विचार है, इससे बड़े लोगों पर असर पड़ता है। मैं तो चाहूंगा ही कि उनके मकानात जबरदस्ती ले लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४७ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
९ दिसम्बर, १९६४।

## नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७ पर]

**विकास खण्ड रामनगर, जिला बाराबंकी में स्वच्छ पेय-जल हेतु कूप निर्माणार्थ, १९६१-६२, १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में जिला नियोजन समिति द्वारा दिए गए अनुदान का विवरण**

| क्रमांक | अनुदान गृहीता का नाम व पता | धनराशि जो दी गई | | |
|---|---|---|---|---|
| | | १९६१-६२ | १९६२-६३ | १९६३-६४ |
| १ | श्री सहाय, मूलपुर अरसंडा .. | १६५-०० | .. | .. |
| २ | श्री दुखी हरिजन, किन्तूर .. | १८०-०० | .. | .. |
| ३ | श्री मोलहे, अगानपुर .. | ५०-०० | .. | .. |
| ४ | श्री नन्दलाल, विकनापुर .. | ७०-०० | .. | .. |
| ५ | श्री भरोसे, पूरे मगई .. | ४०-०० | .. | .. |
| ६ | श्री साहबदीन, टिकुरी .. | .. | २६५-०० | .. |
| ७ | श्री सुखराजसिंह, किशनपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| ८ | श्री मुहम्मद असकरी, हजरतपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| ९ | श्री छेदा, किन्तूर .. .. | .. | ४००-०० | .. |
| १० | श्री गंगा प्रसाद, किशुनपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| ११ | श्री रामप्रसाद सिंह, किशुनपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| १२ | श्री मुहम्मद जफर, हजरतपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| १३ | श्री रामेश्वर प्रसाद, दुर्गापुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| १४ | श्री भवानीबक्श सिंह, देवसानी .. | .. | ४००-०० | .. |
| १५ | श्री नन्हई, किन्हौली .. | .. | ४००-०० | .. |
| १६ | श्री सरजूराम, सिरौलीगंज .. | .. | ४००-०० | .. |
| १७ | श्री अलीहसनैन, हजरतपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| १८ | श्री अक्तर मेहंदी, किन्तूर .. | .. | ४००-०० | .. |
| १९ | श्री जानकीप्रसाद, गोवुरहा .. | .. | ४००-०० | .. |
| २० | श्री मथुरा प्रसाद, किशुनपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| २१ | श्री मैकू, किन्तूर .. .. | .. | ४००-०० | .. |
| २२ | श्री साजिद हुसैन, किन्तूर .. | .. | ४००-०० | .. |
| २३ | श्री हनुमान, हजरतपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| २४ | श्री रामप्रसाद, अलीनगर .. | .. | ४००-०० | .. |
| २५ | श्री मेंड़ी लाल, अलीनगर .. | .. | ४००-०० | .. |
| २६ | श्री गुरदीन, अलीनगर .. | .. | ४००-०० | .. |
| २६ | श्री रगई हरिजन, अमोली कीरतपुर | .. | ४००-०० | .. |
| २८ | श्री भगीरथ, हजरतपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| २९ | श्री बुद्धराम, हजरतपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| ३० | श्री हनुमान, निजाउद्दीनपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| ३१ | श्री मंगरे, निजामउद्दीनपुर .. | .. | ४००-०० | .. |
| ३२ | श्री श्रीकृष्णा, नहरवल .. | .. | ४००-०० | .. |

| क्रमांक | अनुदान गृहीता का नाम व पता | धनराशि जो दी गई | | |
|---|---|---|---|---|
| | | १९६१–६२ | १९६२–६३ | १९६३–६४ |
| ३३ | श्री मंशाराम, बैलमऊ | .. .. | ४००–०० | .. |
| ३४ | श्री जागेश्वर, अगानपुर | .. .. | ४००–०० | .. |
| ३५ | श्री दुलारे, किशुनपुर | .. .. | .. | ४००–०० |
| ३६ | श्री बदल, गोड़ारा | .. .. | .. | ४००–०० |
| ३७ | श्री सुमेरीलाल, बहलपुर | .. .. | .. | ४००–०० |
| ३८ | श्री श्रीराम, बैलमऊ | .. .. | .. | ४००–०० |
| ३९ | श्री गजोधर, देवसानी | .. .. | .. | ४००–०० |
| ४० | श्री विपत कोरी, देवसनी, | .. .. | .. | ४००–०० |
| ४१ | श्री महादेव, शेषपुर अलीपुर | .. .. | .. | ४००–०० |
| ४२ | श्री बदल, शेषपुर, अलीपुर | .. .. | .. | ४००–०० |
| ४३ | श्री रामहरख, गोंडोरा | .. .. | .. | ४००–०० |
| ४४ | श्री सुकई, गोंडोरा | .. .. | .. | ४००–०० |
| ४५ | श्री विश्वनाथ, गोंडोरा | .. .. | .. | ४००–०० |
| ४६ | श्री दयाराम, वरियारपुर | .. .. | .. | ४००–०० |
| ४७ | श्री हीरालाल, सरदारगंज | .. .. | .. | ४००–०० |
| ४८ | श्री बृजलाल, नहरवल | .. .. | .. | ४००–०० |

विकास खण्ड रामनगर, जिला बाराबंकी में स्वच्छ पेय जल हेतु कूप निर्माणार्थ १९६१–६२, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में क्षेत्र विकास समिति रामनगर द्वारा दिए गए अनुदान का विवरण

| क्रमांक | अनुदान ग्रहीता का नाम व पता | धनराशि जो दी गई | | |
|---|---|---|---|---|
| | | १९६१–६२ | १९६२–६३ | १९६३–६४ |
| १ | श्री वजीर स्वीपर, मलौली | .. १८५–०० | .. | .. |
| २ | श्री बाबादीन अवस्थी, मड़ना | .. १००–०० | .. | .. |
| ३ | श्री कुर्बान, वदोसरांय | .. .. | ३५०–०० | .. |
| ४ | श्री प्रधान, नहरवल | .. .. | ३९०–०० | .. |
| ५ | श्री श्रीपाल, पियारपुर | .. .. | .. | ५०–० |
| ६ | श्री भभूती, पियारेपुर | .. .. | .. | १००–०० |
| ७ | श्री श्रीकृष्णा, पियारेपुर | .. .. | .. | १००–०० |
| ८ | श्री कालीदीन, मलिहामऊ | .. .. | .. | १००–०० |

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८९ पर)

### १९६१-६२

| क्रम-संख्या | विकास क्षेत्र का नाम | जिनको सिलाई मशीन स्वीकृत की गई उनका नाम |
|---|---|---|
| १ | देवा .. .. | १--श्रीमती फुन्दन, सैहारा<br>२--श्री राम पती, मु० मऊ<br>३--दयारानी<br>४--श्री रामदेव मिश्रा<br>५--श्री आर० एन० पाठक<br>६--श्री रज्जअली<br>७--श्री मुजीमवली |
| २ | रुदौली .. .. | १--श्रीमती अनवारुलनिसा, मीरमऊ<br>२--श्रीमती द्रौपदी देवी, नरौली<br>३--श्रीमती झम्मन देवी, अहयार<br>४--श्रीमती बचाना देवी, उधरौरा<br>५--श्रीमती हबराजी उपरौरा<br>६--श्रीमती साहवदेवी, बिड़हार<br>७--श्रीमती रामरती, बतमऊ<br>८--श्रीमती तुलसीदेवी, जरायलखुर्द<br>९--श्रीमती रमाना ,,<br>१०--श्रीमती शिवकला ,,<br>११--श्रीमती चन्दावती, धौरहरा<br>१२--श्रीमती सांवरी, नरौली<br>१३--(कु०) रामाधार, सदौली<br>१४--(कु०) गुलाब कुवीर, अहियार |

### १९६२-६३

| | | |
|---|---|---|
| १ | फतेहपुर .. .. | १--मो० सादिक अब्बास, फतेहपुर |
| २ | बंकी .. .. | १--श्रीमती नईम बीबी, जहांगीराबाद<br>२--श्रीमती सुखतारन, रन्दुता पल्हरी<br>३--श्रीमती मंगला ,,<br>४--श्रीमती सुदामा ,,<br>५--श्रीमती अनीसुन निसा, बंकी<br>६-- ,, कृष्ण देवी श्रीवास्तव, गदिया<br>७-- ,, मसीमा खातून, बड़ेल<br>८-- ,, तुलसा देवी, बिछलगा<br>९-- ,, रामदुलारी, बंकी |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## १९६३–६४

| क्रम-संख्या | विकास क्षेत्र का नाम | जिनको सिलाई मशीन स्वीकृत की गई उनके नाम |
|---|---|---|
| १ | देवा .. .. | १—श्री सुन्दर लाल |
| २ | निन्दूरा .. .. | १—श्रीमती विद्यावती देवी, रीबांसीबा |
| ३ | मवई .. .. | १—श्रीमती जैबून निसा, मवई<br>२—श्रीमती अहिया खातून, मवई<br>३—धूरन, पूरेकामगार |
| ४ | पूरेडलई .. .. | १—श्री रामदुलारे, पूरेडलई |
| ५ | मसौली .. .. | १—श्रीमती साविरा खातून, भयारा<br>२—श्रीमती कशर, मसौली |
| ६ | बंकी .. .. | १—श्री सुन्दर लाल, जलालपुर<br>२—श्री सन्नउल्ला, जहांगीराबाद |
| ७ | दरियानाद .. .. | १—श्रीमती नसीमुन्निसा मलारायगंज |

विधान परिषद सचिवालय

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९१ पर)

**इलाहाबाद में उन १३ कारखाने वालों के नाम जो बिक्री-कर की कर देय सीमा के अन्तर्गत नहीं आते थे ।**

१—शाह मोहम्द एण्ड सन्स, सुल्तानपुर भाभा ।
२—रहमत उल्ला, २३३ दाराशाह आजीमल ।
३—गुलाम हुसैन एंड सन्स, ३५५ अटाला ।
४—नूर मोहम्मद लाल मोहम्मद, ५५५ अटाला ।
५—गोपाल राम महादेव प्रसाद, ११७/११३ खुल्दाबाद ।
६—आगा एंड कम्पनी, ३१९ सब्जी मंडी ।
७—मोहम्मद शमीम मोहम्मद बशीर, बंदन टोला ।
८—अहीरा लाल खन्ना, १३१/ए, अतरसुइया ।
९—रामस्वरूप मानचन्द, रानी मंडी ।
१०—मोहम्मद उमर मोहम्मद यूयुफ, बंदन टोला ।
११—प्यारे लाल गुप्ता, ३, एडमिन्सटन रोड ।
१२—नन्हे मोविन एन्ड संस, गुलाब बेन ।
१३—अब्दुल अजीज अब्दुल लतीफ ११२, दोन्दीपुर ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०२ पर )

### कानपुर जिले के मान्यता प्राप्त कृषि यन्त्र बनाने बेचने वाली संस्थाएं

१--मेसर्स श्री भगवती इण्डस्ट्रीज, जूही, कानपुर ।
२--मेसर्स श्री कोशल एन्ड कम्पनी, दि माल, कानपुर ।
३--मेसर्स श्री मेटल इण्डस्ट्रीज, कानपुर ।
४--मेसर्स श्री पिगुल आयरन एन्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, कानपुर ।
५--मेसर्स श्री स्वास्तिक आइरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज, कानपुर ।
६--मेसर्स श्री स्वदेशी कृषि यन्त्र उद्योग, कानपुर ।
७--मेसर्स श्री सहकारी कृषि यंन्त्र उद्योग, कानपुर ।
८--मेसर्स श्री राज आइरन एन्ड स्टील वर्क्स, कानपुर ।
९--मेसर्स श्री सचान इन्जीनियरिंग वर्क्स, कानपुर, पुखरायां ।
१०--मेसर्स श्री जय इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, कानपुर ।
११--मेसर्स श्री पन्च उद्योग, कोपरगंज, कानपुर ।
१२--मेसर्स श्री रन्जीत, मेटल वर्क्स, कानपुर ।
१३--मेसर्स श्री किसान इन्डस्ट्रीज, कानपुर ।
१४--मेसर्स श्री लोला इन्जीनियरिंग वर्क्स, कानपुर ।
१५--मेसर्स श्री स्मार्ट इन्जीनियरिंग वर्क्स, कानपुर ।
१६--मेसर्स श्री शारदा इन्जीनियरिंग वर्क्स, कानपुर ।

---

उत्तर प्रदेश सभा

कानपुर जिले की मान्यता प्राप्त सिंचाई यन्त्र बेचने वाली कम्पनियों की सूची :—

(१) पर्शियन व्हील तथा रहट ..

१—मेसर्स श्रीवास्तव ट्रेडिंग कम्पनी, ५०, एच० ब्लाक, गोविन्दनगर, कानपुर ।

२—मेसर्स हिन्दुस्तान इन्जिनियरिंग, वर्क्स, ५१ फैक्टरी एरिया, फजलगंज, कानपुर ।

३—मेसर्स दी आइडियल काटेज इन्डस्ट्री ८८/५३४, प्रेमनगर, कानपुर ।

४—मेसर्स कोशल एन्ड कम्पनी (पी०) लिमिटेड, १४/७८, दी माल, कानपुर ।

(२) पाम्पिंग प्लांट ..

५—मेसर्स वाटली बाय एन्ड कम्पनी, पोस्टवाक्स नम्बर ७४, २६/५९, बिरहाना रोड, कानपुर।

६—मेसर्स कूपर इन्जीनियरिंग लिमिटेड, ८ श्यामसुन्दर बिल्डिगं, २४/१८, दी माल, कानपुर।

७—मेसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड, ९६/५, चुन्नीगंज, एम० जी० रोड, कानपुर ।

८—ग्रीव्हस कांटन एन्ड कम्पनी लिमिटेड, बिरहाना रोड, पोस्ट वाक्स नम्बर १४७, कानपुर ।

९—मेसर्स जयेम्स इन्जिनियरिंग कम्पनी, २४/७३, किशोरी निवास, बिरहाना रोड, कानपुर ।

१०—मेसर्स एग्रिको इण्डस्ट्रीज, २५७ दर्शनपुरवा, कानपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१३५ एल० ए०—१९६४—८६० ।